खण्ड-212, अंक-2
शुक्रवार, 12 चैत्र, शक संवत् 1882
(1 अप्रैल, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 212 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १ अप्रैल, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४०

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पाण्डेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेश चन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री

गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री,
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देव नारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
धनी राम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाशसिंह, श्री
प्रभावतीमिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री

ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मदहुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोती लाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफजाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमानाथ खेरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राज किशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राज बिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
राम चन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री

रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमी सिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावतीबाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रज गोपाल सक्सेना, श्री
व्रज बिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल , श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईदअहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरवस्तीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीताचौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीश चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीर सिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १ अप्रैल, १९६०

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

राष्ट्रीय विकास परिषद् में तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप

१—श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद् की सभा में उत्तर प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना हेतु कितनी धनराशि-सीमा प्रस्तावित की गई है, तथा प्राथमिकता के अनुसार किस विभाग हेतु कितनी धनराशि प्रस्तावित की जा रही है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—राष्ट्रीय विकास परिषद् की हाल में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये कोई धनराशि नियत नहीं की गई है।

२—श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को बनाने हेतु अब तक क्या-क्या प्रगति हुई है ?

डाक्टर संपूर्णानन्द—तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को बनाने के लिये राज्य सरकार ने कई वर्किंग ग्रूप्स (Working Groups) नियुक्त किये थे जिनकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। राज्य स्तर पर तृतीय योजना बनाने के लिये इन पर विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ जिले तथा खन्डों (Blocks) की विकास योजना बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को सुविधायें देने का आश्वासन

३—श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री द्वारा सामान्य प्रशासन के बजट अनुदान पर उत्तर देते समय (विगत मास में) लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को राहत देने हेतु जो आश्वासन दिया गया था, उसकी पूर्ति हेतु अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री सैयदअली जहीर)—इस प्रश्न पर विचार हो रहा है। अभी कोई निश्चित योजना तैयार नहीं की जा सकी है।

वन विभाग में श्री आर० सहाय की सेवा-अवधि में वृद्धि

४—श्री हरिदत्त कांडपाल** (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि वन विभाग के कतिपय गजेटेड अफसरों को वर्ष १९६० में उनका कार्यकाल समाप्त होने पर पुनः तीन साल के लिये एक्सटेंशन दिया गया है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन अफसर हैं और उक्त एक्सटेंशन देने के क्या कारण हैं ?

श्री सैयदअली जहीर—श्री आर० सहाय, चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स को, जो इन्डियन फारेस्ट सर्विस नियमों के अधीन जनवरी, १९६० में अवकाश ग्रहण करने वाले थे, तीन वर्ष और सेवा करने की अनुमति दे दी गई है, क्योंकि इन्डियन फारेस्ट सर्विस खत्म कर दी गई है और वे राज्य सरकार के नियम बनाने के अधिकार के अन्तर्गत आते हैं जिसके अधीन वह ५८ वर्ष की उम्र तक सेवा करने के अधिकारी हैं।

आंधी, पानी तथा उपल वृष्ट से क्षति

५—श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़), श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रूखाबाद) तथा श्रीमती राजेन्द्रकुमारी (जिला हमीरपुर)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत २१ मार्च, संध्या ६ बजे प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज आंधी, हवा, पानी तथा उपलवृष्टि से अपार धनजन की हानि हुई है ?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—प्रदेश के कुछ भागों में २१ मार्च तथा कुछ में २२ मार्च और कहीं कहीं दोनों दिन आंधी, पानी तथा उपल वृष्टि हुई जिससे हानि हुई है ।

****६—श्री झारखंडेराय, श्री होरीलाल यादव तथा श्रीमती राजेन्द्रकुमारी**—यदि हां, तो क्या सरकार क्षति का एक विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—उपलब्ध सूचना †तालिका में दी हुई है ।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस हानि में सरकार की ओर से कोई तत्काल सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो कहां कहां पर और क्या ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, तत्काल सहायता की जहां जहां आवश्यकता हुई है जिलाधीशों के पास ऐसा धन रहता है कि वे उसको स्वयं करते हैं । इसके लिये स्थायी आदेश हैं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो क्षति वर्षा होने से और खलिहान में गल्ला पहुंचने के बाद हुई है उसका रेवेन्यू मैनुअल के मुताबिक कोई हिसाब नहीं लगाया जा रहा है, तो इस क्षति के अनुमान की कौन सी व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सरकार क्षति का अनुमान तो नियमों के अनुसार ही लगाती है । नियमों की जहां व्यवस्था नहीं है उसके लिये कोई विचार नहीं किया जा रहा है कि कैसे अनुमान लगाया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वह कौन कौन जिले हैं जिनमें २१ और २२, दोनों तारीखों में ओले पड़े और वर्षा हुई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, यह सारी सूचना प्रश्न के उत्तर के साथ संलग्न है । उसे माननीय सदस्य देख सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—वह तो एक ही सदस्य के पास है, और सदस्यों को नहीं मालूम है । आप उसे पढ़ दें ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, मेरठ में २१ और २२ को उपल वृष्टि तो नहीं हुई लेकिन तेज हवा, आंधी और पानी से फसल को २ आने की क्षति हुई है । इसके अलावा आगरा, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, नैनीताल, प्रतापगढ़ और फैजाबाद में आंधी और पानी आया और कहीं कहीं उपल वृष्टि भी हुई ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—जिन जिलों का विवरण माननीय मंत्री जी ने दिया है उनमें क्षति की जो अस्थायी रपट आयी है उससे क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि किन-किन जिलों को तत्काल सहायता मालगुजारी में छूट आदि देकर की गयी है ?

श्री उपाध्यक्ष—इसका उत्तर दिया जा चुका है कि जिलाधीश कर रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—जहां पर केवल वर्षा हुई है और आंधी आयी है, उपल वृष्टि नहीं हुई है, वहां पर भी फसल को बड़ी क्षति पहुंची है, तो क्या माननीय मंत्री जी उसका भी अनुमान लगाने का प्रयत्न करेंगे ?

---

†तालिका छापी नहीं गई ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जहां-जहां वर्षा इत्यादि से क्षति हुई है सबका अनुमान लगाया जा रहा है और नियमों के अनुसार जहां ८ आने से अधिक क्षति हुई होगी वहां लगान इत्यादि में जो नियमानुकूल छूट होगी वह दी जायगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सरकारी नियमों के मुताबिक सहायता दी जायगी, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस वर्ष खलिहान में अन्न आने के बाद, वर्षा, ओला तथा आंधी से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि नियमों में परिवर्तन किया जाय जिससे सहायता दी जा सके ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—अभी ऐसा विचार नहीं है । अगर आवश्यकता हुई और जिलों स ऐसी रिपोर्टें आई, तो सरकार अवश्य विचार करेगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—२१ मा॰ के बाद आगरा वगैरह जिलों में २७ तारीख को भी वृष्टि हुई है, उसके सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त की है और सरकार इसके सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, ये प्रश्न २१, २२ तारीख के बारे में थे और २७ तारीख के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

श्री झारखंडेराय—इस बात को देखते हुये कि २१ तारीख की उपलवृष्टि का यह तीसरा आक्रमण था, तो जिन जिलों में तीन बार वर्षा हुई और नुकसान हुआ, वहां सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि वसूलयाबी मुल्तवी कर दी जाय ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जिन जिलों के बारे में ऐसी रिपोर्ट है कि ८ आने से ज्यादा क्षति हुई है वहां नियमों के अनुसार वसूलयाबी मुल्तवी हो चुकी है ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि २९ मार्च को उपमंत्री बलिया गये थे और उन्होंने कुछ गांवों को देखा था, उनमें कितना नुकसान हुआ है और क्या सहायता दी जा रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां, उपमंत्री राजस्व २९ मार्च को बलिया गये थे और उन्होंने कुछ गांवों को देखा है । जहां ८ आने से क्षति ज्यादा है वहां वसूलयाबी की मुल्तवी की व्यवस्था हो रही है ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—श्रीमान् जी, लखीमपुर जिले में खरीफ के बिलकुल चौपट हो जाने से सरकार ने लगान की वसूलयाबी मुल्तवी कर दी थी लेकिन अब एक साथ क्यों वसूली की जा रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मुल्तवी लगान जिस पर छूट हो जायगी वह वसूल नहीं किया जायगा और जिस पर छूट नहीं हुई है वह वसूल किया जायगा ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश भर में कितने रुपये की हानि हुई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—प्रदेश भर का कोई हिसाब मेरे पास नहीं है ।

श्री झारखंडे राय—मैंने यह पूछा था कि सरकार की सूचना के मुताबिक कहीं पर लगान की मुल्तवी की गई है या नहीं । नियमों के अनुसार मुल्तवी होती है यह तो मुझे भी मालूम है ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, नियमों की पाबंदी होती है, ऐसी धारणा रहती है । अगर माननीय सदस्य को मालूम हो कि कहीं इसके विपरीत हुआ है तो उसकी जांच की जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष—वह चाहते हैं कि किन जिलों के बारे में सरकार को जानकारी है ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

*१—श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—[७ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

विधायक निवास परामर्शदात्री समिति

[*२— श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री दिनांक १–३–६० के अल्पसूचित प्रश्न संख्या १ पर विधान सभा के सदस्यों को निवास स्थान देने के सम्बन्ध में बनी सलाहकार समिति के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कमेटी की कितनी बैठकें जब से स्टेट विभाग उनके पास आया, हुई और इस बीच में जो सदस्यों को कमरों का आवंटन हुआ उसमें उक्त कमेटी के सदस्यों की राय ली गई अथवा नहीं ? यदि ली गई, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जब से स्टेट विभाग गृह मंत्री जी के पास आया तब से अब तक एक बैठक विधायक निवास परामर्श दात्री समिति की तथा तीन बैठकें उसकी उपसमिति की हो चुकी हैं । जब जब विधायक निवास परामर्श दात्री समिति की बैठक हुई उसकी राय कमरों के आवंटन के हेतु ली गई ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, एक वैधानिक प्रश्न है । श्री इन्दुभूषण गुप्त के प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने पढ़ दिया । जब उत्तर दिया गया तो क्या सप्लीमेंटरी किया जा सकता है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं । नियमानुकूल ऐसे उत्तर कार्यवाही में छाप दिये जाते हैं । उसके बाद अगर माननीय सदस्य इंटेरेस्टेड हों तो दूसरे सवाल किये जा सकते हैं ।

[१ अप्रैल, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गोरखों को बैकवर्ड क्लास की सुविधायें देने की प्रार्थना

*१—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्तBackward Classes Commission ने गोरखा लोगों को Backward Class माने जाने की सिफारिश की है और कुछ प्रदेशों में उस पर अमल होने लगा है ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—(१) जी हां ।

(२) दूसरे प्रदेशों के बारे में इस सरकार को कुछ मालूम नहीं है ।

*२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार के पास केन्द्रीय सरकार से इस आशय का कोई आदेश अथवा सूचना आई है कि गोरखा लोगों को Backward class का माना जाय ? यदि हां, तो कब ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी नहीं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय गृह मंत्री जी कमीशन की सिफारिशों के अनुसार गोरखा ऐसे बहादुर राजपूतों को अन्य बैकवर्ड जातियों की तरह सभी सुविधायें प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—अभी तक भारत सरकार ने यह फैसला नहीं किया है कि पिछड़ी जातियों के लिये क्या कसौटी होनी चाहिये और कौन उसमें शामिल होना चाहिये । जब वह निर्णय हो जायगा तो सुविधायें दी जायंगी ।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बैकवर्ड क्लास कमीशन ने जो सूची बनाई है उसके अनुसार पिछड़ी जाति के कुछ मुसलिम जो कि मुसलिम लिस्ट में हैं, हिन्दू लिस्ट में नहीं हैं, जैसे मुसलिम तली और मुसलिम धोबी, इन्हें मुसलिम लिस्ट में शरीक करने की कृपा करेंगे ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—बैकवर्ड क्लासेज कमीशन ने जो लिस्ट बनाई है वह अभी भारत सरकार के विचाराधीन है । वहां से निर्णय होने के बाद कि इस आधार पर बैकवर्ड समूह माना जाय, वह आधार तय हो जाने के बाद यह लिस्ट बन सकेगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि केन्द्रीय गृह मंत्री ने भारत के तमाम मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी और उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, बैठक होने की सूचना समाचारपत्रों में निकली थी। मार्च में हुई थी । लेकिन कोई निर्णय हो गया, इसकी सूचना हमारे पास नहीं ह ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि बैकवर्ड क्लास में किनको रखा जाय और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की राय भारत सरकार ने मांगी है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या राय दी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किन को रखा जाय, इस पर तो विचार नहीं हो रहा है । विचार सिद्धांत पर हो रहा है कि किन किन आधारों पर किसी को बैकवर्ड माना जाय । बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट में कई सुझाव हैं । कुछ की राय है कि जाति के आधार पर बैकवर्ड माना जाय । कुछ की राय यह है कि आर्थिक आधार पर बैकवर्ड माना जाय । यह प्रश्न बड़ा विवादास्पद है । भारत सरकार के विचाराधीन है कि वह कौन सा आधार हो जिसके आधार पर जातियों को बैकवर्ड स्वीकार किया जाय । उस सम्बन्ध में उनका विचार जारी है । केन्द्रीय गृह मंत्री जी न मुख्य मंत्रियों की भी बैठक बुलाई थी । उसमें भी विचार हुआ अभी वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं । पहुंच जायं तो निश्चय हो जाय कि कौन कौन जातियां बैकवर्ड मानी जायं ।

*३—५—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की योजनायें

*६—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की अग्रगामी परीक्षा यूनिट (पायलेट एक्जामिनेशन यूनिट) कार्यालय किस रीजन में स्थापित किये जायेंगे और उसका मुख्यालय (हेड-क्वार्टर) कहां होगा ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—इस समय अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की ओर से इस प्रदेश में पायलेट एग्जामिनेशन यूनिट (Pilot Examination unit) का कार्यालय खोलने का कोई सुझाव नहीं है ।

*७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवीन शिक्षा व्यवस्था केअन्तर्गत परीक्षा प्रणाली में जो परिवर्तन करने का विचार है इस हेतु शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को अमेरिका भेज कर विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—श्री टी० एस० मेहता को, जो शिक्षा विभाग के स्थायी कर्मचारी हैं परन्तु इस समय भारत सरकार की सेवा में हैं, अखिल-भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने अपनी ओर से अमेरिका भेजा था। उनके बाहर भेजने में इस प्रदेश को कोई व्यय नहीं वहन करना पड़ा ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—जब एक ओर पायलेट एग्जामिनेशन यूनिट का कोई कार्यालय तक नहीं खोला जा रहा है और न सरकार के शिक्षा अधिकारियों पर ही कोई व्यय हुआ तो यह बतलाने की कृपा कीजिये कि ६ हजार रुपये की धनराशि, जो १९५९-६० के पूरक अनुदान में भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत व्यय होने के वास्ते दिखाई गई है, उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—इस ब्यौरे के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नवीन शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत परीक्षा प्रणाली में जो परिवर्तन किये जाने का विचार है उसमें उपरोक्त प्रशिक्षित अधिकारियों की सेवायें प्रदेश में किस प्रकार प्राप्त हो सकेंगी, यानी योजना किस प्रकार कार्यान्वित की जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस विषय में मैं यह स्पष्ट कर दूं कि एक केन्द्रीय अखिल-भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् है। वह सभी प्रदेशों में प्रायः स्थापित है। उनकी एक स्कीम है कि विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा चल रही है उसके लिये पायलेट प्रोजेक्ट वह चलाये और पायलेट एग्जामिनेशन की यूनिट कायम करें और एक नया प्रयोग परीक्षा के सम्बन्ध में, जो एक नई प्रणाली इस विषय में पायलेट प्रोजेक्ट की है, किन्हीं संस्थाओं में उसका प्रयोग करें। उस प्रयोग के बाद जो परिणाम निकलें उनको देखकर यह निश्चय किया जाय कि इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली सारे देश और प्रदेश में कर दी जाय। इसके लिये उन्होंने तमाम प्रदेशों में अपने यूनिट्स कायम किये हैं। अखिल-भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की ओर से उत्तर प्रदेश में भी कायम करने के लिये उन्होंने सुझाव भेजा था और यह तय किया था कि वह नया प्रयोग यहां पर कायम किया जाय। फिर बाद में किन्हीं कारणों से अभी उन्होंने उसे स्थगित कर रखा है। सम्भव है कि यह यूनिट शीघ्र ही हमारे यहां कायम हो जाय।

स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिकों की कथित सूची

*८—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्वतन्त्रता-संग्राम के सैनिकों की जो सूची वह बनवा रही थी उसका काम कब आरम्भ हुआ था और अभी तक किन-किन जिलों की बन चुकी है ?

गृह मन्त्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)—कोई सूची नहीं बनाई जा रही है क्योंकि ऐसी सूची का तैयार करवाना आवश्यक नहीं समझा गया ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सूची का प्रकाशन बन्द करने के पेश्तर कितने जिलों में सूची तैयार हो चुकी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकार की ओर से कोई सूची नहीं बनाई गई, तो उसके प्रकाशन होने का या किसी जिलों में सूची तैयार होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत विनियम

*९--श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८, के अन्तर्गत रेगूलेशन कब तक पूरे बन सकेंगे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--३१ मार्च, १९६० तक ।

*१०--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार कृपया यह भी बतावेगी कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत रेगुलेशन (विनियम) जो राजपत्रित (Gazetted) हुए हैं वे कब तक लागू हो जावेंगे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--वे गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे, जैसा कि इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५८, की धारा ८ (१) में ही दिया हुआ है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो रेगूलेशन लागू हो गये हैं, इनके सम्बन्ध में जो संशोधन सदस्यों की ओर से उपस्थित हुए हैं, उन संशोधनों के निर्णय के उपरान्त ये लागू समझे जायंगे या इसके पूर्व ही ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कानून में यह दिया हुआ है कि रेगुलेशन जब गजट में प्रकाशित हो जाते हैं तो उसी दिन से लागू हो जाते हैं। अब वे रेगुलेशन हमारे विधान सभा और विधान परिषद् के सामने हैं; तो जो संशोधन यहां से हो जायेंगे तद्नुसार उन रेगुलेशन्स में संशोधन कर दिया जायगा।

*११-१३--श्री भजन लाल (जिला इटावा)--[१५ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*१४-१६--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--[७ अप्रैल, १९६० के लिये स्थानान्तरित किये गये।]

*१७-१८--श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)--[४ मई, १९६० के लिये प्रश्न ११-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१९-२१--श्री अमरनाथ--[७ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ५२-५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२२--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)--[हटा दिया गया।]

*२३-२४--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--[१४ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न २१-२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

अन्तरिम जिला परिषदों को अध्यापकों का वेतन देने के सम्बन्ध में आदेश

*२५--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की सभी अन्तरिम जिला परिषदों को ६ फरवरी, सन् १९५८, को डी० ई० आई० ३५०६/३१-६९-२३५-५७-५८ के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि अन्तरिम जिला परिषदें अध्यापकों की तनख्वाह अगले माह की १५ तारीख तक दे दें ? यदि हां, तो क्या इसका पालन सभी अन्तरिम जिला परिषदें कर रही हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी हां, ऐसा आदेश दिया गया है। किन्तु सभी जिला परिषदें इसका पालन नहीं कर पा रही हैं।

श्री ऊदल—क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन जिला परिषद् ऐसी हैं जो पूरा नहीं कर पा रही हैं ? उनके सामने क्या दिक्कतें हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—प्रदेश में कुछ जिला परिषदें ऐसी हैं जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है। वही समय पर अध्यापकों को वेतन नहीं दे पा रही हैं। उनके नाम मेरे पास नहीं हैं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि अधिकांश जिला परिषदें, जैसे देवरिया आदि, ऐसी हैं कि जिन्होंने जनवरी से इधर का वेतन आज तक नहीं दिया है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—मैंने जैसा बतलाया, ज्यादातर जिला परिषदें समय पर वेतन देती हैं। कुछ ऐसी हैं कि जो समय पर नहीं देतीं, उनमें वाराणसी भी है और जो चौथी किस्त अनुदान की दी गयी है उससे तमाम अध्यापकों को वेतन दिया गया है यद्यपि अभी उसका प्रमाण-पत्र नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष—जनवरी से अब तक वेतन नहीं दिया, इसकी कोई शिकायत अब तक नहीं आयी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव—प्रदेश में बहुत सी परिषदें ऐसी हैं कि जिन पर अध्यापकों का वेतन तीन महीने का बकाया है, तो क्या सरकार उनके लिये कोई विशेष व्यवस्था करने जा रही है ताकि वेतन ठीक समय से दिया जा सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सर्वोत्तम व्यवस्था यह है कि उनको उतना पैसा मिले। वास्तव में अंतरिम जिला परिषदों के पास जो आमदनी है उसमें से जितना उनको एजूकेशन पर खर्च करना चाहिये वे नहीं खर्च कर पातीं, वे दूसरें कामों में उस तमाम पैसे को खर्च करती हैं। हमारी ओर से एक ग्रान्ट उनको मिलती है और उस ग्रान्ट से वे पूरा अध्यापकों का वेतन दे नहीं पातीं। यह कठिनाई होती है। बार बार हम लिखते हैं कि जो आपका अंशदान है वह शामिल कीजिये और शिक्षा पर पूरा खर्च जितना होना चाहिये, कीजिये, लेकिन वह होता नहीं। हमारे यहां से जो ग्रान्ट जाती है उसका प्रापर यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट हमारे पास समय से आना चाहिये। लेकिन १०, १२ परिषदें ऐसी हैं कि जिनका यूटीलाइजशन सर्टीफिकेट नहीं आता। अनुदान किस्तों में जाता है, साल में चार किस्तों में। तीन किस्तें हम दे चुके हैं। चौथी किस्त जिनका सर्टीफिकेट आयेगा उनको जायेगी, लेकिन फिर भी हमने चौथी किस्त बिना सर्टीफिकेट आये भी रिलीज कर दी ताकि अध्यापकों को वेतन मिल जाय।

अन्तरिम जिला परिषदों के स्कूलों में बैठने की समुचित व्यवस्था न होना

*२६—**श्री ऊदल**—क्या सरकार प्रदेश के सभी प्राइमरी तथा जूनियर स्कूलों में विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के बैठने की समुचित व्यवस्था करने के लिये प्रत्येक अन्तरिम जिला परिषदों को विशेष अनुदान इस वर्ष देने जा रही है ? यदि हां, तो वाराणसी जिला अन्तरिम परिषद् को कितना अनुदान इस मद में सरकार देने जा रही है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी नहीं। अगला प्रश्न नहीं उठता।

श्री ऊदल---इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्राइमरी पाठशालाओं में लड़कों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी कोई ऐसी अन्तरिम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि सब स्कूलों में लड़कों के लिये बैठने की व्यवस्था हो जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो आपने वही प्रश्न फिर से पूछ लिया।

*२७---श्री ऊदल---[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता दूर करने पर विचार

*२८---कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह सत्य है कि उसने प्रदेश के छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता की रोकथाम के तरीकों पर विचार करने के लिये किसी समिति का निर्माण किया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस पर विचार किया जा रहा है।

कुंवर श्रीपालसिंह---श्रीमन्, मेरे प्रश्न के तीन भाग हैं। अंतिम भाग है यदि नहीं, तो क्यों। इसका उत्तर मिला है कि इस पर विचार किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विचार किया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---विचार यह किया जा रहा है कि अनुशासनहीनता किस तरह से रोकी जाय, और लोगों में अनुशासन फैले। यही एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर विचार किया जा रहा है कि किन उपायों का इसके लिये अवलम्बन किया जाय।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस अहम मसले पर विचार करने के लिये एक कमेटी का संगठन करने का विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है कि क्या एक कमेटी बना दी जाय। यूनिवर्सिटीज के लिये तो हमने एक कमीशन बनाने की घोषणा, श्रीमन्, इस आदरणीय सदन में की है और जो टर्म्स आफ रेफरेंस हैं इनमें एक डिस्पिलिन की भी बात रहे, ऐसा सरकार का विचार है। संभवतः शीघ्र ही उसकी घोषणा होगी। पर यह माध्यमिक संस्थाएं जो हैं, प्रि-यूनिवर्सिटी स्टेज की, जिनकी तादाद भी बहुत बड़ी है और जिनमें लड़के भी बहुत ज्यादा तादाद में हैं, उनमें भी अनुशासन किस प्रकार से हो, यह बात भी इस कमेटी के जिम्मे रहे या एक दूसरी कमेटी बना कर और बहुत से प्रश्नों के साथ इसको भी उसमें रखें, यह विषय सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही इस पर निर्णय होगा।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यूनिवर्सिटी के अन्दर जो विद्यार्थियों में डिसिप्लिन की कमी की बात कही जाती है उसको यूनिवर्सिटी के लिये जो हाई पावर कमीशन तैनात करने वाली है उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में रखा जायगा, उसका उसमें जिक्र किया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो साफ है। इसके अलावा फिर कमीशन बनेगा, किस लिये ?

श्री गौरीशंकर राय---समय समय पर इस विधान सभा में सदस्यों द्वारा कही गयी इस राय से कि शासन की गतिविधि भी विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के लिये जिम्मेदार है, इसको देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि शासन की गतिविधि में भी कोई परिवर्तन किया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--शासन की गतिविधि के बारे में माननीय सदस्यों के अपने विचार होंगे। जहां तक शासन का संबंध है, वह तो समझता है कि उसकी गति-विधि ऐसी है जिससे डिसिप्लिन मेन्टेन किया जा सके। रह गयी कमीशन बनाने की बात, तो माननीय सदस्यों को स्वयं उसका अवसर रहेगा कि वे अपने सुझाव उसको दे सकें।

कानपुर में विद्यार्थियों द्वारा चीन विरोधी प्रदर्शन

*२९--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १४ सितम्बर, १९५९, को कानपुर में छात्रों का एक जलूस निकला था? यदि हां, तो यह जलूस किस कारण तथा किनकी ओर से निकाला गया था?

श्री रामस्वरूप यादव--तारीख १४ सितम्बर, १९५९ को कानपुर में विद्यार्थी परिषद् की ओर से चीन द्वारा भारत की सीमा की चौकियों पर नाजायज कब्जा करने के विरोध में एक जलूस निकाला गया था।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उक्त जलूस ने परेड पर स्थित कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर पर हमला किया तथा वहां के मौजूदा कम्युनिस्टों से हंसिया और हथौड़े वाले झण्डे को उतारने का भी आग्रह किया और ऐसा न करने पर वह झण्डा जबरदस्ती उतार कर फाड़ फेंका गया?

श्री रामस्वरूप यादव--इसकी सूचना नहीं है।

*३०--कुंवर श्रीपाल सिंह--[७ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३१--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--[७ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३२-३३--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--[७ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ५७-५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३४--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--[हटा दिया गया।]

नैपाल में काले झण्डे गड़े होने की अफवाह

*३५--श्री मदन पांडेय--(अनुपस्थित) क्या सरकार का ध्यान गत १२-१-६० के दैनिक पत्र 'आज' के गोरखपुर संस्करण में प्रकाशित नैपाल सीमा पर काले झंडों के गड़े होने के समाचार की ओर गया है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस अफवाह के निराकरण के निमित्त, जिसके कारण जनता में आतंक फैल रहा है, क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, जांच कराने पर ज्ञात हुआ है कि नैपाल राज्य में काले झंडे गड़े होने की अफवाह वहां से लौटे कुछ व्यक्तियों ने फैलाई परन्तु इससे जनता में कोई आतंक नहीं पाया गया। अतः इसके निराकरण हेतु कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

*३६-३७--श्री मुक्तिनाथराय--[७ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ५९-६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३८-४०--श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--[७ अप्रैल, १९६० के लिय प्रश्न ६१-६३ क अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

राजे सुल्तानपुर इण्टर कालेज के विद्यार्थी श्री अरविन्द की हत्या

*४१--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी), श्री झारखंडेराय, श्री ऊदल, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम राजेसुल्तानपुर (जिला फैज़ाबाद) में ९ फरवरी, १९६० को राजे-सुल्तानपुर इन्टर कालिज की १२वीं कक्षा के विद्यार्थी श्री अरविन्द की शाम को घूम कर घर लौटते समय पुलिस चौकी के पास गोली मार कर हत्या कर दी गई है?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, यह घटना ५-२-६० को शाम के ७-८ बजे हुई थी।

*४२--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री झारखंडेराय, श्री ऊदल, श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त हत्या पुलिस चौकी से लगभग २०० गज की दूरी पर ही हुई थी और पुलिस घटनास्थल पर दूसरे दिन पहुंची? यदि हां, तो पुलिस का उसी समय न पहुंचने का क्या कारण था ?

श्री रामस्वरूप यादव--उक्त घटना पुलिस चौकी से करीब दो फर्लांग की दूरी पर हुई थी। पुलिस, घटना की कोई सूचना न मिलने के कारण, घटनास्थल पर न पहुंच सकी। दूसरे दिन सूचना मिलने पर पुलिस तुरन्त घटनास्थल पर पहुंची।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह घटना हुई वह पुलिस के थाने से केवल २ फर्लांग की दूरी पर हुई थी--तो पुलिस के दूसरे दिन वहां पर पहुंचने का क्या कारण था ?

श्री रामस्वरूप यादव--थाने में कोई रिपोर्ट ही इससे पेश्तर नहीं हुई। आसपास के लोगों को भी सूचना नहीं हुई थी कि कोई हत्या हुई है। एक आवाज जरूर सुनाई दी थी, लेकिन उससे यह अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता था कि बंदूक चलायी गयी है और किसी को मारा गया है और फिर उन दिनों बारावफात भी चल रही थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस मामले में अब तक पुलिस की ओर से कौन सी कार्यवाही की गयी है?

श्री रामस्वरूप यादव--इसमें दो आदमी पकड़े गये हैं--भृगुनाथ सिंह और नूर मुहम्मद।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दो आदमी पकड़े गये हैं उनके नाम की थाने में रिपोर्ट दर्ज ह ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--रिपोर्ट थाने में क्या दर्ज है, इसकी प्रतिलिपि तो इस वक्त नहीं है लेकिन मामले की तशखीस पुलिस ने की है और उस पर दो आदमियों को गिरफ्तार किया है और कहा यह जाता है कि ये दो आदमी उस समय उस लड़के के साथ थे जिसकी हत्या की गयी।

जिला विद्यालय निरीक्षक, खीरी, के विरुद्ध शिकायत की जांच

*४३--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इन्टरमीडियेट एजूकेशन, इलाहाबाद, के पास इस आशय की शिकायत आई है कि सन् १९५८ व सन् १९५९ ई० में इन्टर साइन्स की उत्तर पुस्तिकायें जो जिला विद्यालय निरीक्षक, खीरी, को जो उस समय वहां थे, दी गई थीं, उन्होंने स्वयं न जांच करके राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लखीमपुर, के अध्यापकों से जंचवाई हैं?

श्री दीनदयालु शास्त्री--जी हां।

*४४—श्री गनेशीलाल चौधरी—यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—जांच की जा रही है।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच कब तकपूरी हो जायगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—बहुत जल्दी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में शिकायत क उपरान्त जो विद्यालय निरीक्षक इसमें पाये गये, क्या उन पर कुछ वैभागिक कार्यवाही भी की जायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जांच चल रही है और जांच की रिपोर्ट आ जाने के बाद फिर उचित कार्यवाही तो की जायगी ही।

*४५—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—[७ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४६-४७—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—[७ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ६५-६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४८-५०—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[१४ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न २३-२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५१-५२—श्री द्वारिकाप्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)—[५ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

क्वीन्स कालेज, वाराणसी, में सातवीं कक्षा तोड़ने का आदेश

*५३—श्री राजनारायण (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्वीन्स कालेज, वाराणसी, के ७वें दर्जे में कितने छात्रों की फीस वर्तमान सत्र में जमा की गई थी और क्या अब सातवीं कक्षा को तोड़ा जा रहा है ? यदि हां, तो तोड़ने का आर्डर कालेज में कब पहुंचा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—केवल ५ छात्रों की फीस जुलाई ११, १९५९ को जमा की गई थी और उसी दिन वापस कर दी गई। वर्तमान शिक्षा सत्र के आरम्भ से कक्षा सात तोड़ दी गई है। कक्षा सात तोड़ने का आर्डर ता० ८ जुलाई, १९५९ को तथा पुनः १० जुलाई, १९५९ को प्रधानाचार्य के पास भेजा गया था। पहला आर्डर कहीं गुम हो गया।

*५४-५५—श्री राजनारायण—[१५ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

सिंगहा यूसुफपुर में कत्ल

*५६—श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि ८/९ नवम्बर, सन् १९५९ में ग्राम सिंगहा यूसफपुर, थाना चौकी मिर्जापुर, जिला शाहजहांपुर, में एक कत्ल हो गया था ?

श्री रामस्वरुप यादव—जी हां।

*५७—श्री हरदयालसिंह—क्या यह सही है कि उक्त कत्ल किये गये व्यक्ति की पत्नी के कथनानुसार थाने में रपट दर्ज नहीं की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं। उक्त हत्या की रिपोर्ट मृतक के चचेरे भाई ने थाने पर लिखाई थी।

श्री हरदयालसिंह—माननीय मंत्री जी, क्या यह सही है कि ये लोग ५ रोज तक थाने में बन्द रहे और उसके बाद छोड़ भी दिये गये?

श्री रामस्वरूप यादव—जांच होने पर ५ व्यक्ति अपराधी पाये गये और २६ दिसम्बर, १९५९ को गिरफ्तार किये गये।

श्री हरदयालसिंह—माननीय मंत्री जी, क्या यह भी सही है कि मृतक के चाचा ने जब दरख्वास्त हमको दी है तो उसकी दरख्वास्त घटना के १० रोज बाद दी गयी है और उसके ५ रोज के बाद दोबारा आदमी गिरफ्तार किये गये?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने निवेदन किया कि चालान हो गया, मुकदमा विचाराधीन है।

*५८—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—[७ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५९—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—[४ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६०–६१—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—[१५ अप्रैल, १९६० के लिए स्थगित किये गये।]

पिछड़े क्षेत्र के विद्यार्थियों को सहायता

*६२—श्री प्रतापसिंह (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष पिछड़े क्षेत्र के विद्यालयों के लिये जो ५०,००० रु० (पचास हजार रुपया) रक्खा गया था, वह किस-किस विद्यालय को कितना-कितना दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क', आगे पृष्ठ १७४–१७५ पर)

*६३–६५—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) [८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*६६–६७—श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़)—[१५ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

रोडवेज कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधायें

*६८—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार रोडवेज विभाग के लिये अलग डाक्टरों की व्यवस्था करने का विचार कर रही है जिस प्रकार रेलवे विभाग में डाक्टरों तथा दवा दारू की व्यवस्था है?

परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी नहीं।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विभाग के कर्मचारियों को इस समय किस प्रकार डाक्टरी की सुविधा दी जाती है?

डाक्टर सीताराम—जिस प्रकार अन्य सरकारी कर्मचारियों को यू० पी० मेडिकल अटेंडेन्ट्स रूल्स के अन्तर्गत जो सुविधा दी गयी है उसी के अनुसार रोडवेज विभाग के कर्मचारियों को भी दी गयी है। इसके साथ-साथ सेंट्रल वर्कशाप, कानपुर, में जहां डेढ़ हजार कर्मचारी काम करते हैं वहां पर एक मेडिकल आफिसर की नियुक्ति बहुत दिनों से की गयी है जो कि उनकी दवा करते हैं।

इलाहाबाद के बस स्टेशन को बढ़ाना

*६९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के बस स्टेशन पर मुसाफिरों के ठहरने के लिये किसी साये का प्रबन्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर कोई शेड तथा मूत्रालय का उचित प्रबन्ध करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

डाक्टर सीताराम—इलाहाबाद बस स्टेशन पर मुसाफिरखाना बना है जहां पर यात्रियों के ठहरने का उचित प्रबन्ध है। पुरुषों तथा स्त्रियों के लिये मूत्रालय भी अलग-अलग बने हुये हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय वहां पर अधिक यात्रियों की संख्या और स्थानाभाव को देखते हुये और शेड छुड़वाने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सीताराम—उसको बढ़ाने के लिये इन्तजाम किया जा रहा है और शायद काम शुरू भी हो गया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो वहां पर प्रबन्ध हो रहा ह वह कब तक पूरा हो जायगा?

डाक्टर सीताराम—समय बताना तो कठिन है लेकिन आशा की जाती है कि शीघ्राति-शीघ्र हो जायगा।

आजमगढ़-महाराजगंज बस सर्विस के लिए प्रार्थना तथा बस स्टेशनों पर आवास व्यवस्था

*७०—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में आजमगढ़ से महराजगंज वाया कप्तानगंज बस सर्विस चालू करने के निमित्त कोई आवेदन-पत्र इस वर्ष वहां की जनता की ओर से आया था? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

डाक्टर सीताराम—जी हां, निकट भविष्य में इस मार्ग पर सरकारी बसें चलाना सम्भव नहीं है।

*७१—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के समस्त जिलों में रोडवेज कन्डक्टरों एवं ड्राइवरों के नांइट हाल्ट के निमित्त आवास की व्यवस्था है? यदि हां, तो कहां-कहां पर है और कहां-कहां पर उक्त व्यवस्था सरकार करने जा रही है?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं। अभी केवल देहली, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोंडा, बलरामपुर, नैनीताल, आगरा, मथुरा, वाराणसी, चारबाग (लखनऊ) तथा राबर्ट्सगंज में आवास की व्यवस्था है। जौनपुर, जीरो रोड, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, इटावा, फैजाबाद, बस्ती, कानपुर, शिकोहाबाद, अलीगढ़, बुलन्दशहर, हरद्वार, देहरादून, चन्दौसी, बरेली तथा एटा में व्यवस्था का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह देखते हुए कि महराज-गंज एक बहुत ही चालू कस्बा है इसलिये इस रूट पर बस सर्विस चलाने के लिये सरकार विचार करेगी?

डाक्टर सीताराम—राष्ट्रीयकरण योजना के अन्तर्गत तो सरकार की यह नीति है कि धीरे-धीरे राज्य पथ परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय लेकिन धनाभाव के कारण उत्तर प्रदेश में जितने रूट्स हैं उनको एक साथ लेना सम्भव नहीं है लेकिन जिस स्थान का अभी माननीय सदस्य ने जिक्र किया वहां पर दो प्राइवेट बसेज चलती हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस कन्डक्टरों और ड्राइवरों के लिये नाइट हाल्स कुछ जिलों में बनाये जा रहे हैं, उसके सम्बन्ध में क्या सरकार के पास कोई योजना है कि पूरे प्रदेश के अन्दर कितने वर्षों में नाइट हाल्स बन जायंगे ?

डाक्टर सीताराम—उस योजना के अन्तर्गत ही आप देखेंगे कि अब तक १४ आवास बने लेकिन १९६०–६१ में पूरे प्रान्त में करीब १५ जगहों पर और आवास बनाये जायंगे।

रोडवेज कर्मचारियों की हाईकोर्ट से कथित बहाली

*७२—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (अनुपस्थित)—क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि १–१–५४ से ३१–१२–५४ तक प्रदेश की राजकीय रोडवेज के कितने ऐसे कर्मचारी हाई कोर्ट द्वारा पुनः नौकरी पर बहाल किये गये जिन्हें विभाग द्वारा सेवामुक्त कर दिया गया था और उन्हें कुल कितना धन वेतन व हर्जाने के रूप में सरकार को देना पड़ा ?

डाक्टर सीताराम—जनवरी १, १९५४ से दिसम्बर ३१, १९५४ तक प्रदेश की राजकीय रोडवेज का कोई भी कर्मचारी, विभाग द्वारा सेवामुक्त कर दिये जाने के बाद उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नौकरी पर पुनः बहाल नहीं किया गया। अतः वेतन व हर्जाने के रूप में सरकार को कोई धन नहीं देना पड़ा।

*७३—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त नौकरी पर बहाल किये गये व्यक्तियों में से कितनों ने वेतन व हर्जाने के क्लेम नहीं किये?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न नहीं उठता।

*७४—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो धन सरकार को वेतन व हर्जाने के रूप में देना पड़ा उसमें से कितना सरकार को भुगतना पड़ा और कितना सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारियों (जिनके आदेश हाई कोर्ट ने अवैध कर दिये थे) से recover किंवा realise किया गया ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न नहीं उठता।

कौड़िया थाना क्षेत्र में चोरियां तथा डकैतियां

*७५—**श्री अमरनाथ**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ व १९५९ में कौड़िया थाना, जिला गोंडा के अन्तर्गत कितनी चोरियां तथा कितनी डकैतियां हुईं ?

श्री रामस्वरूप यादव—३६ चोरियां तथा ३ डकैतियां हुईं।

*७६—**श्री अमरनाथ**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इनमें से कितनों पर मुकदमें चलाये गये और कितनों में अभियुक्तों का पता नहीं चला ?

श्री रामस्वरूप यादव—डकैतियों के तीनों मामलों में और २० चोरियों के मामलों में मुकदमें चलाये गये और १६ चोरियों के मामलों में अभियुक्तों का पता नहीं चला।

श्री अमरनाथ—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इनमें सशस्त्र डकैतियां कितनी हुईं और इन चोरियों में कितनी सेंध लगा कर की गईं ?

श्री रामस्वरूप यादव—चार चोरियां सेंध लगा कर हुईं या ताला तोड़ कर हुईं और ९ खुले स्थान या खुले दरवाजे में की गईं। डकैतियों के सम्बन्ध में पूरी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन चोरियों और डकैतियों का सरकारी कर्मचारी पता नहीं लगा सके, उनके लिये क्या सरकार सी० आई० डी० नियुक्त करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं, चोरियों के लिये सी० आई० डी० नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अमरनाथ—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि चोरियों और डकैतियों की वृद्धि को देखते हुए क्या वे कोई ऐसे उपाय कर रहे हैं जिससे वहां चोरियां और डकैतियां अधिक न हो सकें ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है । गश्त की व्यवस्था की गई है, एक पुराने सब-इन्स्पेक्टर को भी भेज दिया है और सर्किल इन्स्पेक्टर भी निगाह रखते हैं।

बुलन्दशहर जिले में बन्दूकों के लाइसेन्स

*७७—**कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री** (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर में जनवरी, १९५९ से ३१ अगस्त, १९५९ तक बन्दूकों के लाइसेंस के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये, उनमें से कितने स्वीकृत हुये तथा कितने अस्वीकृत हुये ?

*७८—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में १ सितम्बर, १९५९ से ३१ जनवरी, १९६० तक बन्दूकों के लाइसेंस के लिये कितने-कितने प्रार्थना-पत्र आये तथा उनमें से कितने स्वीकृत हुये और कितने अस्वीकृत हुये ।

श्री रामस्वरूप यादव—सूचना एकत्रित की जा रही है।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूचना अधिक से अधिक कब तक एकत्रित हो जाएगी और क्या मुझे उपलब्ध हो सकेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—ब्योरे का प्रश्न है, २ महीने तो लग ही जावेंगे। उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—नियम यह है कि सूचना एकत्रित की जा रही है, कहने पर ये प्रश्न एजेंडा पर १५ दिन बाद फिर उपस्थित कर दिये जावेंगे । उससे ज्यादा समय लेना नियम के प्रतिकूल होगा। इसलिये कृपया १५ दिन में उत्तर दे दें।

बलिया स्टेशन पर युवती का शव मिलना

*७९—**कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि १० सितम्बर १९५९, को बलिया जिले के फैफना स्टेशन पर ३७ अप प्रयाग कटिहार फास्ट पैसेन्जर में एक बक्से में एक २० वर्षीय युवती का शव पाया गया? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले का पूर्ण विवरण बताने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—१० सितम्बर को नहीं बल्कि ९ सितम्बर, १९५९ को बलिया स्टेशन पर एक लावारिस बक्स मिला था जिसमें एक नवयुवती की लाश पायी गयी थी। विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १७६ पर)

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह देखते हुये कि यह एक बहुत ही रहस्यमय मृत्यु थी, उसकी जांच के लिये सी० आई० डी० नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---कैमिकल एग्जामिनर के पास भी भेजी गई थी, फोटो वगैरा भी लिये गये कोई कपड़ा या चिह्न नहीं मिला, जिससे कारण का पता चल सकता। साधारणतया सी० आई० डी० के सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

श्री गौरीशंकर राय---कैमिकल एग्जामिनर ने क्या रिपोर्ट दी है?

श्री उपाध्यक्ष---वह कहते हैं कि उससे भी कारण का पता नहीं चलता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट क्या है?

श्री रामस्वरूप यादव---रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने उसको संक्षेप में बता दिया है। मृत्यु के कारण का पता नहीं चल सका।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या इस सम्बन्ध में पुलिस के हाउन्ड्स और विभागीय सी० आई० डी० का भी प्रयोग किया गया था?

श्री कमलापति त्रिपाठी---लाश रेल में एक बक्स में बन्द किसी सफाई वगैरह के इंस्पेक्टर को मिली थी। वह काफी खराब हो चुकी थी। कोई उसका दावेदार नहीं था। पंचायतनामा लिखकर पोस्टमार्टम के लिये लाश गई। वहां से रिपोर्ट आई कि पता नहीं लगता है कि मृत्यु का कारण क्या है। क्योंकि शव काफी खराब हो चुका है। कैमिकल एग्जामिनर भी कुछ नहीं बता सके। मामला अभी लापता ही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में आप का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि क्या सरकार का कर्तव्य नहीं था कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, कैमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट मंगाती?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि ऐसी रिपोर्ट आनी चाहिये थी।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)---हत्या का मोटिव क्या था?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने निवेदन किया कि वह पहचानी ही नहीं जा सकी।

रामपुर निवासी, श्री हिम्मत सिंह, की शिकायत की जांच रिपोर्ट

*८०---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या तालबेहट रेंज (झांसी) के दो कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगने और रिश्वत न दिये जाने पर तमाचा मारने के विषय में श्री हिम्मत सिंह, ग्राम रामपुर, थाना तालबेहट, जिला झांसी द्वारा ८ मई, १९५९ को दिये गये प्रार्थना-पत्र की जांच डी० एस० पी० (कम्पलेंट), झांसी ने की थी? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री रामस्वरूप यादव---श्री हिम्मत सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक ७-५-५९, प्रधान मंत्री, मंडल कांग्रेस कमेटी, तालबेहट ने अपने पत्र दिनांक ८-५-५९ के साथ डी० एस० पी० कमप्लेंट्स को भेजा था। उक्त शिकायत की जांच डी० एस० पी० कम्प्लेंट्स ने की थी।

जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा।

*८१---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त जांच के आधार पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामस्वरूप यादव---डी० एफ० ओ० झांसी ने मामले की जांच की और सम्बन्धित वन अधिकारियों को दोषी नहीं पाया।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डी० एस० पी० (कम्प्लेंट्स) ने इस विभाग के ६ कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने को लिखा था जिसमें उक्त रेंज अधिकारी का साला भी शामिल था ?

श्री रामस्वरूप यादव---हां, डिप्टी साहब के सामने शहादत तो आई थी कि अधिकारी के एक रिश्तेदार भी थे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या इसमें प्रदेश या देश की रक्षा का प्रश्न निहित है जो जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखी जा सकती और सरकार इस भ्रांति को दूर करने की कृपा करेगी कि ऐसा इसलिये नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह एक अधिकारी के साले से सम्बन्धित है ?

श्री रामस्वरूप यादव---डी० एस० पी० की रिपोर्ट के बाद विभागीय अधिकारियों को अधिकार है कि सजा दें लेकिन उन्होंने अपने मातहतों को दोषी नहीं पाया। इसलिए रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या उक्त अधिकारी की ऐसी कोई सिफारिश थी कि ६ कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करें ?

श्री रामस्वरूप यादव---चूंकि विभागीय अधिकारियों ने उन्हें निर्दोष पाया इस लिये बीच वाली रिपोर्ट को यहां रखने की मैं आवश्यकता नहीं समझता।

फर्रुखाबाद अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों का चुनाव भत्ता

*८२---**श्री होरीलाल यादव**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद्, फर्रुखाबाद के कितने अध्यापक ऐसे हैं जिनको गत पंचायत चुनावों में काम करने का मार्ग व्यय आदि अभी तक नहीं मिली ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---२८ अध्यापक।

*८३---**श्री होरीलाल यादव**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह धनराशि क्या है जो अध्यापकों को मिलनी है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---१,०२४ रु० ७५ न० पै०।

श्री होरीलाल यादव---४ साल से अधिक हो गये, फिर भी अभी तक मार्ग व्यय न देने का क्या कारण है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---पहले साल तो बिल देर में आये फिर अन्तरिम जिला परिषद् के पास पैसा नहीं था, फिर उन्होंने पंचायत राज्य विभाग से पैसा मांगा जो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। इसलिये नहीं दिया गया।

सदना थाना क्षेत्र में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*८४---**श्री मूलचन्द** (जिला सीतापुर)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर की तहसील मिश्रिख के थाना सदना, पिसावां के अन्तर्गत जुलाई सन् १९५९ ई० से १२ फरवरी सन् १९६० ई० तक कितनी डकैतियां, चोरियां और राहजनी की वारदातें हुईं और उनमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १७७ पर)

श्री मूलचन्द---थाना सदना, में २ डकैतियों में केवल दो ही आदमियों के चालान क्यों हो सके हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---२ डकैतियां हुईं, २ की जांच हुई और २ ही अदालत में विचाराधीन हैं ।

श्री भजनलाल---तालिका में एक भी व्यक्ति लापता नहीं दिखाया है, तो क्या दो ही आदमियों ने दो डकैतियां डाल लीं?

श्री रामस्वरूप यादव---तालिका में मैंने व्यक्तियों की संख्या नहीं दी है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतायेगी कि जो २ चालान हुये हैं उनमें कितने व्यक्तियों का चालान किया गया है?

श्री रामस्वरूप यादव---नोटिस की आवश्यकता है।

सीतापुर पुलिस कार्यालय में बन्दूकों के लिए प्रार्थना-पत्र

*८५---श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर पुलिस कार्यालय में अब तक कितने बन्दूकों के प्रार्थना पत्र पुलिस की राय जानने हेतु पेन्डिंग पड़े हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---४४ प्रार्थना-पत्र ।

*८६---श्री गनेशीलाल चौधरी---यह प्रार्थना-पत्र अधिकतम कितने दिनों से पेन्डिंग हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---सबसे पुराना प्रार्थना-पत्र ७-१२-५९ से पेन्डिंग है।

श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह ऐसा रूल बनाने पर विचार कर रही है कि प्रार्थना-पत्रों पर शीघ्रता हो सके?

श्री रामस्वरूप यादव---विचार करने का प्रश्न नहीं है, जितनी जल्दी अधिकारी विचार करके निर्णय दे सकते हैं, वे देते हैं।

अहरोला थाना क्षेत्र के श्री श्यामप्रीतिसिंह की हत्या की जांच

*८७---श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री राजनारायण---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के अहरोला थाने के अन्तर्गत ८ फरवरी सन् ६० को श्री श्याम प्रीति सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

*८८---श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री राजनारायण---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि श्री श्याम प्रीति सिंह ने इस सम्बन्ध में गृह मंत्री को दो प्रार्थना-पत्र दिये थे जो उन्हें क्रमशः २१ जनवरी तथा २ फरवरी, १९६० को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो क्या गृह मंत्री उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, एक प्रार्थना-पत्र २० जनवरी तथा दूसरा २ फरवरी, १९६० को प्राप्त हुआ था। उक्त प्रार्थना-पत्रों को सदस्य महोदय मेरे कार्यालय में देख सकते हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस व्यक्ति की हत्या की गई थी उसने १ सप्ताह पहले और लगभग तीन सप्ताह पहले सरकार को, जो प्रार्थना-पत्र दिया था, उसमें साफ कहा था कि उसकी जान मारने की साजिश हो रही है, जिसमें पुलिस के लोग भी शामिल हैं और इस सूचना के पाने के बाद सरकार ने उसकी सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसी शिकायत हुई थी, उसको आई० जी० पुलिस के पास भेज दिया गया था।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी इस बात का पता लगाने की कृपा करेंगे कि उसके दो प्रार्थना-पत्र आये जिनमें इस बात को स्पष्ट बता दिया गया था कि पुलिस के लोगों की भी साजिश है उसकी जान मारने में तो फिर आई० जी० ने उसकी सुरक्षा के लिये क्या तात्कालिक कदम उठाये ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसकी आवश्यकता यूं नहीं है कि जो शिकायती पत्र आया था, वह हत्या होने के थोड़े दिन पहले ही आया था क्योंकि ८ फरवरी को हत्या हो गई है। हत्या की जांच के बारे में सरकार ने आदेश दे दिया है कि कोई उच्च अधिकारी उसकी जांच करे।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जानमाल की शिकायत की जो दरख्वास्तें दी जाती हैं, उसके लिये क्या कोई सीमा निर्धारित है ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसी सीमा की आवश्यकता नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि हत्या होने के बाद जो रिपोर्ट की गई उसमें भी इस बात का आरोप है कि जो हत्या की गई है उसमें पुलिस के सिपाही शामिल हैं ? तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये किसी उच्च पदाधिकरी से इस केस को इनवेस्टीगेट करायेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---उसके भाई ने ऐसी दरख्वास्त दी है कि पुलिस भी इस हत्या में शामिल है। गजेटेड आफिसर को जांच करने के लिये आदेश भेज दिये गये हैं।

मुजफ्फरनगर के नार्मल ट्रेनिंग स्कूल

*८९---**श्री रामदास आर्य** (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में कितने नार्मल अध्यापक ट्रेनिंग स्कूल जारी हैं ? उनमें किन-किन जिलों से कितने-कितने ट्रेनीज भरती हैं ? उनमें अनुसूचित व पिछड़ी जाति की संख्या क्या है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामदास आर्य---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह सूचना कब तक एकत्र हो जायगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---शीघ्र ही ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रश्न में पूछा गया है कि मुजफ्फरनगर जिले में कितने नार्मल ट्रेनिंग स्कूल हैं और उनमें कितने ट्रेनीज हैं, और यह प्रश्न १८-३-६० को स्थगित भी हो चुका है, लेकिन अब तक सूचना नहीं आई। जिले के जिन अधिकारियों से सूचना मांगी जाती है उनको मंत्रिगण तम्बीह कर दें कि जो सूचना जिले के हैड क्वार्टर से मांगी जाती है उसमें इतनी देर न होनी चाहिये। अगर सूचना इतनी देर से आयेगी तो फिर प्रश्नों का महत्व ही न रह जायगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि आइन्दा इस बात का ध्यान रखा जायगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं समझता हूं कि सूचना आजानी चाहिये थी। कुछ नये स्कूल खुले हैं और कहीं-कहीं भर्ती आखिर तक होती रही, इसी कारण से विलम्ब हुआ है। जिलों से सूचना मांगी जाती है, वह आ भी जाती है।

हरिजन कालोनी, पनिका के अनुदान का दुरुपयोग होने की शिकायत

*९०—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि मिर्जापुर जिले में हरिजन कालोनी बनवाने के लिये ग्राम बीड़र (दुद्धी) के पनिका बस्ती को बनवाने के लिये ४ हजार रुपया स्वीकार किया गया है और वह चार हजार रुपया बी० डी० ओ०, दुद्धी को पेमेन्ट कर दिया गया और उस कालोनी का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो निर्माण-कार्य किस स्थिति में है तथा उसकी प्रगति अब तक क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। नींव खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है।

*९१—श्री रामकृष्ण जैसवार (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि रुपया पेमेन्ट होने के बाद अब तक कार्य की प्रगति देखने, मौके पर, जिला हरिजन कल्याण अधिकारी एवं क्षेत्रीय हरिजन सुपरवाइजर कितने बार गये और उनकी रिपोर्ट क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हरिजन कल्याण अधिकारी ने चार बार तथा हरिजन कल्याण सुपरवाइजर ने पांच बार अन्य कार्यों के साथ-साथ बस्ती का निरीक्षण किया। जिला हरिजन कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट से मालूम पड़ता है कि बस्ती के निर्माण के लिये आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जा चुकी है और रुपये के दुरुपयोग की शिकायत असत्य प्रतीत होती है।

*९२—श्री रामकृष्ण जैसवार (अनुपस्थित)—क्या सरकार उक्त कथित पनिका कालोनी के न बनने तथा रुपये के दुरुपयोग करने के विषय में जांच कराके, जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

खीरी जिले में रिवाल्वरों के लाइसेन्स

*९३—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् ५९ से दिसम्बर, सन् ५९ तक जिला खीरी में रिवाल्वरों के कितने लाइसेन्स प्रदान किये गये और किन आधारों पर?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, १७ लाइसेन्स प्रदान किये गये। ये लाइसेन्स आवश्यक जांच के उपरान्त हैसियत और आवश्यकता के अनुसार प्रदान किय गये।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि उसमें कितने ऐसे लाइसेंस हैं जो गैर-सरकारी व्यक्तियों को दिये गये हैं, और वे कौन-कौन हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—९ व्यक्ति हैं जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। नाम के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जब वे इस बात को मानते हैं कि समाजवादी समाज की रचना करना है तो बड़ी हैसियत वालों को ही रिवाल्वर का लाइसेन्स क्यों दिया जाता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सिर्फ आर्थिक ही नहीं और हैसियत भी देखी जाती है, सामाजिक स्थिति देखी जाती है, शिक्षा इत्यादि भी देखी जाती है, समाज में उसका स्तर देखा जाता है; यह भी देखा जाता है कि वह किस तरह का काम करता है, उसकी आवश्यकता भी देखी जाती है। इन तमाम बातों को देखकर रिवाल्वर के लाइसेन्स दिये जाते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ९ व्यक्तियों में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी हैसियत का वेरिफिकेशन तहसीलदार द्वारा न किये जाने के बावजूद भी उनको लाइसेन्स दे दिया गया?

श्री उपाध्यक्ष—यह ब्योरे का प्रश्न है, इसके लिये फिर से आप सूचना दीजिये।

शाहाबाद डकैती की रिपोर्ट

*९४—**श्री बाबूराम** (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि शाहाबाद, जिला हरदोई में जनवरी सन् १९६० में डकैती पड़ी? यदि हां, तो जान व माल का कितना नुकसान हुआ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं। जनवरी, १९६० में जिला हरदोई के कस्बा शाहाबाद में कोई डकैती नहीं पड़ी। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री बाबूराम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शाहाबाद में जहां करीब २० हजार रुपये की डकैती पड़ी तथा डकैतों का मुकाबला करते हुये निगरानी करने वाले चौकीदार की आंख में भी चोट आयी, फिर भी डकैती के बजाय थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखी गयी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी शिकायत अगर माननीय सदस्य ने पहले की होती तो मैंने पता लगा लिया होता और देख लेता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डकैती हुई और रिपोर्ट लिखी गयी चोरी की।

औरैया तहसील में हरिजन कूप

*९५—**श्री सुखलाल** (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा, तहसील औरैया में भाग्यनगर ब्लाक, अजीतमल ब्लाक, तथा औरैया ब्लाक में सन् १९५७–५८ व सन् १९५८–५९ में हरिजनों के कुयें तथा मकान बनाने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये? उसमें कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये?

श्री दीनदयालु शास्त्री—भाग्यनगर, अजीतमल तथा औरैया ब्लाक में क्रमशः ८, ४६ तथा १३ प्रार्थना-पत्र कूप निर्माण हेतु प्राप्त हुये और सभी नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये।

मकान बनाने के लिये ब्लाक फण्ड से कोई अनुदान नहीं दिया जाता।

*९६—**श्री सुखलाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा, तहसील औरैया में भाग्यनगर ब्लाक, अजीतमल तथा औरैया ब्लाक में सन् १९५७–५८, १९५८–५९ में हरिजनों के कितने कुयें तथा मकान बन कर तैयार हो गये?

श्री दीनदयालु शास्त्री—सन् १९५७–५८ व १९५८–५९ में नियोजन विभाग के फंड से ब्लाक औरैया में ४ तथा ब्लाक अजीतमल में ८ कुओं का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसके अतिरिक्त हरिजन सहायक विभाग के फंड से अजीतमल ब्लाक में १ कुयें का, भाग्यनगर ब्लाक में ५ कुओं का तथा औरैया ब्लाक में ४ कुओं का निर्माण-कार्य पूर्ण हुआ।

श्री सुखलाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सभी प्रार्थना-पत्र जो कुएं के लिये आये उनमें से कितने कुएं अधूरे पड़े हैं और कब तक पूरे हो जायेंगे तथा फी कुआं कितना कितना धन प्राप्त हुआ ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---अभी कुछ कुंओं पर काम चल रहा है । लेकिन अजीतमल ब्लाक में ३१, औरैया में ४ और भाग्यनगर में जो अनुदान स्वीकृत किये गये थे वे इसलिये रद्द किये गये कि जो लेने वाले थे, उन्होंने ठीक समय से काम शुरू नहीं किया ।

अलीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*९७---**श्री भूपकिशोर** (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या दिनांक २१-१२-५९ ई० को ग्राम फर्दपुरा व ग्राम नगला डम्बर, मजरा अल्पापुर, थाना अलीगंज, जिला एटा के निवासियों ने मुख्य मंत्री महोदय को पुलिस की शिकायत के सम्बन्ध में अर्जी दी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां ।

*९८---**श्री भूपकिशोर**---यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही सरकार ने की ? क्या सरकार को यह भी मालूम है कि जिन उपरोक्त व्यक्तियों ने २१-१२-५९ ई० को पुलिस की शिकायत की अर्जी माननीय मुख्य मंत्री महोदय को दी थी उन व्यक्तियों का चालान माननीय मुख्य मंत्री महोदय को अर्जी दिये जाने के बाद में पुलिस द्वारा किस जुर्म में किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार ने जांच कराई । आरोप निराधार पाए गए । दो प्रार्थियों पर चोरी का मुकदमा प्रार्थना-पत्र देने से पहले ही कायम था जो अब अदालत के विचाराधीन है । तीसरे व्यक्ति का चालान धारा १९ (एफ) आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत देसी पिस्तौल व कारतूस १४-१-६० को बरामद होने के कारण किया गया ।

श्री भूपकिशोर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री महोदय को २१-१२-५९ को थानेदार अलीगंज के विरुद्ध शिकायती अर्जी देने वालों में से रामलड़ैत भी था, इसी वजह से उपरोक्त थानेदार ने १४-१-६० को राम लड़ैत का झूठा चालान पिस्तौल कारतूस लगा कर कर दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, यह मामला मंडलाधीश के विचाराधीन है । अपने डिफेन्स में इस तथ्य को वहां पेश किया जा सकता है ।

बेला थाना क्षेत्र में डकैती व कत्ल

*९९---**श्री मलिखानसिंह** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा के थाने बेला में सन् १९५९-६० में कितनी डकैतियां व कत्ल हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव---१९५९ में १ डकैती व ४ कत्ल की घटनाएं तथा १९६० में अब तक केवल १ कत्ल की घटना हुई । डकैती कोई नहीं हुई ।

श्री मलिखानसिंह---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनको इस बात की जानकारी है कि १९६० में बेला थाने में डकैती पड़ी और वह दर्ज नहीं की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसी कोई सूचना तो नहीं है और न ऐसी किसी शिकायत का ही स्मरण पड़ता है ।

श्री मलिखानसिंह---क्या मंत्री महोदय इस प्रश्न को सूचना मान कर जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, करेंगे ।

दीवानसिंह का शव घूमाकोट के निकट पेड़ पर मिलना

*१००---श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)---(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या नैनीडांडा, तहसील लैंसडाउन, जिला गढ़वाल में दिनांक २४-१-६० को दीवानसिंह नाम के एक होटल वाले को गिरफ्तार कर के घूमाकोट लाया गया था ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि २६-१-६० तक उसको लोगों ने देखा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---(क) दिनांक २४-१-६० को पट्टी पटवारी घूमाकोट ने दीवान सिंह को पूछताछ करने के लिये चौकी पर बुलाया था।

(ख) जी हां।

*१०१---श्री रामप्रसाद नौटियाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २९-१-६० को इसी आदमी की लाश घूमाकोट रेन्ज क्वार्टर के पास एक पेड़ पर लटकी हुई पायी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां।

*१०२---श्री रामप्रसाद नौटियाल---(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह इस सिलसिल म क्या कार्यवाही कर रही है ?

(ख) क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या इस लाश का पोस्टमार्टम काशीपुर में कराया गया ? यदि हां, तो इस लाश का पोस्ट मार्टम लैंसडाउन में न करा कर काशीपुर में कराने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---(क) इस संबंध में खंड मंडलाधीश, लैन्सडाउन द्वारा जांच की गई है और उनकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी हां। लाश को लैन्स डाउन ले जाने की उचित व्यवस्था न हो पाने के कारण इसे काशीपुर, जो घटनास्थल के समीप है, ले जाया गया।

थानेदारों के खिलाफ मुकदमें

*१०३---श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि समस्त उत्तर प्रदेश में सन् १९५७ ई० से अब तक कुल कितने थानेदारों के खिलाफ criminal तथा civil मुकदमें पब्लिक द्वारा चलाये गये ?

*१०४---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपरोक्त अवधि में कुल कितने एस० ओ० तथा Sub-Inspector of Police मुअत्तिल तथा बरखास्त हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

नार्मल ट्रेनिंग स्कूल, तिलहर का स्थानान्तरण

*१०५---श्री रूर्मसिंह---क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तिलहर, जिला शाहजहांपुर में जनवरी, ६० में जो नार्मल स्कूल खोला गया है उसमें कितने अध्यापक हैं और कितने विद्यार्थी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---८ अध्यापक तथा ४४ छात्र।

नोट---तारांकित प्रश्न ९९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*१०६—श्री रूर्मासिंह—क्या यह भी सही है कि सरकार का इरादा उपरोक्त नार्मल स्कूल को किसी दूसरी जगह स्थानान्तरित करने का है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, इस समय तिलहर में नार्मल स्कूल एक किराये के भवन में खोला गया है। विद्यालय का स्थायी भवन उसी जिले में ददरौल में बन रहा है। भवन तयार हो जाने पर विद्यालय को तिलहर से ददरौल स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

मंगलपुर थाने की पुलिस द्वारा किसानों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत

*१०७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या थाना मंगलपुर, जिला कानपुर के सम्मुख एवं सन्निकट १५ दिसम्बर, १९५९ को श्री गजेन्द्र सिंह एम०-एल० ए०, श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव एम० एल० सी० तथा अन्य प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं तथा किसानों के प्रति स्थानीय पुलिस द्वारा किये गये एवं कराये गये दुर्व्यवहार की कोई शिकायत आई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी, उसकी जांच की गई, किन्तु ऐसे कोई तथ्य नहीं पाये गये जिनके आधार पर पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाय।

जौनपुर जिले में हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति देने में अनियमितता की शिकायत

*१०८—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जौनपुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग की ओर से १० वीं कक्षा तक सन् १९५९–६० के लिये जो छात्रवृत्ति दी गई है, उसमें कुछ छात्र, जो प्रथम श्रेणी के और गरीब हैं, न देकर उनसे कम नम्बर प्राप्त करने वाले छात्रों को दी गई है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना-पत्र भेजने की अन्तिम तिथि तक आये हुये प्रार्थना पत्रों में से कोई भी प्रथम श्रेणी का छात्र छात्रवृत्ति के लिए नहीं छोड़ा गया। वितरण योग्यता तथा निर्धनता के आधार पर किया गया।

*१०९—श्री रामसमझावन—क्या इसकी शिकायत डी० आई० ओ० एस०, जौनपुर से की गई है ? यदि हां, तो इसमें उन्होंने क्या किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

त्यागपत्र देने वाले अध्यापकों का अवशेष वेतन

*११०—श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने व्यक्तियों ने शिक्षा विभाग के अध्यापक वर्ग से १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में त्याग-पत्र दिये तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को तनख्वाह के शेष धन अभी तक अदा नहीं किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१९५७–५८ तथा १९५८–५९ में त्यागपत्र देने वाले अध्यायकों, अध्यापिकाओं की संख्या १९९ थी जिनमें से २४ के अवशेष वेतन का भुगतान नहीं हुआ।

*१११—श्री वीरसेन—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अदायगी में देरी के क्या कारण है तथा कौन अधिकारी उक्त देरी के लिये उत्तरदायी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--देरी के लिये उत्तरदायी अध्यापक स्वयं हैं क्योंकि कुछ ने जाते समय अपने पद का कार्य भार नहीं दिया, कुछ ने अपना पता ही नहीं छोड़ा और कुछ ने छुट्टी ली थी, लेकिन उचित चिकित्सा प्रमाण-पत्र नहीं दिया तथा कुछ की सेवा पंजिका ही अपूर्ण है।

*११२--**श्री वीरसेन**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य में ऐसी देरी को रोकने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--शिक्षा संचालक द्वारा उचित आदेश दिए गए हैं।

झांसी के दो पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध माननीय न्यायाधीश ए० एन० मुल्ला की कड़ी आलोचना

*११३--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार तारांकित प्रश्न संख्या ३७, दिनांक ६ अगस्त, १९५९ के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सदर बाजार, झांसी के पुलिस अफसरों को चाट खिलाने के लिये अपनी दुकान थाने में न ले जाने के दंडस्वरूप हवालात में बन्द किये जाने के विरोध में वहां पर जो आम हड़ताल व सार्वजनिक सभा हुई थी तथा वहां के एम० एल० ए० चौधरी गज्जू राम व अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों का डेपुटेशन उस समय के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से सम्बन्धित पुलिस वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिये मिला था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। इस संबंध में दिनांक १९-१-५६ को झांसी में एक सार्वजिनक सभा हुई थी, परन्तु कोई आम हड़ताल नहीं हुई।

डेपुटेशन मिला या नहीं इसका रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।

*११४--**श्री लक्ष्मण राव कदम**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त हड़ताल, सार्वजनिक सभा व डेपुटेशन के बावजूद भी सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के बजाय उन लोगों के विरुद्ध चाट वाले के दावा करने पर असिस्टेंट कोर्ट इंसपेक्टर को उनकी पैरवी करने के लिये मुकर्रर किया गया था।

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

*११५--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि माननीय जस्टिस वी० दयाल ने उक्त मामले में दो सेकिन्ड अफसरों को सौ सौ रुपया जुर्माने की सजा देते हुये जो निम्नलिखित stricture पास किया है उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी--

"The assistant public prosecutor's appearance on behalf of the accused in this case was highly reprehensible. The State should see to it that this practice was not followed.?"

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह stricture माननीय जस्टिस ए० एन० मुल्ला ने पास किए थे और इसमें उठाया गया प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

एटा जिले में चोरियां तथा डकैतियां

*११६--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले में जनवरी, १९५९ ई० से नवम्बर, १९५९ ई० तक कौन-कौन से थानों में चोरियां या डकैतियां हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १७८ पर।)

प्रश्नों के संबंध में प्रार्थना

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, मुझे प्रश्न नम्बर १०० और १०१ के विषय में कहना है कि वह रह गये हैं। इधर और उधर के सभी माननीय सदस्यों का निवेदन है कि पुलिस की कस्टडी में आदमी मरा है, वह बहुत जरूरी हैं, उन्हें स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, आप स्थान ग्रहण करें। आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे दें, दो तीन दिन में जवाब दिलाने की कोशिश की जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में ....

श्री उपाध्यक्ष---आप अपना स्थान ग्रहण करें, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप चेम्बर में बात कर लें अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मेरा कहना यह था कि. ....

श्री उपाध्यक्ष---मैं कह रहा हूं आप बैठें।

एक सदस्य---श्रीमन्, २८ तारीख की छुट्टी थी, उस दिन के प्रश्न क्या हुये ?

श्री उपाध्यक्ष---उन का दूसरी तारीखों में समावेश हो गया, वह आगे फिर आवेंगे। वह २८ तारीख से हटकर किसी और खास तिथि को फिर आवेंगे।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) (पंचम) आज्ञा, १९६०*

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से १५ मार्च, १९६० के उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट में प्रकाशित उत्तर प्रदेश, नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) (पंचम) आज्ञा, १९६० को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५८० की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---मेरे पास दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं, एक श्री भजन लाल का है कि इटावा जिले में लखना के गिरोह ने ११ घरों को लूटा है और ५०,००० रुपए का जेवर लूटा है। इसका सम्बन्ध स्थानीय प्रशासन से है और सरकार से कोई सीधा स्पष्ट सम्बन्ध इस का नहीं है। जो साधन उन्हें उपलब्ध हैं उनको वह इस सम्बन्ध में शरण ग्रहण करें। इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं। दूसरा माननीय जंग बहादुर का है।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)---श्रीमन्, हमारे यहां डाकुओं का....

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया बैठें।

दूसरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री जंग बहादुर वर्मा का है जो बाराबंकी में चेचक के प्रकोप के बारे में है। इसका भी वहां के स्थानीय प्रशासन से सम्बन्ध है। इसलिये मैं इस को भी इजाजत नहीं देता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, डकैतियां होती हैं. ....

---

*छापी नहीं गयी।

श्री उपाध्यक्ष——आप कृपया बैठें, आप नियमावली पढ़ लें। यह तो बहुत ही गलत है वास्तव में कि आप रोज-रोज इस प्रकार खड़े हो जायं, मैं आप को बैठा रहा हूं और आप कहे जा रहे हैं।

जालौन जिले के पुलिस कप्तान द्वारा बसड्राइवर, श्री विश्वनाथ, के पीटे जाने के फलस्वरूप बस कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष——अब नियम ५२ के अन्तर्गत कई प्रश्न उपस्थित किये गये हैं। श्री गोविन्द नारायण तिवारी के प्रश्न को महत्वपूर्ण समझ कर मैं उसकी इजाजत देता हूं। कल भी यह प्रश्न श्री गौरी शंकर राय ने उपस्थित किया था, अब उसके विषय में स्थिति स्पष्ट हो गई है इसलिये मैं उसकी इजाजत दे रहा हूं। वह इस प्रकार है—"जिला जालौन में पिछली २९ मार्च को उरई से कालपी जाने वाली बस के ड्राइवर श्री विश्वनाथ को पुलिस कप्तान ने पास देने में तनिक विलम्ब होने पर स्वयं पीटा और बस को मये मुसाफिरों के उरई १६ मील वापस ले गये। ड्राइवर को हवालात में बन्द कर दिया। उरई कोतवाली में पुनः श्री विश्वनाथ को बेरहमी से पीटा। इस घटना के पूर्व भी पुलिस कप्तान महोदय दो बार अन्य ड्राइवरों को स्वयं पीट चुके हैं। इस घटना के विरोध में जिले भर के बस कर्मचारियों के हड़ताल कर देने से स्थिति गंभीर हो गई है। कल ३१ मार्च को पुलिस द्वारा हड़तालियों को डराने व धमकाने एवं बल प्रयोग करने के कारण स्थिति और अधिक गम्भीर हो रही है। जिले का यातायात ठप हो गया है। जनता में घोर असंतोष और क्षोभ व्याप्त है। उक्त परिस्थिति की ओर मैं गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं"।

माननीय गृह मंत्री जी इस सम्बन्ध में चाहें तो वक्तव्य दें।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)——सूचना मंगाई गई है, दो दिन का समय दे दें, सोमवार को सूचना दे दी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष——अच्छी बात है।

४ अप्रैल को सदन की बैठक न करने का सुझाव

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)——उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राम नवमी के संबंध में सदन के नेता से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, वह यह कि दूसरी और तीसरी तारीख को छुट्टी है और ५ तारीख को रामनवमी की छुट्टी है। सिर्फ ४ तारीख बीच में पड़ता है। ऐसी दशा में सदस्यों को घर जाकर लौटने में दिक्कत पड़ेगी। एक दिन की छुट्टी यदि और कर दी जाय तो बड़ी कृपा होगी। उन छुट्टियों में सरकार को कोई मार्ग व्यय आने-जाने का नहीं देना पड़ेगा, इसलिये खर्च का सवाल भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष——इस संबंध में मैं पूछ लेता हूं मुख्य मंत्री जी से, लेकिन व्यवस्था यह होनी चाहिये और वास्तव में यह अध्यक्ष का कार्य है कि आप लोगों की कठिनाई जानकर इस किस्म की व्यवस्था माननीय नेता सदन से बातचीत करके करें। भविष्य में आप लोग अपनी कठिनाई बता दिया करें तो आसानी हो जायगी।

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)——माननीय पालीवाल जी के किसी अनुरोध को टालना मेरे लिये बहुत ही मुश्किल है, इसलिये मैं उनकी इच्छा के अनुसार ऐसा किये देता हूं कि ४ तारीख की सदन की बैठक न हो।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक, १९६०

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक, १९६०, (Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Bill, 1960) को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक, १९६० को पुरः स्थापित करने के लिये अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक, १९६० (Uttar Pradesh Khadi and village Industries Board Bill, 1960) को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १७९–१९० पर)

गवर्नमेंट ग्राण्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०*

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद शुक्ल)--मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, [The Government Grants (Uttar Pradesh Amendment Bill, 1960] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स ऐक्ट, १८९५ में गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५९ द्वारा जो संशोधन किया गया था उसकी धारा २ की शब्दावली से कुछ भ्रांति उत्पन्न हो गई है और उसका यह आशय लगाया जाने लगा है कि उस धारा में जिन अधिनियमों का उल्लेख है, उनके प्रवर्तन से नहीं, बल्कि भविष्य में बनाये जाने वाले अधिनियमों के प्रवर्तन से भी बचा जा सकता है, जैसे कि जोतों पर सीमा आरोपण का विधेयक है। और यह भी आशंका उत्पन्न हो गई है कि जमींदारी विनाश और भूमि सुधार व्यवस्था अधिनियम जो १९५० में पारित हुआ था उसकी धारा ४ के अन्तर्गत जो आस्थान सरकार में निहित हो जाते हैं उनको भी इसकी शब्दावली के अर्थ के तोड़-मरोड़ से वापस किया जा सकता है। इस आशंका को दूर करने के लिये और भविष्य में जब कि जोतों पर सीमा आरोपण का विधेयक सदन द्वारा पारित हो जायगा, उसके प्रवर्तन से भी न बचा जा सके, इस बात की आवश्यकता हो गई है कि इस संशय को दूर किया जाय और इसी हेतु यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है। विधान परिषद् ने इसको स्वीकार कर लिया है और यह आशा की जाती है कि यह सदन भी इसको स्वीकार करेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा था, वह यह कि इस बिल के संबंध में मैंने एक संशोधन भेजा था और वह संशोधन नियम १६८ के मुताबिक था।

श्री उपाध्यक्ष--आपका संशोधन जो था, यदि आप उसको फिर से पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि इस बिल से उसका कोई संबंध नहीं था। आप उसको देख लीजियेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--वह इस संबंध में था....

श्री उपाध्यक्ष--वह नियमानुकूल नहीं था। आप विरोध करना चाहते हैं तो बोलिये।

---

*१७ फरवरी, १९६० की कार्यवाही में छपा है।

*श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स बिल का संबंध उन जमीनों से है जिन पर सरकार अपने निजी प्रबन्ध के साथ कृषि आदि करती है और सरकार को भय है कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के अन्तर्गत वह दफा ४ के मुताबिक जिसमें पावर्स वेस्ट कर दी गई है ग्राम समाज में उसके अन्तर्गत न आ जायं। ऐसे हिस्सों में जो सरकार के द्वारा कृषि की जाती है उनके बारे में जो सूचना हम लोगों को मिली है उससे स्पष्ट है कि वहां बेमन से काम किया जा रहा है और उनका उत्पादन भी सालाना कम होता जाता है। लेकिन विरोधी पक्षों द्वारा आपत्ति उठाये जाने के बाद भी सरकार ने इधर ध्यान नहीं दिया कि इन फार्मों को लाभजनक बनाया जाय। अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि इन कृषि फार्मों पर करीब १२,००,००० रुपये की हानि हो जाया करती है। अगर इस तरह इन भूमियों से सरकार को नुकसान होता रहेगा और जनता के धन का इस तरह अपव्यय होता रहेगा तो उचित नहीं होगा, अगर यही जमीन आसपास के भूमिहीन कृषकों को दे दी जाती तो वे उस पर ज्यादा लाभकर तरीके से पैदा कर पाते हैं और सरकार के फार्म सरकारी सहायता के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये इन सब बातों को देखते हुए सरकार जो उन जमीनों पर विशेष रियायत चाहती है उस पर हमें आपत्ति है। जब इन पर माडेल रूप में कृषि करना शुरू किया था और कोई लाभ नहीं हुआ तो वह भूमि भूमिहीनों को बांट दी जाती। ऐसा न करके सरकार उन सभी सम्भावित कानूनी आपत्तियों से भी बचना चाहती है कि किसी भी रूप में वह सरकार के हाथ से न निकले। मैं इस संशोधन का इसलिये विरोध करता हूं कि इससे सरकार एक स्थायी मोनोपली बना लेती है जो जमीन के विभाजन के सिद्धान्त के प्रतिकूल भी है। जमीन जोतने वाले को ही मिलनी चाहिये। ऐसी हालत में मैं समझता हूं सरकार जो इस विधेयक के द्वारा अधिकार ले रही है वह अनुचित है और जो रिजरवेशन प्राप्त किया जा रहा है वह और भी अनुचित है। इस संशोधन को इतनी जल्दी पास न किया जाय, क्योंकि बिचार करने का मौका कम मिल पाया है, संशोधन भी नहीं आ सके, यद्यपि मेरा प्रवर समिति को भेजने का संशोधन था, लेकिन मैं फिर भी संशोधन लाने की इच्छा रखता हूं क्योंकि जिस रूप में यह है यह अनुचित है। यह सरकार की एक मोनोपोलिस्टिक ढंग का अधिकार दे रहा है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मैं चाहता था कि इस मामले में जो थोड़ा साभ्रम माननीय अवस्थी जी को है यदि उसकी सफाई माननीय राजस्व मंत्री जी ने कर दी होती तो शायद अवस्थी जी को तकलीफ न होती। इस विधेयक का उद्देश्य जो मैं समझ पाया हूं, उसे बतलाये देता हूं और अगर मैं गलती करूं तो उसमें राजस्व मंत्री जी सुधार कर देंगे। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-सुधार कानून के परव्यू में उस पट्टे को रखना चाहते हैं माल मंत्री जी। उसकी सुरक्षिमेसी होगी जो गवर्नमेन्ट ने ग्रान्ट किया है, उस पट्टे की शर्तों की सुरक्षिमेसी नहीं होगी। जो जमीन की हदबन्दी हो रही है उस जमीन के कानूनों की हदबन्दी के अन्तर्गत उसको रखना होगा। अगर ऐसी बात है तो यह कोई अच्छा निजाम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं चाहता हूं कि अगर कोई गलतफहमी हो तो बीच में स्पष्ट कर दी जाय।

न्यायमंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--ठीक है।

श्री गेंदासिंह--मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं ठीक ठीक स्पिरिट को समझ पाया हूं। मैं समझता हूं कि उसमें ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। मैंने भी जब पहले पहल पढ़ा तो माननीय अवस्थी जी की तरह भ्रम हुआ लेकिन फिर पढ़ने की कोशिश की और दोबारा पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जो अभी आपसे निवेदन किया, वही उसका उद्देश्य है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझे निजी तौर पर जानकारी है कि कहीं-कहीं पर गवर्नमेन्ट की तरफ से ऐसे पट्टे दिये जा चुके हैं जिनके पास १,००० एकड़, ५०० एकड़ या इससे ज्यादा एकड़ की जमीन इन पट्टों की शर्तों के अधीन उनके पास है और उन पट्टों में जो शर्तें हैं उन शर्तों को इस वक्त किसी तरह निभाया नहीं जा सकता। जो सामाजिक अवस्था है उसमें पट्टों की शर्तों को निभाना संभव नहीं। जमींदारी विनाश कानून की जो चौथी धारा है उसके अधीन सभी आस्थान वेस्ट कर गये इस्टेट में। लेकिन कुछ लोग उच्च न्यायालय में जाकर अपनी जमीनों को बचाना चाहते है। कुछ लोगों ने तो अपनी जमीनों को जोत लिया है या उन्होंने अपने पट्टों की जमीनों को जोतने के लिये उठा दिया है और उसके लिये उन्होंने गहरी रकमें ले ली हैं और वे लोग पुराने पट्टों की शर्तों के हिसाब से उनके हुकूक की अदालतों से रक्षा करना चाहते हैं। तो अगर ऐसे लोगों को अदालतों की रक्षा मिल गयी तो हजारों काश्तकार अपने हुकूक से महरूम हो जायंगे।

लैन्ड सीलिंग का जिस प्रकार का बिल आया है उसके संबंध में मैं कुछ अधिक चर्चा नहीं करना चाहता। मैंने डिसेंटिंग नोट लिखा है, माननीय अवस्थी जी उसे पढ़ेंगे। उससे मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूं, जो लैन्ड सीलिंग वाला विधेयक प्रवर समिति से लौटा है, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसी गुंजायश हो कि कुछ जमीन निकल सकती है उन पट्टों से तो वह लैन्ड सीलिंग के परव्यू के भीतर बनी रहे, ऐसा यत्न हमको करना चाहिये। इस विधेयक में जो लिखा गया है उससे लगता है कि उस लैन्ड सीलिंग के परव्यु के भीतर ये पट्टेदार हो जायंगे। लेकिन वह पट्टेदार अगर उस लैन्ड सीलिंग के परव्यू के भीतर हो जायगा तो जोतने वालों को काफी सहूलियत हो जायगी, जोतने वालों को काफी हक मिल जायेंगे। किसी भी प्रगतिशील आदमी के लिये मैं समझता हूं कि यह उचित बात होगी। इसलिये मैं माननीय अवस्थी जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह अपना विरोध वापस लें और इस विधेयक को जल्दी से जल्दी पास हो जाने दें ताकि जो इसका उद्देश्य है उसमें वह सफल हो सकें।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी दृष्टि की प्रशंसा करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो उसमें धुंधलापन है वही अब साफ हो रहा है। १८९५ का जो गवर्नमेन्ट ग्रांट्स ऐक्ट था, उसके रास्ते में १९२६ और १९३९ के ऐक्ट बहुत ही बाधक रहें हैं। १९५९ में कुछ कोशिश की गयी थी लेकिन उससे भी सफाई नहीं होती। अब हमारे सामने सीलिंग की बात भी आ रही है। यदि यह विधेयक स्वीकार न किया जाय तो जिस महान उद्देश्य की प्राप्ति की ओर माननीय गेंदा सिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में संकेत किया उसमें बड़ी बाधा पड़ेगी। इसलिये मैं माननीय गेंदा सिंह जी की बात की ताईद करता हूं और चाहता हूं कि यह विधेयक जल्दी से जल्दी स्वीकार किया जाय ताकि जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके और, जो बाधायें उसके रास्ते में हैं, वह दूर हो जायं। इन शब्दों के साथ मैं इसकी ताईद करता हूं। यह बहुत ही निर्दोष, उद्देश्यपूरक विधेयक है जिसमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, जैसा कि हमारे भाई गेंदा सिंह और राम लखन जी ने कहा और हमारे उपमंत्री ने कहा यह बहुत साफ है। जो मौजूदा ऐक्ट है उसमें थोड़ी-सी हमें उजलत प्रतीत होती है। हम चाहते हैं कि मामला बिल्कुल साफ हो जाय। हम सीलिंग लगाने जा रहे हैं। अगर हम यह विधेयक न पास करें तो जिन बड़े-बड़े लोगों पर सीलिंग लगेगी, उनको यह कहने की गुंजायश होगी कि सीलिंग हम पर अब नहीं लगेगी, गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स ऐक्ट के प्राविजन्स हमें बचाये हुए हैं। तो इसलिये हम यह बिल लाये हैं।

दूसरी बात यह है कि दफा ४ में जो वेस्टिंग हो गयी है उसके बारे में भी वे लोग कुछ कहना रहे हैं कि वह वेस्टिंग भी इससे बच जायगी तो उसको भी रोकथाम करनी जरूरी थी। अभी फैजाबाद में कोर्ट ने एक यह फैसला दे दिया था कि आगरा टेनेन्सी

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

ऐक्ट में जो हकूक पैदा हो जाते हैं वह गवर्नमेन्ट ग्रांट वाले में भी हो जायंगे। उससे भी बचना चाहते हैं। आगरा टेनेन्सी ऐक्ट और इससे कोई संबंध न रहे, हम यह करना चाहते हैं। लोग तैयारी कर रहे हैं रिट या और तरीके से अदालतों में जाने की। तो हम भी अगर वह "डार डार तो हम पात पात" रहना चाहते हैं ताकि जो उद्देश्य हमारा इन कानूनों के बनाने में रहा है उसमें कोई झंझट न पैदा हो। १९५९ में कुछ कोशिश की गयी थी लेकिन आप जानते हैं कि अनडेवलप्ड कंट्रीज में जब डेवलपमेन्ट शुरू होता है उसको देखकर नई स्थितियां सामने आ जाती हैं उनके अनुसार कदम आगे बढ़ाया जाता है। इन कारणों से ही यह विधेयक लाया गया है। मुझे आशा है कि सदन इसको मंजूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---मेरा खयाल है कि देवरिया से इसका बहुत संबंध है। (हंसी)

श्री हुकुम सिंह विसेन---परन्तु कोई नाजायज संबंध नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---अभी न्याय मंत्री जी का यह पहला भाषण ह। मैं भी कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---अब इसके लिये अवसर नहीं है।

प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट ग्राण्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड २---३

ऐक्ट संख्या, १५ २---गवर्नमेंट ग्राण्ट्स ऐक्ट, १८९५ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा १८९५ की गया है) की धारा २ तथा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय धारा २ तथा और सदैव से ही रखा गया समझा जाय :

३ का संशोधन

Transfer of roperty Act, 382, not to apply to Government Grants.

"2. (1) Nothing contained in the Transfer of Property Act, 1882, shall apply or be deemed ever to have applied to any grant or other transfer of land or of any interest therein, hereto before made or hereafter to be made, by or on behalf of the Government to or in favour of any person whomsoever ; and every such grant and transfer shall be construed and take effect as if the said Act had not been passed. Act IV of 1882

U. P. enancy Act, 1939 and graTenancy ct 1926 not to affect ertain leases made by or on behalf of the overnment.

(2) Nothing contained in the U. P. Tenancy Act, 1939, or the Agra Tenancy Act, 1926, shall affect, or be deemed to have ever affected any rights, created, conferred or granted, whether before or after the date of the passing of the Government Grants (U. P. Amendment) Act, 1960, by leases of land by, or on behalf of, the Government in favour of any person and every such creation, conferment or grant shall be construed and take effect notwithstanding anything to the contrary contained in the U. P. Tenancy Act, 1939, or the Agra Tenancy Act, 1926. U. P. Act XVII of 1939. U. P. Act III of 1926.

Certain lease made by or on behalf of the Government to take effect according to their tenor.

(3) All provisions, restrictions, conditions and limitations contained in any such creation, conferment or grant referred to in section 2, shall be valid and take effect according to their tenor ; any decree or direction of a court of law or any rule of law, statute or enactment of the Legislature to the contrary notwithstanding : U. P. Act XVII of 1939. U. P. Act III of 1926

Provided that nothing in this section shall prevent, or be deemed ever to have prevented, the effect of any enactment relating to the acquisition of property, land reforms or the imposition of ceiling on agricultural land."

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९५९ का निरसन यू० पी० ऐक्ट १, १९०४

३--गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५९ उसके प्रवर्तन के दिनांक से निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होत हुए भी सदैव यह समझा जायगा कि उक्त अधिनियम इस प्रकार निरस्त किया गया कि उसका कभी भी प्रचलन या प्रभाव नहीं रहा।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मान्यवर, मैं खंडों का विरोध नहीं करना चाहता हूं बल्कि इसके पहले ही विरोध करना चाहता था। जैसा कि गेंदा सिंह जी ने स्पष्ट किया था, मैं भी उसको साफ करना चाहता था जो हमारे साथी मोतीलाल जी ने विरोध किया था।

श्री उपाध्यक्ष--यह प्रथा कैसे हो सकती है ?

प्रश्न यह है कि खन्ड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

गवर्नमेंट ग्राण्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०

ऐक्ट संख्या १५, १८९५

कुछ प्रयोजनों के लिये गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स ऐक्ट, १८९५ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित करने के लिये,

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या ९, १९५९ ऐक्ट संख्या १५, १८९५।

उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के संबंध में गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम १९५९ द्वारा यथा संशोधित गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स ऐक्ट, १८९५ के प्रसार तथा प्रयोजन के संबंध में, विशेषकर उसकी धारा २ में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमितियों के प्रभाव के संबंध में, संदेह उत्पन्न हो गये हैं और उपर्युक्त ऐक्ट का संशोधन करके इन सन्देहों का निवारण करना इष्टकर है,

अतएव भारतीय गणतन्त्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--यह अधिनियम गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स (उत्तर प्रदेश संक्षिप्त शीर्षनाम संशोधन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना, शीर्षक और खण्ड १ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गवर्नमेंट ग्राण्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। हमारा विरोध यह है कि मंत्री जी ने जिस खूबसूरती से अपनी बात संक्षेप में कही उससे खूबसूरती भले ही रहे लेकिन वह चीज स्पष्ट नहीं हुई है। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर उन्हें कोई इलहाम हुआ है कि मुकदमे दायर हो जायंगे। जब कानून बना था उस समय ध्यान

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

नहीं दिया कि कहां पर हमारे विधेयक में कमजोरी है। हमें यह भी नहीं बताया कि ऐडवोकेट जनरल की राय ली गई या नहीं। श्रीमन्, जैसी उनकी धारणा है कि मुकदमे दायर होंगे तो उनको सामग्री सदन को देनी चाहिये थी। आशंका जिस समय कानून बना था उस समय भी हो सकती थी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब निश्चित रूप से मुकदमे दायर हो जायं और सरकार को मालूम हो कि विधेयक में कमजोरी है तो बिल लाया जाय। केवल आशंका के लिये बिल लाने से सदन का समय बेकार व्यतीत होता है।

दूसरी बात यह है कि एक आशंका यह भी है कि धारा २ के शब्द विन्यास का परिणाम यह हो सकता है कि १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ४ के अधीन निहित सरकारी पट्टेदारों के आस्थान वापस हो जायं। यह आस्थान उनमें बने रहें तो क्या मंत्री जी यह चाहते हैं। जो पट्टे दिये गये हैं वह वापस हो जायंगे उसमें हमें तो कोई बात प्रतिगामी नजर नहीं आती है। अगर कोई आस्थान है और वह सरकार में आ जाय तो क्या हर्ज है। मंत्री जी ने जो तर्क दिया वह हमारी समझ में नहीं आया। हमें जमींदारी ऐक्ट जल्दी के कारण नहीं मिल सका। लेकिन हमें ज्ञान है कि धारा ४ में वह सरकार में वेस्ट होते थे तो क्या अब वह सरकार में वेस्ट होंगे या नहीं, यह भी मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया।

तीसरी बात यह है कि जो पट्टेदार सरकार के हैं उनकी एक सीमा संभवतः ३० एकड़ है तो अच्छा ही है। सीलिंग जिसमें ४० एकड़ की सीमा लगाई गई है। लेकिन इस बिल में उसी ४० एकड़ की सीमा की बात कर रहे हैं। मंत्री जी सीलिंग की बात रखकर हमारे मर्मस्थल को चोट पहुंचाना चाहते हैं। जितने विरोधी दल के लोग है वह इसका विरोध कर प्रतिक्रियावादी कहलाने से डरें, उन्होंने कह दिया कि सीमा आरोपण विधेयक के अनुसार हम उनकी जमीन नहीं ले पायेंगे। इस वजह से हम इस कानून को ले रहे हैं, सीमा आरोपण विधेयक में ४० एकड़ की हदबन्दी की गयी है। जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम में जितने सरकारी पट्टेदार हैं, ३० एकड़ तक माने गये हैं। उससे ज्यादा नहीं माने जायंगे। तो मेरी समझ में नहीं आता कि उस बात को पेश करके जो है नहीं, ४० एकड़ की सीमा उधर बांधना और ३० एकड़ पहले से मौजूद है, सीमारोपण विधेयक पर कतई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बिल ला रहे हैं। माननीय मोतीलाल अवस्थी ने जो बात कही वह बहुत सही थी। सरकार हमको किसी बात में अंधेरे में न रखे। उद्देश्यों की सफाई होनी चाहिये। अगर बिल जनहित में है तो सभी माननीय सदस्य अपनी पूरी इच्छा और सतर्कता के साथ जल्द से जल्द उसे पास करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब सफाई न हो तो हम कैसे मान लें? कहते हैं कि सरकारी आस्थान वापस हो जायंगे। सरकार से वापस हो जायंगे ऐसी बात तो लिखी नहीं है। अगर ऐसी बात हो कि सीलिंग नहीं कर पायेंगे तो जो इसमें गवर्नमेन्ट ने बात कही है, सीमा आरोपण विधेयक पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। जहां तक ठेकेदारों की बात है वह ३० एकड़ तक की बात है तो इसकी सफाई नहीं हुई। इस वजह से मैं समझता हूं कि बिना सफाई हुए अगर बिल पास कर दिया जायगा तो बड़ी गड़बड़ी होगी। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं वह सर्वथा भ्रान्ति पर आधारित हैं। यह तो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने इस विधेयक को समझा नहीं, बल्कि पढ़ने का कष्ट नहीं किया और संभवतः गवर्नमेंट ग्रांट्स ऐक्ट जिससे इसका सीधा संबंध है, उसे बिलकुल ही अपने ध्यान में नहीं रखा। वह अधिनियम १८९५ से पारित है और उत्तर प्रदेश में जो उसमें संशोधन हुआ उसमें यह संशोधन किया जा रहा है। उस अधिनियम के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स की कोई सीमा नहीं है, कि कितनी जमीन दी जा सकती है। गांव और जागीरें भी दी गयी हैं। अगर हम इस तरह का संशोधन

विधेयक में न लाएं तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-सुधार व्यवस्था अधिनियम के अधीन जो जमींदारियां निहित कर ली गयी है या रामपुर जैसी देशी रियासतों में जो जागीरदारियां निहित हो गयी हैं, वह भी बच सकती हैं। और इस तरह के रिट हाई कोर्ट में दाखिल भी हो चुके हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या गवर्नमेन्ट को इलहाम हुआ? गांव में एक मसल कही जाती है कि समझदार लोग आग लगने पर कुआं नहीं खोदते बल्कि पहले से उसकी व्यवस्था करते हैं। अगर न भी मुकदमा दायर हो, और यह बात जानकारी में आ जाय कि इसका परिणाम विपरीत हो सकता है तो उसको संशोधित करना सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है। माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिये कि जितने भी विधेयक इस सदन में आते हैं उन का ड्राफ्ट ऐडवोकेट जनरल देखते हैं। उन्होंने इस विधेयक के प्रारूप को भी देखा है और इसमें उनकी सम्मति भी निहित है। विधेयक का प्रयोजन यही है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्रवर्तन में इस विधि से किसी प्रकार प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। दूसरे भूमि सीमा आरोपण करने जा रहे हैं। वह गवर्नमेंट ग्रांट्स की भूमि पर भी कर सकें, यही इसका मुख्य प्रयोजन है, जो कि माननीय सदस्य चाहते थे। परन्तु माननीय सदस्य को भ्रांति थी। इस विधेयक की जितनी आवश्यकता है उसको पहले निवेदन किया जा चुका है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट ग्राण्ट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० [Government Grants (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 1960] जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६०

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—श्रीमन्, यह जो १२ नम्बर पर आइटम है इसके बजाय १३ नम्बर का आइटम ले लिया जाय क्योंकि माननीय लक्ष्मीरमण जी आज यहां पर उपस्थित नहीं है, उनकी वाइफ का आपरेशन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—मुझे यह सूचना थी कि उनकी पत्नी का आज आपरेशन हो रहा है किन्तु माननीय उपमंत्री कहते हैं कि उन्होंने इस विषय में पर्याप्त तैयारी कर रखी है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं वह इसको पेश कर सकते हैं।

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९६० ई० के उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६० [Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) Bill, 1960)] को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय तथा उस समिति में कार्य करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को चना जाय—

श्री चन्द्रिकाप्रसाद,
श्री केशवराम,
श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी,
श्रीमती बिन्दुमती दास,
श्री मदनगोपाल वैद्य,
श्री रामप्रसाद नौटियाल,
श्री दीनदयालु शर्मा,

[श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट]
श्री छोटेलाल पालीवाल,
श्री भगवतीप्रसाद दुबे,
श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी,
श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा,
श्री कल्याणचन्द मोहिले,
श्री रामस्वरूप वर्मा,
श्री ऊदल,
श्री मन्नालाल,
श्री श्रीपालसिंह ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं बहुत थोड़ी बातें सदन के सामने अर्ज करना चाहता हूं क्योंकि यह विधेयक विधान परिषद् द्वारा संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द हो चुका है और इस सदन के सामने यह आया है । इस विधेयक का असली तात्पर्य यही है कि जितने हमारे रिलीजस हिन्दू टेम्पिल्स हैं उनकी चल और अचल सम्पत्ति का प्रयोग उचित तरह से वहां के लोग नहीं कर पाते । उसको रोकना केवल मात्र इसका उद्देश्य है । इसी कारण यह बिल यहां सदन के सामने लाया गया है अन्यथा कोई भी तात्पर्य वहां के लोगों के लिये इस प्रकार के प्रबन्ध करने का नहीं था क्योंकि सरकार सेक्युलर स्टेट होने के नाते उसमें कोई दखल नहीं देना चाहती, मगर सरकार यह अवश्य समझती है कि वहां का सही तरीके से इन्तजाम हो । इस प्रकार की शिकायतें सरकार के पास आई हैं कि मथुरा, वृन्दावन में एक मंदिर पर एक सोने का हिन्डोला था जिसमें हीरे के नग थे । उन नगों को चुरा लिया गया । कहीं इस किस्म की चीजें हैं कि उनके भाई भतीजे उन धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं । इन सब बातों को रोकने के लिये यह बिल सदन के सामने लाया गया है और विधान परिषद् ने इस सदन में यह भेजा है ताकि एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बने और इस पर विचार करे जिससे मंदिरों की चल और अचल सम्पत्ति सुरक्षित रह सके । मुसलमानों की धार्मिक संस्थाओं के लिये एक वक्फ ऐक्ट बना हुआ है जिसके मुताबिक किसी किस्म के भी दुरुपयोग को रोकने के लिये और उनकी चल अचल सम्पत्ति की रक्षा उसके जरिये हो जाती है ।

इस बिल को लाने का मन्शा सरकार का बहुत पुराना है । वैसे सन् १९५० में हिन्दू धार्मिक संस्थाओं के लिये सरकार एक बिल लाई थी । उस पर विचार किया गया और फिर सन् १९५५ में यह बिल यहां पर आया किन्तु इस बिल को पारित नहीं कर सके और फिर १९५७ में वह लैप्स हो गया । इस बिल को इस समय लाने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि कई जगहों से यह शिकायतें आने लगी हैं कि अगर ऐसा बिल नहीं लाया जायगा तो कई लोग उसकी चल-अचल सम्पत्ति का दुरुपयोग कर डालेंगे । तो केवल मात्र उस सम्पत्ति का दुरुपयोग रोकने के लिये यह बिल यहां सदन में लाया गया है । इस बिल के क्लाज ८ में यह साफ लिखा हुआ है कि ऐसा प्राविधान किया जाय जिससे जो वहां की धनराशि है उसको बैंक में रखा जा सके और वहां की जितनी भी सम्पति है वह सब रिकार्ड में आ जाय । जितनी चल और अचल सम्पत्ति वहां पर हो उसका एक रिकार्ड तैयार हो जाय और उसकी रक्षा की जा सके । यही एक मात्र इस बिल की मंशा है । तो मैं समझता हूं कि यह एक साधारण सा बिल है और धार्मिक संस्थाओं में अंदर का जो इंतजाम है उससे इसका कोई मतलब नहीं है । मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य इसमें कोई एतराज करेंगे और इसलिये इस समय मैं इतना ही कह कर इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण अपने-अपने सुझाव देंगे और उनको सुनने के बाद ही मैं सरकार की विचारधारा के बारे में प्रकाश डाल सकूंगा । इतना कह कर मैं इस बिल को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—मैं कुछ निवेदन करने के पहले एक व्यवस्था यह चाहूंगा । यह बिल केवल मात्र हिन्दुओं के लिये है, तो क्या यह सदन, जिसमें अहिन्दू

सदस्य भी हैं, इस पर विचार कर सकता है ? और यदि नहीं कर सकता है तो क्या सदन को अधिकार है कि जो माननीय सदस्य अहिन्दू हैं उनको इस पर विचार होते समय सदन में न आने दें ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—जो व्यवस्था का प्रश्न आपने उठाया है वह उत्पन्न नहीं होता क्योंकि सदन सभी धर्मों के अवलम्बियों के लिये अलग-अलग कानून बना सकता है और यह बिलकुल नियमानुकूल है कि सदन इस पर विचार कर सके ।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, संविधान के अनुच्छेद २६ को देखा जाय । इसमें स्पष्ट कहा है :—

"सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुये प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को :—

(क) धार्मिक और पूर्त्त-प्रयोजनों के लिये संस्थाओं की स्थापना और पोषण का,

(ख) अपने धार्मिक कार्यों सम्बन्धी विषयों के प्रबन्ध करने का,

(ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, तथा

(घ) ऐसी संपत्ति के विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा ।"

चूंकि यह बिल इस धारा के बिलकुल प्रतिकूल है और धार्मिक संस्थाओं के पास जो सम्पत्ति है उसके इंतजाम का जो अधिकार धारा २६ में दिया गया है उसके बिलकुल प्रतिकूल पड़ता है और इस बिल क द्वारा सरकार उस अधिकार को अपने हाथ में लेना चाहती है इसलिये यह संविधान के मौलिक अधिकारों के विरोध में है । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल यहां प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

दूसरी चीज यह भी है कि यह राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य है और इसका एलान हो चुका है और यह संविधान में भी है । तो धन निरपेक्षिता का प्रचार और प्रसार हो जाने के बाद इस राज्य के किसी एक विशेष धर्म के अन्तर्गत उसकी संस्थाओं पर किसी प्रकार का धार्मिक प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार सरकार को नहीं रहता और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संविधान के विरुद्ध है और इसको यहां पेश नहीं होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय समाज कल्याण मंत्री जी को इस संबंध में क्या कुछ कहना है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजा साहब जो बात कह रहे थे उस संबंध में मैं आपका ध्यान सेक्शन २५ की ओर दिलाना चाहता हूं । काउन्सिल में भी इसी किस्म का एक प्रश्न किसी माननीय सदस्य ने उठाया था और इस पर रूलिंग भी दी गई थी । इस सेक्शन २५ के मुताबिक रूलिंग हुई थी कि यह कांस्टीट्यूशनल है । लीगल ओपीनियन भी इसमें ले ली गई है और पब्लिक ओपीनियन भी इसमें ले ली गई है और सब विचारधाराओं के मुताबिक यह बिल लाया गया है और यह सब तरीके से ठीक है, उचित है और इसे यहां आना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इस संबंध में....

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं धारा २५ के बारे में निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष—वह स्पष्ट है । आप बहस न करें । मुझे जब जरूरत पड़ेगी तभी तो स्पष्टीकरण लूंगा ।

माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है मैंने उसकी व्यवस्था पहले ही दे दी थी । वह और स्पष्टीकरण चाहते थे । मैं उनका ध्यान संविधान के शेड्यूल ७ की ओर

[श्री उपाध्यक्ष]

दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है २८ वें आइटम पर—चैरिटीज ऐंड चैरिटेबिल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबिल ऐण्ड रेलीजस इन्डाउमेंट ऐन्ड रेलीजस इंस्टीट्यूशन्स। यह शेड्यूल केन्द्र तथा राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र में है। इस संबंध में पहले भी मुस्लिम वक्फ वगैरह कानून विधान सभा में बने हैं। तो जहां तक विधान सभा की काम्पीटेन्सी का प्रश्न है वह विधान के शेड्यूल के मुताबिक काम्पीटेन्ट है, इस पर विचार करने के लिये। लेकिन अगर कोई कानूनी प्रश्न है कि वह आउट आफ आर्डर हो जाय तो उसके लिये यह स्थान नहीं है। इसके लिये आपको दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहिये। इसके लिये आप कोर्ट में जा सकते हैं।

अब आप यदि चाहें तो प्रस्ताव के विरोध में अपना भाषण करें।

कुंवर श्रीपालसिंह—माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह विधेयक केवल दुरुपयोग को रोकने के लिये ही लाया गया है, इस संबंध में सवाल यह पैदा होता है कि यह विधेयक जो केवल एक सम्प्रदाय के लिये ही है, वह हमारी मंशा को पूरा कर भी सकेगा ? केवल हिन्दू सम्प्रदाय के लिये ही यह विधेयक लाया गया है। इससे नहीं मालूम पड़ता है कि आगे माननीय मंत्री जी क्या करने वाले हैं, किसी दूसरे सम्प्रदाय के बारे में भी बिल लाने वाले हैं कि नहीं ? इन बातों पर अभी तो जिक्र नहीं किया जा सकता और न वह उपयुक्त ही होगा। इस समय जो बिल हमारे सामने आया है वह इस बात को देखते हुये आया है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने फरमाया है कि धार्मिक संस्थाओं में अनेकों प्रकार की त्रुटियां आ गई हैं। लोग अपने भाई भतीजों को रखकर वहां की सम्पत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। श्रीमन्, इस तरह के दुरुपयोग की शिकायतें तो सरकार के हर विभाग के बारे में एक मर्तबा नहीं हजारों मर्तबा इसी सदन में आ चुकी हैं और उनमें से बहुत सी बातों को तो प्रमाणित भी किया जा चुका है। इस तरह की शिकायतें तो सरकारी विभागों के बारे में आमतौर से हुआ करती हैं। उनको दूर करने के लिये कोई इस प्रकार का विधेयक सरकार नहीं लाई और हिन्दू संस्थाओं के हाथ में जो थोड़ी-सी सम्पत्ति है, जिसके द्वारा वे उन मन्दिरों में राज-भोग का इंतजाम करते हैं, भगवान् की सेवा का इंतजाम करते हैं, उसको हड़पने के लिये यह विधेयक ले आई। इस बात का मंत्री जी के पास क्या प्रमाण है कि जब उस सम्पत्ति का इंतजाम सरकार के हाथ में आ जायेगा, सरकार की नौकरशाही के हाथों में आ जायेगा, तो आज जिस प्रकार का इंतजाम है उससे अधिक अच्छा इंतजाम तब होने लगेगा ?

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ हीरे चोरी चले गये और कहीं पर सोने का हिंडोला चोरी चला गया। लेकिन नके यहां तो आदमी गायब हो जाता है और उसका कुछ पता नहीं लग पाता। वह तो पत्थर ही है, हीरा। आदमी इनके यहां गायब हो जाते हैं, उसकी लाश बक्से में मिलती है, सरकार यह प्रयत्न ही नहीं करती कि वह कहां मरा, कैसे मरा तो सरकार इस विधेयक को लाकर वहां कैसे इन्तजाम करेगी ? सरकार पत्थर के हीरों के मुताल्लिक विधेयक लाकर कुछ लोगों के हाथों में जो सम्पत्ति है उसको हड़प करना चाहती है और अपने कार्य-कलापों को नहीं देखती है। जब आदमी के मरने का पता सरकार नहीं लगा पाती है, उसके लिये वह जब असमर्थ हो जाती है, मैं यह पूछना चाहता हूं, तो क्या उसका पता लगाने की जिम्मेदारी हमारी है या बाहर से कोई दूसरा आदमी आकर उसका पता लगायेगा ? ऐसी जगहों पर सरकार अपने अधिकारों को नहीं देखती है, मगर इन बेचारी धार्मिक संस्थाओं के ऊपर अपना पंजा बिठालने के लिये कानून ला रही है ताकि उनको भी अपने पंजे में कर लिया जाय। उस धन का भी सरकार दुरुपयोग करना चाहती है उनको अपने पंजों में रख कर। क्योंकि अभी तक जितना धन सरकार को मिल रहा है उसमें से कितने परसेंट का सदुपयोग होता है यह सरकार के कार्य-कलाप से ही पता चल सकता है।

मैं यह चाहता हूं कि अगर यह रखा जाय तो प्रवर समिति में इसके जाने से काम नहीं चलेगा। एक सम्प्रदाय विशष से इसका ताल्लुक है। एक सम्प्रदाय विशेष के उन मनुष्यों

से ताल्लुक है जिनकी यह मस्तिष्क की नहीं हृदय की चीज है । यह धार्मिक भावनाओं की चीज है, इससे बहुत बड़ा वितंडावाद खड़ा हो सकता है । इसलिये विधेयक के पन्नों पर नहीं जाना चाहिये कि ३, ४ ही पन्ने हैं, थोड़ी-सी ही धारायें हैं, बल्कि इसके उद्देश्य को देखना चाहिये कि इसका धक्का कहां पर पड़ता है और वह चीज कितनी कमजोर और नाजुक है कि हमारी एक कंकरी का भी धक्का जहां बरदाश्त नहीं किया जा सकता है, फिर जब गोली से वार किया जायगा तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ? तो मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति के पहले इस बिल को कम से कम ६ महीने तक जनता में घुमाकर जनता की राय देखी जाय कि जनता इस चीज को पसन्द करती है या नहीं । क्योंकि न तो सरकारी दल के एलेक्शन मैनिफेस्टो में इस किस्म की कोई चीज है और न किसी अन्य पार्टी के एलेक्शन मैनिफेस्टो में यह चीज थी कि धार्मिक संस्थाओं पर इस किस्म का प्रतिबन्ध लगाया जायगा । तो मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको पहले घुमा करके जनता की राय ले लें, विशेष कर हिन्दू जनता की । क्योंकि इसका सम्बन्ध केवल हिन्दुओं से है और हिन्दुओं में भी कितने ही सम्प्रदाय हैं---आर्यसमाजी भी होते हैं, नास्तिक भी होते हैं । अगर आर्यसमाजी और नास्तिक हैं तो भी इस बिल पर उनको मत व्यक्त करने का अधिकार मेरी समझ में नहीं होना चाहिये, क्योंकि यह महज उन्हीं हिन्दुओं के धार्मिक विचारों से सम्बन्ध रखता है जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, जो मंदिरों में विश्वास करते हैं और जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं उन्हीं से इसका सम्बन्ध है, इसलिये जनता में घुमाकर उन्हीं की राय जानकर तब विचार होना चाहिये । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)---मान्यवर, इस विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव का जो माननीय सदस्य, जौनपुर जिले से आये हैं, उन्होंने जो विरोध किया उसको सुनकर आश्चर्य हुआ । उनकी आपत्ति आरम्भ में तो विधि के विषय में थी जिसका मान्यवर ने समाधान कर दिया । उसके पश्चात् उन्होंने यह कहा कि इस विधेयक का सम्बन्ध हिन्दू धर्म और धार्मिक जनता से है और जो सम्पत्ति मंदिरों में, मठों में अथवा इस प्रकार की अन्य धार्मिक संस्थाओं में किसी भी दाता ने लगा दी है, उनका ऐसा खयाल है कि यदि किसी विधेयक द्वारा उसके प्रबन्ध की---मैं कहूं सुप्रबन्ध की---व्यवस्था की जाय तो उनकी राय में यह सरकार द्वारा धर्म में हस्तक्षेप होगा ।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इस बात की आशंका नहीं होगी कि मैं हिन्दू धर्म के विरुद्ध अथवा उस श्रेणी में नहीं आता जिसका उन्होंने अभी अपने भाषण में उल्लेख किया । हिन्दू धर्म के प्रति जिसमें आस्था होगी उसमें इस बात की चिन्ता होगी कि हिन्दू धर्म के जो आदर्श हैं उनका ठीक प्रकार से प्रतिपादन या प्रतिपालन हो । यदि मंदिर में लगी हुई सम्पत्ति का पुजारी दुरुपयोग करते हों, उसके धन का अपहरण करते हों और जिन धार्मिक उद्देश्यों के लिये वह सम्पत्ति लगाई गई हो उसका सर्वथा हनन करते हों और यदि वे उससे दुराचार को प्रश्रय देते हों, यदि उस संपत्ति से अपने घर वालों का पालन-पोषण करते हों, अपने रिश्तेदारों को दिया करते हों और जिन धार्मिक कृत्यों के प्रतिपादन के लिये वह सम्पत्ति लगाई गई हो वह प्रतिपादन न हो रहा हो तो मैं माननीय सदस्य से पूछूंगा कि उसकी सुव्यवस्था करने के लिये वह क्या सोचते हैं ? मान्यवर, मैं इस बात को मानता हूं कि प्रदेश या किसी भी देश के विधान मंडल का यह कर्त्तव्य होता है कि समाज में सर्वत्र जहां कहीं भी कुव्यवस्था हो उसको दूर करके सुव्यवस्था का प्रबन्ध करे ।

मान्यवर, आपने इसे स्वीकार किया था और सदन भी स्वीकार करेगा कि इस प्रदेश के विधान मंडल में इस विधेयक का लाना काफी दिनों से अपेक्षित था और वास्तव में यह विलम्ब हुआ है जो आज तक पिछले १२ वर्षों में स्वाधीन होने के बाद भी ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया । मान्यवर, मैं नहीं सोचता कि कोई भी धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति कभी भी इस बात को चाहेगा कि ऐसे स्थान में जहां पर परमात्मा की मूर्ति विराजमान हो वहां पर

[श्री महावीरप्रसाद शुक्ल]

धर्म के नाम पर अधर्म किया जाय । तो आज जहां पर धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा हो, चढ़ाई हुई सम्पत्ति का वैश्यालयों में प्रयोग हो रहा हो, वहां के पुजारी धार्मिक जीवन को छोड़कर भौतिक जीवन में फंसे हों और मंदिर की सम्पत्ति को अपने निजी उपयोग में ला रहे हों और उस धन का उपयोग धर्म के प्रचार में न लग रहा हो और न धर्मग्रन्थों की शुद्धि में लग रहा हो और न उस धन का उपयोग धर्म के अनुसार किसी प्रकार पुण्य में किया जा रहा हो और न धर्म के अनुसार उसकी व्यवस्था की जा रही हो तो मेरा विश्वास है कि हर हिन्दू चाहेगा कि उस कुव्यवस्था को दूर किया जाय । वास्तव में सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने में विलम्ब किया और आज जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया तो मैं आशा करता हूं कि हर माननीय सदस्य और प्रगतिशील विचारों के भी सदस्य इस संशय से हट जायेंगे और यह नहीं कहेंगे कि यह सरकार कोई ऐसी व्यवस्था कर रही है कि वह मंदिरों की सम्पत्ति को अपने कब्जे में कर ले । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को भ्रान्ति है, उन्होंने विधेयक के उपबन्धों को अध्ययन करने की चेष्टा नहीं की है । सरकार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यह जो सम्पत्ति के प्रतिबन्ध की व्यवस्था की जा रही है वह किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा कराई जाय ।

अगर इस विधेयक में कोई त्रुटि हो, उसका कोई आभास भी मिलता हो तो उसको दूर करने का अवसर प्रवर समिति को होगा और फिर इस सदन को भी होगा । अगर माननीय सदस्य कहीं यह सोचते हों कि सरकार अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है या सम्पत्ति पर अपना अधिकार करना चाहती है तो माननीय सदस्य उसके लिये हमेशा प्रस्ताव या संशोधन ला सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं । लेकिन सरकार की कतई कोई ऐसी मंशा नहीं है । मंशा केवल यह है कि यदि मंदिरों और मठों की सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, वहां पर व्यभिचार हो रहा हो तो उसका उन्मूलन किया जाय और ऐसा करने के लिये एक विधेयक की आवश्यकता थी और वह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है । मैं नहीं समझता हूं कि इतने उदार उद्देश्य वाले और धार्मिक कामों में सहायता देने वाले विधेयक का और जो प्रवर समिति का प्रस्ताव किया गया है उसका कोई धार्मिक सदस्य विरोध कर सकता है । मैं एक धार्मिक सदस्य होने के नाते ही इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस सदन में जो धार्मिक आस्था रखने वाले सदस्य हैं वह विचारपूर्वक इस पर अपना मत प्रकट करेंगे ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय, बड़े दुःख का विषय है कि यह सरकार हिन्दू धर्म तथा अन्य धर्मों के अन्तरिम मामलों में हस्तक्षेप करने जा रही है, जबकि वह कहती है कि वह धर्म निरपेक्ष सरकार है और धार्मिक मामलों में वह हस्तक्षेप नहीं करेगी । एक तरफ तो यह सरकार दुनियां में इस प्रकार ढोंग रचती है और ढोल पीटती है कि वह धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी लेकिन दूसरी तरफ सुधार की दुहाई देकर हस्तक्षेप करना चाहती है । जब आप यह चीज मानते हैं कि यह चीजें हमारे दायरे में नहीं हैं तो फिर उसमें आप अनधिकार प्रवेश किस प्रकार से पा सकते हैं ? आप कहते हैं मंदिरों में गड़बड़ी है, हम उसको ठीक करेंगे । इससे पहले कि सरकार मंदिरों का दायित्व अपने ऊपर ले, क्या सरकार ने इस बात का भी प्रबन्ध किया है कि जिन मंदिर, मसजिद या गिरजाघरों की हालत ठीक नहीं है, जिनका खर्चा नहीं चलता है, क्या सरकार उनके डेफीसिट यानी कमी को पूरा करेगी ? राज्य की ओर से मुर्गी और सुअर पालने के लिये तो अनुदान दिया जाता है लेकिन उसके विकास फंड से ऐसा कोई अनुदान नहीं दिया जाता है जिससे टूटे-फूटे मंदिरों, गिर्जों और मसजिदों की मरम्मत की जा सके । जब ऐसा नहीं है तो सरकार को क्या हक है कि वह इन देवस्थानों में हस्तक्षेप करे ? जिन चीजों के प्रति उसकी आदर की भावना नहीं है, वे चाहे अच्छे हों या बुरे, उनके कामों में आपको दखल देने का क्या अधिकार है ? वहां तो वही आदमी जा सकता है जिस पर उनको यकीन हो । आपने संविधान में लिखा है कि हमारा धर्म निरपेक्ष राज्य है, फिर क्या इस बिल के द्वारा आप उस संविधान की हत्या नहीं कर रहे हैं ? चूंकि यहां और केन्द्र में एक ही

सरकार है, इसलिये मैं यह बातें कह रहा हूं । जो हमारी लाखों वर्षों की मान्यतायें हैं, चाहे वे गलत हों, या सही हों जो इनमें विश्वास नहीं करते उनको उसमें दखल नहीं देना चाहिये ।

इसी प्रकार विवाह की प्रथा के बारे में भी आपने हस्तक्षेप किया । हमारे एक पत्नीव्रत और एक पतिव्रत की मान्यता थी । सीता और सावित्री को बड़ा माना जाता था लेकिन जिन लोगों को इस पर यकीन न था उन लोगों ने हिन्दू कोड ऐक्ट पास करके उसमें हस्तक्षेप किया, यद्यपि अपने निजी विवाह वे स्पेशल मैरेज ऐक्ट से कर सकते थे । इस प्रकार वे अपनी इच्छा को बड़े भारी हिन्दू समाज पर अनचाहे भी लादना चाहते हैं । क्या इस प्रकार से इस सरकार ने धर्म के अन्दर गलत घुसपैठ नहीं की है ? श्रीमन्, आपने देखा होगा कि इस विषय में लोग बहुत आतंकित हो गये हैं । पार्लियामेंट में ९०-९५ प्रतिशत लोग हिंदू कोड बिल के खिलाफ थे लेकिन डंडे के बल पर उनसे वह बिल पास करवा लिया गया । जो कांग्रेस के माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं कि वे भी हिन्दू हैं और वे भी धार्मिक भावना रखते हैं, उन लोगों को देखा गया है कि कुर्सी के लोभ में वे अपने ईमान की रक्षा करने में असमर्थ रहे हैं । क्या पार्लियामेंट में माननीय पुरुषोत्तम दास टंडन सरीखे लोगों ने ऐसे बिलों का खुल्लमखुल्ला विरोध नहीं किया लेकिन कोई भी अपनी गद्दी का मोह न छोड़ सका ।

धर्म की सुरक्षा के नाम पर इस बिल में क्या क्या रखा गया है, मैं उसको दिखाने की चेष्टा करूंगा । इस बिल की दफा ८ में लिखा हुआ है--

"8. A Commissioner shall in respect of any Hindu public religious institution within the area of his jurisdiction and in respect of which proceedings under section 6 have been directed, have the following powers—

(*a*) subject to any customary restrictions of the institutions in regard to time and mode of entry, to enter the premises of any institution or any place of worship connected therewith ;

(*b*) to inspect all property belonging to, and all records and documents relating to the institutions ;"

श्रीमन्, इसके मानी यह हैं कि कश्मिनरों को किस तरीके से यह अधिकार है कि किन मर्यादाओं के अधीन कोई भक्त मंदिर में प्रविष्ट हो सकेगा । हम अपने देवता की पूजा किस तरह से करें, उसको यह कमिश्नर तय करेगा । श्रीमन्, जो हिन्दू हैं वे किस तरह से पूजा करने जायं, कैसे थाली सजायें, क्या-क्या चीजें रख कर ले जायं कि उसका भगवान खुश होगा या नहीं, यह सरकार के तय करने की बात नहीं है, जो इसमें रखा गया है । भले ही इसमें लिख दिया गया हो कि कुछ रूढ़िगत मान्यतायें हैं । अब क्या रूढ़िगत मान्यतायें, हैं क्या नहीं हैं, इस सम्बन्ध में कमिश्नर को अधिकार दिया गया है तय करने का, मगर कमिश्नर द्वारा कोई गलत काम किया जाता है तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकेगा, ऐसी अन्धेर सी बात इस बिल के अन्दर मौजूद है ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि यह विधेयक विधान परिषद् से पारित होकर फिर आपके सामने आयेगा और उस समय आपको अपनी तमाम बातें कहने का मौका मिलेगा । इस समय केवल प्रश्न है कि संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव जो विधान परिषद् ने रखा है उससे यह सदन सहमत है । मैं समझता हूं कि इस समय खंडों को उद्धृत करना उचित नहीं होगा । यों आप जिक्र कर सकते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी जो आपने व्यवस्था दी है तो मैं समझता हूं कि यह तो प्रथम वाचन सरीखा ही है और इस पर बहस करने देना उचित ही है ।

श्री उपाध्यक्ष---आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मोतीलाल अवस्थी जी को बतला दूं कि यह प्रथा नितान्त अनुचित है कि जब चेयर की कोई व्यवस्था हो जावे तो उसके ऊपर फिर यहां वाद-विवाद किया जाय। मैंने सदन के माननीय सदस्यों को बतला दिया कि उनको फिर एक बार मौका मिलेगा। तो हर बार चेयर की व्यवस्था पर विवाद करना बहुत अनुचित है। श्री गोविन्द सिंह अपना भाषण जारी रखें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं तो उतना ही बतलाना चाहता हूं जिससे बिल के उद्देश्य और कारणों पर प्रकाश पड़ जाय। क्योंकि सारा का सारा बिल इस तरह की चीजों से भरा पड़ा है जिनके द्वारा वह गवर्न होता है।

मैं अर्ज कर रहा था कि मन्दिरों में जाने के तरीके को भी सरकार कंट्रोल कर सकती है, ऐसी धारायें इस बिल के अन्दर मौजूद हैं। उस अधिकारी के किसी कृत्य के खिलाफ न तो फौजदारी की कोई कार्यवाही हो सकती है और न कोई दीवानी में दावा हो सकता है। हां, बोनाफाइडी बिलफ का शब्द इसमें ऐसा रख दिया गया है जिसके नाम पर अधिकारी तरह-तरह की ज्यादती कर सकते हैं। जैसा कि आये दिन बोनाफाइडी के नाम पर होता रहता है कि वह अपनी डायरी में अपनी ड्यूटी कहीं और दिखला सकता है। जैसे अगर किसी आदमी की पिटाई कोई पुलिस का आदमी या सुपरिंटेंडेंट करता है तो अपनी बोनाफाइडीज द्वारा यह कह सकता है उस दिन तो मैं उस शहर में या उस स्थान पर मौजूद ही नहीं था, उस दिन तो मेरी ड्यूटी फलां जगह लगी हुई थी। इस में जो शब्द रक्खे गये हैं उनमें दिया है कि "आरोपित कर्त्तव्यों के निष्पादन हेतु और केवल कर्तव्यों के निर्वाहन के लिये" यह बिल लाया गया है। यानी एक तरह से यह एक छिपने की वस्तु (camouflage) है। हो सकता है कि एकाध मन्दिर में किसी तरह की गड़बड़ी हो, लेकिन सबके लिये ही ऐसा कहना महा अन्धेर है। एक तरफ तो सरकार अपने आदमियों के हाथ में इतनी बड़ी शक्ति देना चाहती है कि वे धार्मिक संस्थाओं और मन्दिरों पर कंट्रोल करें और दूसरी तरफ यह भी है कि हम कौन देवता के मन्दिर में जायं, किस टाइम में जायं, किस तरीके से जायं, क्या पूजा करें, क्या न करें, इसके ऊपर भी सरकार कंट्रोल करेगी, यह सब बड़ा अंधेर है। लेकिन हमको यह हक तक नहीं है कि अगर कोई अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो हम उसके ऊपर कोई मुकदमा चला सकें। यही नहीं है कि हम अपने हाथ से किसी को सजा देना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तब क्या डर है सरकार को अगर अधिकारी के दुरुपयोग की बात अदालत में जाती है तो उस पर मुकदमा चलाने का अधिकार वह क्यों नहीं देती? क्यों वह उसे इतना बड़ा शील्ड देती है और उसे अपने हाथ से क्यों सुरक्षा का कवच पहनाना चाहती है? मैं कहता हूं कि आप अपने हाथ में इतनी बड़ी शक्ति ले रहे हैं यह गलत है। मैं चाहता हूं कि अधिकारियों के खिलाफ भी खुले कोर्ट में मामला ले जाने की इजाजत होनी चाहिये। सदा अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते रहे हैं और इससे आगे भी वह करेंगे। तो क्या सरकार आगे भी उनसे अधिकारों का दुरुपयोग कराना चाहती है? इस प्रकार से उनको अभीष्ट एक कवच पहनाया जा रहा है वरना सरकार बताये कि इसका क्या कारण है? एक तरफ तो सरकार पावर ले रही है कि चाहे कोई बड़े से बड़ा महन्त हो, सन्त हो या महात्मा हो वह सब सरकार को अपना बही-खाता दिखावें, हो सकता है कि कुछ ऐसे भी महन्त हों कि जो रुपयों का दुरुपयोग करते हों।

श्रीमन्, सभी को ज्ञात है कि सरकार द्वारा बद्रीनाथ टेम्पिल के लिये जो माननीय नेता भेजे गये वह भी लाखों रुपया चुरा कर मर गये, ऐसी आम बात चली थी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या बद्रीनाथ टेम्पिल के लोगों ने मुकुट के सम्बन्ध में मरम्मत के लिये हवाई जहाज से मद्रास की यात्रा नहीं की और क्या वहां बहाने से सोने के जेवरात नहीं निकाले गये? सरकार के हाथ में जहां का कंट्रोल है उन संस्थाओं के विषय में मुझे दुख है कि वहां के चुनाव धार्मिक मान्यताओं के आधार पर नहीं बल्कि गुटबन्दी और पार्टीबाजी के आधार पर होते हैं। वहां पर भी आज रुपयों का बटवारा होता है, इस प्रकार का मेरा खुला आरोप सरकार पर है। ऐसे सदस्यों

को वहां रखने में सरकार कतई राजी नहीं होती जो निष्पक्ष भावना से, धार्मिक भावना से, विश्वकल्याण या जनकल्याण के लिये भगवान के मन्दिर की पवित्रता को कायम रखने के लिये काम करना चाहता है, उनको रखने में सरकार अनेक भ्रमपूर्ण और बेकार के बहाने करती है। हमारे ४ लिंग हैं, कई जगह ऐसे उनके मठाधीश हैं, पुरी के शंकराचार्य जी हैं, हमारे द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग हैं और चार पीठ हैं जैसे--बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी आदि और अनेक मठाधीश हैं जो कदापि इस पर राजी न होंगे कि सरकार उनसे पूछे कि क्या-क्या तुम्हारा सामान है। उनमें से कई को धन से कोई मतलब नहीं है। हमारे यहां की तो यह परम्परा है कि जनक जी राजा थे, जो अपनी टांग आग में डाल देते थे और तमाम राज्य-वैभव से दूर रहते थे। जिस प्रकार से कि जल में घी या मक्खन रहता है लेकिन वह कभी अपने को पानी के साथ मिलाता नहीं, इसी प्रकार राजा जनक विदेह कहे जाते थे और संसार से निर्लिप्त रहते थे। जब सरकार यह सब समझती नहीं तो क्यों अपनी टांग अड़ाती है, दाल भात में मूसलचन्द? तब क्यों सरकार अपनी नाक बेकार उसमें घुसेड़ती है ?

धर्म कोई बुद्धि की चीज नहीं है, वह भावना तथा हृदयानुभूति का विषय है। भगवान् का स्वरूप नहीं होता, उसे माना जाता है, वह हृदय द्वारा ग्रहण करने की वस्तु है, वह पत्थर में भी हो सकता है। (व्यवधान) लेकिन जिस की अक्ल पर ही पत्थर पड़ गये हों वह उसको क्या समझ सकता है। जो आदमी एक टिकट के लिये अपनी देशभक्ति को बेचता हों और कहते हों कि हमने इतना बड़ा त्याग किया है, हमें म्युनिसिपैलिटी का ही टिकट दे दो, वह उस महान् शक्ति के बारे में क्या समझ सकते हैं। जो पदों को पाने के लिये भारतमाता को खंडित कर सकते हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूं, वह जरा मौलाना आजाद की किताब पढ़े। हमारे कहने से नहीं बल्कि वह देखें कि वह क्या लिख गये हैं जो शासक पार्टी के लिये ब्रह्म वाक्य हैं।

कभी हमारे सन्त महात्मा इस बात को गवारा न करेंगे कि उनके रिकार्ड सरकार देखें और उनकी तमाम चीजों की जांच हो। क्यों सरकार यह सब देखे, क्या वह चोरी करके कोई चीज लाये हैं ? श्रद्धा से लोगों ने उनको दिया है, उनके लिये सरकार ने तो कोई धन इनवेस्ट नहीं किया है तो उनसे प्रोपोर्शनेट शेयर क्यों वह मांगती है जब कि वह उनकी कोई मदद भी नहीं करती, वह इस बटाई की हकदार कैसे है ? जब सरकार का वहां कुछ लगा नहीं तो इंतजाम करने वाले कौन होते हैं ? यह हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला है, हिन्दू धर्म को समाप्त करने का एक जाल है। यह उसी तरकश के तीर हैं जिसमें से हिन्दू कोड बिल निकला। जो धर्म का काम करते हैं उनके लिये इन सारे सुधारों को छोड़िए। अगर उसमें खराबी आएगी तो वह धर्म खराब हो जायेगा। सरकार क्यों उनका दुखड़ा लेकर रोने बैठ गई ? ऐसे साधु सन्तों से ५०० रुपया. . . .

श्री उपाध्यक्ष--पुनरावृत्ति हो रही है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--हम सोच रहे थे कि पहला बिल आज दिन भर लिया जायगा इसलिये उतनी अधिक तैयारी नहीं कर पाये। तो साधु सन्त हिसाब न खोलें तो सरकार उन्हें जुर्माना कर देगी ५०० रुपया और शायद जेल भी जाना पड़ जाय। साधु-सन्तों के लिये तो यह है लेकिन कोई पुलिस हवालात में मार दिया जाय, कोई लाश ट्रंक में सड़ी हुई मिलती है तो उसके लिये कुछ नहीं, कोई जांच नहीं होती, ऐसी बातें आज ही सामने आई हैं। जब आपको यह अन्दाज नहीं कि कैसे जांच होगी तो क्यों शासन पर बैठे हो ? छोड़ दो। वहां तो कुछ होता नहीं है। यह प्रश्न आया था कि पुलिस की हवालात में एक आदमी. . . .

श्री उपाध्यक्ष--फिर दोहरा रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करना छोड़ दे। जिस-जिस ने धर्म में आक्षेप किया है वह सरकार खत्म हो गई।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुए।)

यह कह देना आसान है कि धन का दुरुपयोग होता है। यह धन तो जनता के धन की अमानत की बात है, उसके दुरुपयोग के लिये ताजीरात हिन्द है। दफा ४०५, ४०७, ४१५, ४१९, ३७९, ४२० इत्यादि ही कितनी दफाएं हैं जिनमें सजा दी जा सकती है। सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरा अभियोग है सरकार पर कि जब आपके हाथ में इतनी बड़ी ताकत है तो क्यों नहीं आप उसे ट्रेस कर पाते? ऐसी भी दफायें हैं कि ऐसे जुर्म के लिए आजन्म कारावास तक हो सकता है। तब इतनी शक्ति होने पर क्यों एक ऐसा असाधारण बिल सरकार लाती है? इसका कोई जवाब नहीं है।

कहा जाता है कि मंदिर का रुपया भाई भतीजों में बांट लेते हैं। ऐसे कामों के लिए दंड समाज देगा। माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने जब इसे पेश किया था तो कहा था कि भाई-भतीजों में मंदिर का धन बांट लेते हैं। मैं कहता हूं कि क्या जनता का धन इस सरकार में नहीं बंटता? कोई अपने लड़के को ढाई-ढाई करोड़ के ठेके देता है। इस सदन में इसकी चर्चा हुई पर कोई जांच नहीं हुई। सरकार को अपनी आंख की शहतीर नहीं खटकती और दूसरे की आंख का तिनका खटकता है। कोई आदमी कांच के घर में रहे और दूसरे पर ढेले मारे तो क्या होगा, यह उन्हें जानना चाहिए था। इसी सदन में कई बार यह बात आ चुकी है कि सुपरवाइजर को प्रापरेटिव के होते हैं, एक तहसील और जिले विशेष के, यहां तक कि एक बिरादरी विशेष के लोग लिये जाते हैं। किसी ने अपने जमाई को ऊंचा बना दिया जो सर्विस कमीशन के आगे भी नहीं गया। यद्यपि मैं भ्रष्टाचार का एकदम विरोधी हूं चाहे वह मंदिर में हो या कहीं, और पर स्वयं भ्रष्ट हुई सरकार मंदिरों को स्वच्छ नहीं बना सकती। एक नहीं सैकड़ों मिसालें सरकारी भ्रष्टाचार की ऐसी हैं। "पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरहिं ते नर न घनेरे।" आप पहले अपने यहां तो भाई, भतीजावाद समाप्त करें तब धार्मिक संस्थाओं के बारे में सोचें।

एक तरफ यह कहते हैं कि हमारा ध्येय क्लासलेस सोसाइटी का है। इसमें दो रायें नहीं कि जो पिछड़े या हरिजन कहे जाते हैं उनको सबसे पहले प्रधानता देनी चाहिये। लेकिन अगर उनकी एक अलग क्लास बनायी जाय तो यह क्लासलेस सोसाइटी की भावना के खिलाफ है। हर जगह कम्पार्टमेंट बनाये जाते हैं। समाजवादी समाज की रचना की घोषणा करने वाले कहते हैं बंदूक के लाइसेंस इस आधार पर दिये जायेंगे कि किसकी क्या हैसियत है। यह तो क्लासलेस सोसाइटी का रूप नहीं है। वर्तमान बिल में एक व्यवस्था की गई कि १,२०० रुपये से अधिक वाले मंदिर इसमें लिये जायं और विशेष परिस्थितियों में १,२०० रुपये से कम वाले मंदिर भी संतुष्टि पर लिये जायंगे और उपमंत्री जी ने कहा कि मथुरा आदि में आभूषणों की चोरी अधिक हुई उससे यह बिल लाया गया। हो सकता है कि किसी मठाधीश ने किसी को मत न दिया हो इसी कारण प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर यह बिल लाया गया हो, अन्यथा इतने दिनों में इसके पेश होने का कोई कारण नहीं है जब कि मंदिरों का एक दूसरा बिल १९५० में बन चुका था। सन् १९५५ में पेश भी किया जा चुका था। मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में देखा था, एक आर्टिकिल था "The best advice that Gandhiji gave me" जिसमें लिखा था कि एक कोई बड़ी भारी नेत्री, जब विधवा हो गईं तो उन्होंने अपनी सम्पत्ति बेंचनी चाही। स्वर्गीय तेज बहादुर सप्रू आदि ने कहा कि तुम हिन्दू विधवा होने के नाते सम्पत्ति नहीं बेंच सकती जिस पर उनको गुस्सा आया और कहा कि मैं मंत्री रह चुकी हूं, इतने ऊंचे-ऊंचे पदों पर रह चुकी हूं। तो कहा जाता है कि एक औरत को खुश करने के लिये सारे हिन्दू

समाज के ऊपर ऐसा कानून बनाया गया कि बाप की जायदाद पर औरत का भी अधिकार होगा। इन अलग-अलग बातों को एक साथ इकट्ठा कर "We can read between the lines" तो जब ऐसे कानून आयेंगे, मेरी समझ में नहीं आता कि मौजूदा बिल इन बातों से कैसे परे है? यह हमारे धर्म के ऊपर चोट है। मैं ताकीद करता हूं कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। आज हिन्दू धर्म की बारी है, कल मुसलमान धर्म की बारी भी आ जायगी। इसलिये मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि हमारा साथ दें और सरकार से भी प्रार्थना है कि अगर वह अपना व्हिप हटा ले तो देखें कि यह बिल कैसे पास हो जाता है। नहीं पास हो सकता। इसलिये मेरी मांग है इस नापाक बिल को सरकार वापस ले।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---मैं प्रस्ताव का तो समर्थन करता हूं किन्तु कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब अधर्म-धर्म का रूप धारण करके सामने खड़ा होता है उस समय बहुत कठिनाई आ जाती है। इस अर्थ संचालित संसार में जहां तक यह कहा जाता है कि इसका दूसरा रूप है वह ठीक है। लेकिन धार्मिक संस्थाओं के बारे में जब कोई प्रस्ताव मंत्री सदन में लाये तो उसे शास्त्रीय व्याख्या से परिपूर्ण होकर उपस्थित होना चाहिए क्योंकि यह दासों का सदन नहीं है, जो जीव हो उसके अन्तर्गत यह भावना होनी चाहिये। शिकागो में रेलीजस कांफ्रेंस के समय संसार के सभी धर्मों के लोग मौजूद थे, वहां पर कहा गया मूर्ति पूजक हिन्दुस्तानियों को कोई समय नहीं मिलना चाहिये। तो स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था:

"At the very outset I may tell you that there is no polytheism in India. If you enter a temple you shall find the worshipper applying all the attributes to God and not to the images. If idolatory is not practised by any nation then why does the Christians go to Church ? Why is the holy cross ? Why there are so many images in the minds of protestants?"

मैं इसका भाषानुवाद बता रहा हूं। स्वामी जी के सामने कहा गया कि मूर्ति पूजक हिन्दुस्तानियों को कोई समय नहीं देंगे। तो उन्होंने बताया---मैं प्रारम्भ में ही कह देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में मूर्ति पूजा नहीं होती। किसी मन्दिर में अगर आप चले जायं तो उपासना करने वाला साधक अपनी भावनाओं को भगवान् के ऊपर अर्पित करता है, मूर्ति पर नहीं। और अगर मूर्ति पूजा नहीं होती है तो ईसाइयों के गिरजा में होली क्रास क्यों है? और तर्क से उन्होंने साबित कर दिया कि कोई लक्ष्य सामने रखे बिना पूजा हो ही नहीं सकती। इसको लोगों ने स्वीकार किया। आज संसार में दो धारायें बह रही है, एक तर्क मूलक और दूसरी विश्वास मूलक। विश्वास मूलक से विश्वास को आधार मान कर जो चलता है उसको सिद्धि प्राप्त होती है और उचित मार्ग पर चलता है। इसलिये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी पार्वती और शिव को विश्वास मूलक बताया है। ऐसे ही मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सार्वजनिक धार्मिक संस्थायें, अपव्यय आदि ये चार पांच शब्द ऐसे हैं जो इसके अन्तर्गत आये हैं। उनके मैनेजर जो दुरुपयोग करते हैं उसका निराकरण करने के लिये यह बिल लाया गया है और उसके लिये संयुक्त प्रवर समिति बनी हुई है। ऊपर से यह बहुत अच्छा है, लेकिन इस समिति को मर्यादित रूप में काम करना चाहिये। बहुत सुन्दर मन्दिर है लेकिन पुजारी सुन्दर न हो, तो जो लोग बैठे हैं इनको मर्यादित ढंग से कार्य करना चाहिये।

अब हिन्दू धार्मिक संस्थाओं का अर्थ बड़ा व्यापक है। इन संस्थाओं का क्या अपव्यय है, क्या व्यय है इसको मर्यादित ढंग से सोचना होगा। (हमारे यहां ७ दिन हैं।) रविवार से दिन माना जाता है। हर दिन का अलग-अलग महत्व होता है। मूर्तियों को हम वस्त्र पहनाते हैं। किसी दिन उसे हरा और किसी दिन पीला, इसका भी अपना महत्व है (हंसी)। इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। यह तो विश्वास मूलक बात है, एक साधना की पद्धति है, एक शास्त्रीय व्याख्या है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जब एक ऐसा अतिक्रमण होता है धार्मिक चीजों के ऊपर तो हम शास्त्रीय चीज नहीं लाते। अपने प्रदेश में भी शास्त्रीय पद्धति पर विश्वास करने वाले बहुत से विद्वान् होंगे। उनको इसे सीमा में रखना चाहिये था। यहां मंदिरों में लाखों रुपयों की

[श्री रामलखन मिश्र]

सम्पतियां हैं और उनके अन्तराल में जाने का अवसर सबको मिलता है। तो क्या देय है और क्या अपव्यय है इसकी शास्त्रीय व्याख्या होनी चाहिये। कमेटी के सामने अगर एक तर्क मूलक पद्धति अख्तियार की गयी तो संभव है मर्यादा सामने न लाई जाय। जिनको मूर्तियों में विश्वास न हो, जिनको धार्मिक संस्थाओं में विश्वास न हो वे तर्क मूलक आधार पर पता नहीं किसे अपव्यय समझेंगे। इससे तो साधना का पथ रुक जायगा।

हजारों वर्षों से इस देश में दान का बड़ा महत्व है। दान के सम्बन्ध में कहा गया है कि दान उसे देना चाहिए जिससे कोई मतलब न हो और काल व पात्र के अनुसार उसे देना चाहिए। तर्क मूलक व्यक्ति उसे निराधार मानेगा। जब तक कार्य व कारण न हो वह उसे नहीं मानेगा। जनसंख्या बढ़ रही है तो मनुष्यों का संहार करो जिससे हम सुख से रहें। यह हितवाद दर्शन आज चल रहा है जिसमें स्वार्थ होता है, जिस से अपनी सिद्धि होती है, अपना कल्याण होता है। अगर तर्क मूलक आधार पर इस कमेटी ने निर्णय लिया और विश्वास मूलक पर नहीं लिया तो यह संभव है कि यहां पर जो धार्मिक संस्थाओं के द्वारा साधना की पद्धति थी हजारों वर्षों से, वह नष्ट हो जायगी और फिर कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि विश्वासमूलक के ऊपर तर्क मूलक के प्रहार इतने वेग से हो रहे हैं कि वह ठहर नहीं सकता। वह तो कोई अपने जीवन को न्योछावर करे और विश्वासमूलक में अपने को रखे और संसार का अपमान सहे और उसके पश्चात् उसे सिद्धि मिल जाय तो मिल जाय।

हमारे जिले में एक महात्मा स्वामी अखंडानन्द हो गये हैं। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि समाधि लगाने से क्या मिलता है। तो उन्होंने कहा कि 'धरत नूर हर दम हुजूर मदमस्त चूर' और अपने जीवन को न्योछावर करने में वह इतने त्यागी हैं कि जीवों के साथ न जाने क्या-क्या उपकार करते हैं। तो भारत की यह परम्परा है, इसमें कोई क्रोध करने की बात नहीं है। हर चीज की मर्यादा होती है। राजनीति की मर्यादा इस वक्त सर्वोपरि है लेकिन इस कमेटी की बहुत बड़ी मर्यादा है। मन्दिरों के सम्बन्ध में भी एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा का पालन करने के लिए जाहिर है कि संयुक्त प्रवर समिति जो यहां के विश्वासमूलक ग्रन्थों को जानने वाले विद्वान इस प्रदेश में रहते हैं उनकी भी सम्मति इसमें लें और उनका समावेश कर सकें तो बड़े कल्याण की बात होगी, लेकिन केवल तर्क के आधार पर वैसे ही कोई नियम बना देते हैं कि यह अपव्यय है और यह व्यय है तो यह उचित नहीं होगा। हर मन्दिर की अलग-अलग मर्यादा होती है, वह एक बहुत विशाल सीमा होती है और इससे प्रत्येक जगह के मन्दिरों के सम्बन्ध में विशेष तरीके से और भी देखना पड़ेगा। कई प्रकार के मन्दिर हैं और वे सब उपासना और साधना से सम्बन्ध रखते हैं और उन के आचार्यों के दिये हुये संकेतों पर उन की सृष्टि भी हुई है और उन की अपनी-अपनी एक मर्यादा भी है। यदि वे सारी बातें इस कमेटी के सामने न रहें तो सम्भव है कि उसको भ्रम हो जाय। मैं कमेटी के मेम्बरों के ऊपर आक्षेप नहीं करता। लेकिन अभी विश्वासमूलक वातावरण देश का इतना सघन है कि अभी राजनीति में इतना बल नहीं है कि वह उस वातावरण को निकाल कर बाहर फेंक दे। मैं जानता हूं कि इस देश को स्वतंत्रता इस कारण भी मिली कि हमारे पूज्य बापूजी गीता, कुरान और बाइबिल के उपदेश भी लोगों को दिया करते थे और ईश्वर चिन्तन में भी अपना बहुत-सा समय लगाते थे। यहां का जीवन केवल अर्थ संचालित ही नहीं है। अर्थ बहुत ही मुख्य बात है। यहां धर्म की प्रधानता है लेकिन यदि हम भौतिक रूप से उसके अन्दर शरीर नहीं बनाते तो हमें सुख प्राप्ति नहीं होगी। यह एक नये प्रकार के दार्शनिकों का विचार है।

मैंने अपने विचारों का केवल संकेत मात्र ही किया है और विशेष कर अपने उन माननीय सदस्यों को जिनका नाम उस कमेटी के अन्तर्गत है। इन हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और इन दैवी सम्पतियों की मर्यादा है वह इसके ऊपर विचार करेगी कि राज भोग कैसे लगेगा। वहां के पुजारी और मैनेजर का व्यक्तिगत जीवन कैसा है और वह अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए कितना त्याग लेता है और लोग उसके ऊपर कितने आक्षेप करते हैं। इन सब

बातों को देखते हुये मन्दिरों के सम्बन्ध में मर्यादा की स्थापना करने जा रहे हैं। इसके पश्चात् यह वस्तु हमारे सामने आयेगी और हम उसको उस समय देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मेरा निवेदन यह है कि हम इतनी दूर न चले जायं जिससे परिवर्तन करने में कठिनाई पैदा हो जाय।

श्रीमन्, मैं ऐसा भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि विरोधी पक्ष की ओर से जितनी बातें कही जाती हैं वह केवल विरोध के लिए ही कही जाती हैं और उन में कोई तत्व नहीं होता है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि उनमें से अधिकतर लोग अपने हृदय से बोलते हैं और सच्चाई तथा ईमानदारी के साथ अपने सुझाव इस आदरणीय सदन के समक्ष उपस्थित करते हैं। उन की ओर हम को श्रद्धापूर्वक ध्यान देना चाहिए। माननीय मन्त्री जी ने इतने गम्भीर विषय को सदन के समक्ष रखा है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि लड़कपन में कोई बात कह दी जाय और यह भी नहीं होना चाहिए कि अल्पकाल में ही सदन इसको स्वीकार कर ले। यह बात किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। हमें इसकी मर्यादा का भी पूर्ण ध्यान रखना चाहिए : मुझे दुख है कि हमारे आचार्य जी जिनका मन्दिर मथुरा में है वह इस समय उपस्थित नहीं हैं। यदि होते तो वह सदन को कुछ प्रकाश इस विषय पर देते। इलाहाबाद के माननीय महावीरप्रसाद जी शुक्ल ने एक मार्ग दर्शन किया है कि मन्दिरों में एक मर्यादा हो। इसके लिए एक कमेटी होगी और पता नहीं उसका क्या रूप रंग होगा। प्रत्येक मनुष्य के सामने अपना जीवन है और हमारे सामने एक रूप खड़ा हो जायगा और उसका परिणाम हमारे सामने आयेगा उस समय हम समझेंगे। लेकिन जो हमारे पुजारी और साधक हैं वह तो अपने मौन आंसू ही बहायेंगे और हमारे प्रदेश की एक अमूल्य चीज निकल जायेगी। इसलिए हमें इसमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ, इन सुझावों के साथ मैं माननीय सदस्यों से जो प्रवर समिति में बैठेंगे, उन से कहूंगा कि यदि मैंने कोई ऐसी बात कही हो जिस से किसी को चोट लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। यदि कुछ कहने से रह गया हो तो वह मेरी दुर्बलता के कारण है। लेकिन मेरा अभिप्राय जो है उस को माननीय सदस्य सोचने की कृपा करेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत विधेयक जो मन्त्री जी ने प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिए रखा है, उसके सम्बन्ध में एक दो बातें कहना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। श्रीमन्, अभी इसके पहले जो माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, विशेषतया माननीय विष्ट जी के भाषण को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि किसी हिन्दू मुस्लिम ढंग की शंका हो गयी है और वह बहुत घबरा गये हैं और ऐसा मालूम हुआ कि सारा प्रदेश धार्मिक जोश में मदान्ध हो गया है और जिसका निराकरण कराना वह इस आदरणीय सदन में चाहते हैं।

श्रीमन्, इस में दो रायें नहीं हैं कि धर्म अच्छी चीज है और माननीय मिश्र जी ने हमें दार्शनिक परिभाषा बतायी। लेकिन हम तो ज्यादा नहीं पढ़े हैं। केवल इतना जानते हैं कि समाज के प्रति हमारा क्या कर्त्तव्य है। यही धर्म है जो धारण किया जा सकता है और जो उचित है समाज के लिए। अपने आचार के लिए वही धर्म है। इसको देखते हुये यदि कहीं कोई गड़बड़ी हो, कहीं पैसे का दुरुपयोग किया जाता हो तब उसका नियन्त्रण करना कोई बेजा बात नहीं है। उसका नियन्त्रण होना ही चाहिए। श्रीमन्, दो वर्ष पहले मुझे इसकी जानकारी हुई। बदरीनाथ मन्दिर में भगवान की मूर्ति का मुकुट ही गायब हो गया। मुझे मालूम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तक इन मठों के मुकदमे चलते हैं। ऋषि मुनि जंगलों में जीवन व्यतीत करते थे। उपनिषद् में एक जगह लिखा है---"तेन त्यक्तेन भुंजीथाः'---अगर जीवन का मजा लेना है तो दुनिया को त्याग दो। महात्मा बुद्ध ने त्याग दिया। मैं जानना चाहता हूं कि इन मठों में कौन सी लिप्सा है, कौन सा कंचन है, कौन सी सम्पत्ति लिपटी हुई है, जो इतना विवाद है? यह दुख की बात है कि सरकार ने इन्सान की जमींदारी खत्म कर दी, मगर मन्दिरों की जमींदारी का खात्मा नहीं किया। ठाकुर जी कुछ खाते तो हैं नहीं। हमारे घरों में सत्यनारायण जी की कथा होती है। ठाकुर जी को दूध में डाल देते हैं। वह ठाकुर जी अगर एक घूंट भी

[श्री उग्रसेन]

दूध पीते तो कोई कथा नहीं कहलवाता। ठाकुर जी ईमानदारी से बाहर निकल आते हैं। जो ठाकुर जी इतनी ईमानदारी बरत कर दूध के अन्दर धुल कर बाहर निकल आते हैं, उन्हीं ठाकुर जी के नाम पर, उन की पवित्र गाथा के नाम पर तमाम गड़बड़घोटाला हो, देवताबाजी हो, यह कहां तक उचित है? माननीय मिश्र जी मानेंगे कि यह भी सही है, जब किसी शोषक वर्ग को, बुर्जुआ को जनता को लूटने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता तो वह धर्म का नारा दिया करता है। जारशाही राज्य में, रूस की क्रान्ति से पहले लेनिन को मजबूर होकर कहना पड़ा था कि धर्म समाज के लिए जहर है। अगर धर्म समाज के लिए अमृत का काम करता है, तो वह धारण करने योग्य है। लेकिन अगर वह विष का काम करता है तो सर्वथा त्याज्य है। मनुस्मृति में लिखा है कि यदि किसी चांडाल के पास धन हो तो द्विजों का परम कर्त्तव्य है कि उसको लूट लें।

कुंवर श्रीपालसिंह---एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह जो मनुस्मृति से कोट किया है, वह कृपया बतलायें कि वह कौन से पन्ने पर और किस जगह पर छपी हुई मनुस्मृति में है और किस एडीशन में है।

श्री उग्रसेन---माननीय सदस्य को मैं दिखला दूंगा। यही नहीं श्रीमन्, इसको तो मानेंगे---

'पतितोऽपि द्विजः श्रेष्ठः न च शूद्रो जितेन्द्रियः।

"पूजिय विप्र शील गुन हीना।" तुलसीदास ने लिखा है।

कुंवर श्रीपालसिंह---यह मनुस्मृति का है?

श्री उग्रसेन---यह नहीं है। पहला तो है। मैं माननीय सदस्य को खुद उनके घर पर जाकर दिखला दूंगा।

श्री अधिष्ठाता---प्रस्ल में प्रश्न यह नहीं है कि धर्म क्या है। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि माननीय सदस्यों को कुछ भ्रम है। यहां पर धर्म की व्याख्या नहीं हो रही है। यह जो मन्दिरों के बारे में व्यय, अपव्यय होता है उसकी व्याख्या, धर्म से अलग कर के, अगर माननीय सदस्य करें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री उग्रसेन---मैं कह रहा था कि धारण करने योग्य कौन धर्म है...

श्री अधिष्ठाता---उन्होंने जोर इस बात पर दिया कि अपव्यय की परिभाषा धार्मिक आधार पर होनी चाहिए। इसी से सम्बन्धित बात इस में कहनी चाहिए।

श्री उग्रसेन---हमारे प्रदेश में मन्दिरों में, धार्मिक संस्थाओं में और मठों में अगर कहीं पर अव्यवस्था है और उस को रोका जाय तो यह कोई अनुचित बात नहीं है। उसकी रोकथाम जरूर होनी चाहिए। सरकार की तरफ से एक ज्ञापन छपा हुआ है जिस में यह बताया गया है कि २२, २३ मठों की पच्छिमी जिलों में जांच की गयी तो मालूम हुआ कि लगभग ७ करोड़ की जायदाद उन मन्दिरों के पास है। यह छानबीन करके पता लगाया गया है। वह छानबीन प्रदेश में अभी पूरी नहीं हो सकी। पूर्वी जिलों में फैजाबाद, वाराणसी ऐसे बहुत से जिले हैं जहां पर बड़े-बड़े मठ हैं। अगर उनकी जायदाद का पता लगाया जाय तो अरबों की जायदाद मिलेगी जो ठाकुर जी के नाम से लिखी हुई है। खसरा खतौनी में ठाकुर जी का नाम लिखा हुआ है। हमारे खेत पर अगर कोई किसान काबिज हो जाय तो साल या दो साल तक उससे लड़ा जा सकता है लेकिन अगर ठाकुर जी का कब्जा हो गया तो फिर किस के साथ मुकदमा लड़ा जाय? दूसरी जगह गड़बड़ी होती है तो सी० आर० पी० सी० वहां पर मदद कर सकती है लेकिन यहां पर क्या किया जाय? मैं समझता हूं कि इन जायदादों पर यदि नियन्त्रण होता है, सरकारी नियन्त्रण

में ये जायदादें आती हैं तो यह एक सही बात है, लेकिन मैं उसका विरोध करता हूं जिसमें अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार से पूजा में हस्तक्षेप करने की बात कही जाती है। माननीय मन्त्री जी जरा ध्यान दें। इसकी धारा ८ में जो कहा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। धारा ८ में आप कमिश्नर को यह अधिकार दे रहे हैं कि वह तय करे कि मन्दिर में प्रवेश द्वार कौन हो, निकासी द्वार कौन हो, वहां के ओहदों को रेगुलेट करें, घंटा किस समय बजे, उसको रेगुलेट करें, तो इस प्रकार की चीजें अवांछनीय हैं और यह एक प्रकार से हस्तक्षेप है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे यह कि अगर कमिश्नर साहब ईसाई हुये, या मुसलमान हुये तो तब क्या हो....

कुंवर श्रीपालसिंह--मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि सबेरे माननीय उपाध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि इस बिल की धाराओं में न जाइये। तो क्या माननीय सदस्य को यह हक है कि उस व्यवस्था के बाद भी एक-एक धारा पर अपने विचार व्यक्त करें ?

श्री अधिष्ठाता--केवल पार्सिंग रेफरेंस दे सकते हैं।

श्री उग्रसेन--मेरे कहने का मतलब यह है कि हस्तक्षेप किस को माना जाय। अगर इस तरह से किया जाय जैसा कि इस धारा में मैंने बतलाया तो यह हस्तक्षेप है। अगर कोई मन्दिरों में प्रार्थना करता है या पूजा पाठ करता है या गीता पढ़ता है अगर उन से यह कहा जाय कि इस तरह से पढ़ो तो यह हस्तक्षेप है। मन्दिरों की सम्पत्ति के बारे में अगर कोई नियन्त्रण लगाया जाता है तो यह हस्तक्षेप कतई नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यह प्रस्ताव यहां पर रखा गया है कि यह प्रवर समिति में जाय और माननीय सदस्य वहां पर अपने खयालात रखेंगे। जो इससे भिन्न अपने विचार रखते हैं वह भी वहां पर रहेंगे। वह अपने विचार बखूबी वहां पर जाहिर कर सकते हैं।

यहां के मठों की हालत दूसरे देशों के मठों से बिलकुल भिन्न है। जब मैं बर्मा गया था तो वहां पर मैंने देखा कि बहुत से आश्रम बने हुये हैं। बहुत से लोग उन आश्रमों में रहते हैं। उनका ऐसा अच्छा प्रबन्ध है और व्यवस्था है। सारे बर्मा में काफी पूंगीच्या हैं जिनका प्रबन्ध वहां के पोठस्थविर करते हैं। वहां पर बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारे यहां ऐसे कितने मठ और मन्दिर हैं जो विद्यालय चलाते हों ? जब मालवीय जी विश्वविद्यालय खोल रहे थे तो उन्होंने हमारे यहां एक पौहारी महाराज थे उन के पास सन्देश भेजा कि आप भी चन्दा दीजिये, तो पौहारी महाराज ने कहा कि हम नहीं देंगे, हमारे कौन से बच्चे वहां पर पढ़ते हैं ? बहुत बड़ी जायदाद उन पौहारी महाराज के पास है। हजारों किसान उन्होंने बेदखल कर दिये हैं, जो बेचारे तबाह हो रहे हैं। जो लोग धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के पूजने की आड़ में समाज का शोषण करते हैं उनके ऊपर सरकार द्वारा नियन्त्रण होना चाहिए और समाज का नियन्त्रण होना चाहिए और जनता का नियन्त्रण होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं जानता हूं कि धर्म का नारा लगा कर यह किया जायगा। मेरा घर नदी के किनारे है। बहेलिये वहां जाते हैं और एक गाय ले लेते हैं और उस के नीचे बंदूक रखते हैं और कातिक के महीने में बड़ी बड़ी चिड़ियां जो वहां आती हैं उन को मारते हैं। मैं नहीं चाहता कि समाज के धर्म के ठेकेदार सामने गाय रख कर इस तरह से शिकार करें।

मैंने मथुरा, वृन्दाबन का १९३९-४० में दौरा किया है और जो हलुवा मुझे उस समय वहां खाने को मिला, आज तक जिन्दगी में कभी नसीब नहीं हुआ। एक जगह ऐसा था कि जहां वे कहते थे कि हमारे कपड़े पहन कर ही मन्दिर में जा पाओगे, पूजा करने। और फिर आप देखिये कि वहां की जायदाद में कितने झगड़े हैं। हीरे का मुकुट है, चुरा लिया गया। मैंने पढ़ा था कि शंकर भगवान का एक भक्त ऊपर का घंटा चुराने के लिए उन्हीं पर चढ़ गया। वे औघड़ दानी बड़े खुशी हो गये। उन्होंने सोचा कि यह देखो कैसा भक्त आया कि जिसने स्वयं को मेरे ऊपर चढ़ा दिया और उन्होंने उसे स्वर्ग दे दिया। तो ऐसे औघड़दानी ही ऐसे चोर को

[श्री उग्रसेन]

क्षमा दे सकते हैं। दूसरा कोई नहीं। मिश्र जी ने जैसा कहा, बिलकुल सही है। वहां धार्मिक विवेचन करने वाले लोग हों, तत्व और दर्शन जानने वाले हों, सही रास्ते पर ले जाने वाले लोग हों, तो ठीक है। महात्मा कनिष्क के जमाने में जब बुद्ध धर्म के मामले में विवाद खड़ा हुआ तो एक विश्व सम्मेलन बुलाया गया, दुनिया के विद्वान उस में शामिल हुए तक्षशिला में अन्तिम विवाद हुआ और उस समय धर्म दो भागों में बंटा। मैं हिन्दू धर्म के ठेकेदारों से जानना चाहता हूं कि क्या उसका कोई विश्व सम्मेलन हुआ है इधर ? क्या उसकी खराबियों को दूर करने के लिए उसने किन्हीं लोगों से सुझाव मांगे ?

राधाकृष्णन् साहब ने हिन्दू फिलासफी के बारे में दो बड़ी बढ़िया किताबें लिखी हैं। क्या उनकी कल्चर और सभ्यता के अनुसार मंदिरों में आचरण हो रहा है ? श्री बिड़ला जी चाहे जो करते रहें, लेकिन अगर उन्होंने एक मन्दिर बनवा दिया, कुशीनगर में एक मन्दिर बनवा दिया तो पता चल गया सब को कि बड़े धार्मिक हैं। हमारे सोशलिस्ट पार्टी के नेता विश्वनाथ मन्दिर में अछूतों को ले जाने के लिए लड़े तो उनकी दाढ़ी उखाड़ दी गयी। इस तरह की बातों का हम विरोध करते हैं। हमारे यहां के आसफुद्दौला साहब थे। आज भी कहते हैं 'जिसको न दे मौला, उसको दे आसफुद्दौला'। कोई गरीब भी ईंट ले जाकर रख आये उस को खाना मिल जाता था। जहां गरीबों को रोटी मिले वहीं धर्म है। इसलिए मैं अधिक न कह कर यह कहूंगा कि सही धर्म स्थापित करने के लिए मन्दिरों पर नियन्त्रण किया जाय और उसके लिए इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह विधेयक सदन के सम्मुख रखा है मैं इसका स्वागत करता हूं। आज इस बात की आवश्यकता थी कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हमारे मन्दिरों में बढ़ा हुआ है उसे किसी प्रकार से रोका जाय और उसे रोकने के लिये राज्य सरकार अपना दखल दे। अभी हमारे एक वक्ता महोदय ने गांधी जी का बड़े जोर से नाम लिया और कहा कि गांधी जी धर्म के मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे। जहां तक गांधी जी का सवाल है गांधी जी कभी किसी मन्दिर या मस्जिद में नहीं जाते थे। उनका मन्दिर तो खुले हुए आकाश में हुआ करता था और उनका वह मन्दिर हरिजनों के लिये था। वे जहां जाते थे वहां यही कहते थे कि हरिजनों के लिये पैसा दो। किन्तु आज का जो धर्म है वह तो समाज को नीचे की ओर ले जा रहा है। गांधी जी का यह उद्देश्य कभी नहीं था। माननीय सदस्यों ने और भी बातें कहीं जो ठीक भी थीं और मैं उनका विरोध करना नहीं चाहता। किन्तु आज लाखों लोग धर्म के नाम पर जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं।

जहां तक सरकार द्वारा इस प्रकार के पैसों पर नियंत्रण का सवाल है, मैं समझता हूं, उसमें सरकार को अवश्य दखल देना चाहिये। आज मठों के पास लाखों की सम्पत्ति है और लोग जिस तरह से उस धन को बरबाद करने की शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं उसे कोई इन्सान पसन्द नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं कि धर्म के मामले में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, किन्तु जब आप धर्म को किसी दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो इस ओर राज्य सरकार को दखल देना पड़ता है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह उस पर नियंत्रण करे। गांधी जी के समय में देश परतंत्र था और उस वक्त हमें इन मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्रता भी नहीं थी और न ही हम कोई कदम उठा सकते थे। किन्तु गांधी जी कभी इस बात के समर्थक नहीं थे कि धर्म के नाम पर पैसा लिया जाय और उसे बरबाद किया जाय। हमें अपने महान नेता गणेश शंकर विद्यार्थी की कुरबानी याद है। उस समय में और आज के समय में जमीन आसमान का अन्तर है। आज जो मन्दिर बनते हैं उनका उद्देश्य ही दूसरा होता है। मैं उन बातों की तरफ आपका ध्यान खींचना नहीं चाहता हूं, लेकिन जहां दूसरी ओर जो विधेयक में संकेत किया गया है उस पर अवश्य निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारे विश्वनाथ के मन्दिर में, बदरीनाथ के मन्दिर में तथा और दूसरे बड़े-बड़े मन्दिरों में लाखों रुपया आता है। मैं पूछना चाहता हूं

वह रुपया कहां खर्च होता है ? क्या उसका कोई हिसाब-किताब है ? उसमें गरीब आदमी जाता है, गरीब आदमी का पैसा वहां इकट्ठा होता है और आप कहते हैं कि वह सब भगवान् के नाम पर खर्च होता है । मैं इस तरह से भगवान् के नाम पर उस रुपये को बरबाद करने के लिये हरगिज इजाजत नहीं दे सकता । धर्म का इससे क्या संबंध है ? आप किसी भी धर्म की किताबों को पढ़िये, किसी भी धर्म पर चलिये, इसमें सरकार कोई दखल नहीं देती, लेकिन एक मन्दिर बना कर और उसके जरिये पैसा इकट्ठा करके, उसको गलत तरीके से बरबाद करने के लिये कोई भी इजाजत नहीं देगा और सरकार को इस तरफ कदम उठाना चाहिये । आज कितने ही मन्दिर ऐसे हैं, कितने ही ऐसे गिर्जाघर हैं या जो हिन्दुओं की संस्थायें हैं, वहां लाखों रुपया आता है और वह जनता की जेबों से जाता है और उसका बुरी तरह से दुरुपयोग होता है । आज वे स्थान घृणा का स्थान बनते जा रहे हैं और इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता । गांधी जी ने भी इस ओर संकेत किया था कि देश का लाखों रुपया धर्म के नाम पर हलाल तथा दुरुपयोग किया जाता है । अगर सचमुच वहां भगवान रहते हैं तो आप भगवान को रखिये, लेकिन हम जो परिश्रम से रुपया पैदा करते हैं, पंडित के या पुजारी के हाथ में रुपया देते हैं तो उस पैसे को हम देखना चाहते हैं कि वह कहां खर्च करना चाहते हैं, इसमें सदन के किसी भी सदस्य को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । रुपये-पैसे के हिसाब के सम्बन्ध में मैं समझता हूं सदन का हर एक सदस्य सरकार के साथ सहयोग करेगा ।

जहां तक धर्म का सम्बन्ध है उस सम्बन्ध में धर्म का नशा भी यहां लाया जा रहा है। आपके सत्यनारायण की कथा क्या है ? हर भला आदमी अपने कर्मवाद को तो जानता नहीं, वह समझता है कि पाप से छुटकारा पाने के लिये सत्यनारायण की कथा सुन लीजिये, बदरीनाथ चले जाइये, माघ मेले में चले जाइये--यह कोई बहुत बड़ा धर्म नहीं है । आज देश जब आगे बढ़ रहा है तो कुछ माननीय सदस्यों में बौखलाहट पैदा हो गई है, लेकिन जिस समाज पर आज आपके कर्म का नशा छाया हुआ है वह समाज बहुत जल्द ही उस धर्म से पीछे हटेगा और राष्ट्र-धर्म को अपनायेगा । आज हमारा राष्ट्र-धर्म कहां है ? रेलगाड़ी में आप पंखे उतार लेते हैं, कपड़े टांगने की खूंटियां और बेंच उखाड़ लेते हैं । राष्ट्र-धर्म आज नहीं सिखलाया जा रहा है। सिखलाया जा रहा है कि सत्यनारायण की कथा सुन लो, रामायण पढ़ लो; रामायण में कितनी विशेषता और गहनता है उस तरफ समाज को न ले जाकर धर्म का नशा ही कायम रखेंगे तो समाज बहुत दिनों तक प्रतीक्षा नहीं करेगा ।

आपने देखा, दक्षिण भारत में क्या हो रहा है ? आज आपका धर्म कहां चला गया है ? आज कजगम के लोग क्यों उमड़ रहे हैं और जो वहां बगावत हो रही है, उसकी तह में क्या है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--माननीय सदस्य बार-बार "आप" का प्रयोग कर रहे हैं, यह वह आपके लिये प्रयोग कर रहे हैं या सरकार के लिये ?

श्री प्रभुदयाल--वह तो मोतीलाल जी स्वयं समझ सकते हैं कि मैं चेयर के लिये प्रयोग कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता--"आप" का प्रयोग इस तरह से चेयर के लिये नहीं होना चाहिये, यह उचित नहीं है ।

श्री प्रभुदयाल--मैं तो चेयर के द्वारा ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज समाज के धर्म के बारे में जो तरह-तरह के खयालात हैं उनमें सरकार आज कोई दखल नहीं देने जा रही है। सरकार इतना ही चाहती है कि मन्दिरों में, बदरीनाथ के मंदिर में, विश्वनाथ के मंदिर में इतना रुपया जुड़ता है तो उसका कोई हिसाब-किताब नहीं होता है, उसका कोई अच्छी जगह पर खर्च नहीं होता है, उसकी देखभाल करने के लिये सरकार इस विधेयक के द्वारा उचित व्यवस्था करना चाहती है, तो ऐसे विधेयक का विरोध करना कोई वाजिब बात नहीं है ।

[श्री प्रभुदयाल]

जहां तक यह कहा गया कि इस विधेयक से बहुत बड़ी क्रान्ति या अशान्ति हो सकती है, तो ऐसे शब्दों से समाज में आज कोई घबराहट नहीं होती, इससे कोई बौखलाहट होने वाली नहीं है कि क्रान्ति हो जायगी, उत्तर प्रदेश का हर बालिग आदमी इसका हृदय से स्वागत करेगा, बल्कि सरकार को तो इससे और बड़ा कदम उठाना चाहिये था और उसका स्पष्टीकरण करना चाहिये था । राष्ट्र-धर्म आज लोग भूलते जा रहे हैं । राष्ट्र-धर्म को न समझने के कारण आज राष्ट्र आगे नहीं बढ़ रहा है । अगर लोग समझें, तो हमारे आये दिन जो झगड़े होते हैं, जो उत्पात होते हैं, उनसे लोग बच सकते हैं । लेकिन सारा समाज जो दूसरे ढंग से चल रहा है, उससे यूनिवर्सिटीज में गड़बड़ी होती है, स्कूलों में गड़बड़ी होती है, आये दिन हड़तालों की बातें आती रहती हैं, कारखानों में हड़तालें हुआ करती हैं, ये सारी चीजें बन्द हो सकती हैं, अगर राष्ट्र-धर्म की भावना लोगों में पैदा की जाय। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

*श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, बहुत देर हो गई मुझे सुनते-सुनते । एक चीज मुझे बड़ी सुन्दर मिली । वह कौन-सी चीज मिली ? वह चीज यह मिली कि मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या और काशी के जो मन्दिर हैं, वहां पर जो पुजारी और पंडे हैं, वहां से कुछ मन्दिरों की अच्छी-अच्छी चीजें सोने और चांदी की गायब हो गईं और उनके बेटे और भतीजों ने ले लीं, यह चीज बड़ी सुन्दर मिली । तो श्रीमन्, मंत्री लोग जो अपने भाई भतीजों को मदद किया करते थे वही चीज मालूम होती है, उन मन्दिरों के पुजारियों को भी मालूम हो गई और उन्होंने भी वही करना शुरू कर दिया । श्रीमन्, पुजारी का अर्थ दूसरा होता है ? मैं भी पुजारी हूं लेकिन मैं देश की पूजा करने वाला हूं । यह उधर के लोग जो रोज गांधी जी का नाम लिया करते हैं, लेकिन मैं तो एक साल तक गांधी जी के साथ रहा । वही गांधी जी जो कहा करते थे:

रघुपति राघव राजाराम,
पतित पावन सीताराम,
ईश्वर अल्ला तेरे नाम,
सबको सन्मति दे भगवान ।

मन्दिर, मस्जिद, ईश्वर, अल्ला सब एक हैं, हिन्दु मुसलमान सब एक हैं । यह सरकार वर्ग-विहीन समाज की बात करती है, यह सरकार गांधी जी के नाम पर झूठ फरेब और न मालूम कितने अन्याय करती है । न मालूम कितने आदमियों को भोजन नहीं मिलता लकिन जब चुनाव आता है तो यह लोग रामानन्दी तिलक लगाकर आ जाते हैं और बाद में धोखा देते हैं ।

श्रीमन्, मैं एक चीज सुनाना चाहता हूं कि एक किसान के यहां एक महात्मा आ गये और उस दिन उनका समधी भी आ गया, उस दिन उसके यहां अच्छी दावत थी । उस किसान ने महात्मा जी के सामने पूड़ी, कचौड़ी, और रबड़ी वगैरह रखी और अपने समधी के सामने सादी रोटी रख दी । तो उसकी स्त्री पर्दे के अन्दर से कहने लगी कि इससे तो नाक कट गई, तुमने तो समधी के सामने टिक्कर रख दिये और वैरागी के सामने पूड़ी, कचौड़ी और रबड़ी रख दी । तो मर्द कहने लगा कि नाक यहां से ही तो कटी, ऊपर वाले के यहां से तो नहीं कटी । हमारे यहां माताएं और बहनें नाचा करती थीं क्या ? यह सरकार उसे सभ्यता बता रही है, चुटिया खुलवा रही है, बाजार में डुलवा रही है सारी उल्टी सभ्यता है ।

भजन करने के लिये देह बनाई हर ने, पूजा करने के लिये देह बनाई हर ने, सच बोलने के लिये देह बनाई हर ने।

और अब ?

अब धोखा देने के लिये देह बनाई हर ने, ब्लैक करने के लिये देह बनाई हर ने, नये-नये टैक्स लगाने के लिए सरकार बनाई हर ने । खद्दर के थैले नीचे माया छिपाई हर ने, और अपने भक्तों के लिये मौज उड़ाई हर ने । यह कट्टर घोड़ा बिना लगाम, जो घूमत है चारों धाम।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज कह रहे हैं कि पुजारी खा जायेंगे, पुजारिनें खा जायेंगी । क्या खा जायेंगी ? तुम को खा जायेंगी, तुम्हारे लड़कों को खा जायेंगे या लड़कियों को खा जायेंगे ? आज भूखों को रोटियां मिल जाती हैं । ३, ३ और ४, ४ हजार भूखों को सदावृत्त खिलाया जाता है, जबकि तुम्हारे यहां जो सौदा करने आवें उन्हें चाय पिलाई जाती है । मैं कह दूं कि मैं समाजी, हम सभी समाजी और हिन्दू मुसलमान सभी समाजी, अछूत भाई भी समाजी । पूछिये कि जब सतावत का मेला आता है तो स्वामी दयानन्द की फोटो आती है या नहीं और उसके माला डाली जाती है या नहीं । क्यों यह पूजा होती है ? पूजा महान पुरुषों की होती है । इसे खत्म करके देश जिन्दा नहीं रह सकता है । इस बिल को वापस लो जो दुनियां में जिन्दा रहना चाहते हो और मुहं दिखाना है । मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो मंत्री मेरी बात नहीं मानेगा मैं तो अब के खड़ा नहीं होऊंगा लेकिन मंत्री जी आवें और मैं देखूंगा कि वे कैसे वोट ले जाते हैं । मनुष्यता के नाते इस बिल को वापस लो और पश्चाताप करो कि ऐसा कभी नहीं करेंगे और न कभी सोचेंगे ।

श्री हरदेव सिंह (जिला सहारनपुर)—प्रधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है । यह विधेयक बहुत सुन्दर विधेयक है । मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हमारे सत्य सनातन धर्म यानी प्राचीन धर्म में कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं है । जब मैं छोटा बच्चा था तब की मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी माताजी भूमिया का चिराग जलाने जाया करती थीं । वहां पुजारी उनको ऊपर चढ़ने नहीं देता था और कहता था कि अरे छुयेगी तो यह खराब हो जायगा, नीचे से ही चिराग जला दे । जहां मन्दिर में ईंटें लगी हुई थीं वहां मेरी माता जी को वह नहीं बैठने देता था । मैं भी छोटा-सा रोता-रोता अपनी माता जी के साथ चला जाया करता था, लेकिन मैं बहुत दुखी होता था जब कि चिराग जलाकर मेरी माताजी चली जाती थीं तो एक कुत्ता आकर जो चढ़ावा दूसरे लोग रख जाते थे उसे चाटता था और ऊपर चढ़ता था । मैं अपनी माताजी से कहा करता था कि यह कुत्ते को तो मना नहीं करता लेकिन तुमको मना करता है । वह कहती थीं कि कुछ समझ में नहीं आता । ऐसी पुरानी रूढ़ियों को ही ठुकराने के लिये यह गांधी आया था जिसने एक नारा लगाया था कि सारे संसार के लोगों, एक झंडे के नीचे आओ । कहो अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान् । मन्दिर मस्जिद तेरा धाम, हिन्दू मुस्लिम एक समान । इतना सुन्दर उन्होंने कहा लेकिन फिर भी, सज्जनवृन्द, मैं आपके सामने क्या कहूं ? हमको तो समय नहीं मिलता और न हमारा कोई नाम जानता है । पूरब के भाई बोलते हैं, उनको समय मिल जाता है । पश्चिम वालों को समय नहीं मिलता है क्योंकि वहां बड़ा आनन्द है । पूरब के लोग बेचारे भूखे भी हैं जो सत्तू ही खाते हैं, मगर हम तो जानते भी नहीं कि सत्तू क्या होता है । कहने का मतलब यह है कि हमें समय नहीं मिलता है ।

लेकिन एक बात यह है कि बापू ने सारी रूढ़ियों को खत्म करने के लिये जन्म लिया था । 'यदा यदाहि धर्मस्य' यह हमारे ऋषियों ने कहा है । जब धर्म का लोप होता है तभी कोई महान् आत्मा आती है और उसे ठीक करती है । लेकिन क्या कोट कांगड़े में चढ़ावे में बकरे नहीं बल्कि झोटे चढ़ाये जाते हैं और उनको कत्ल करते हैं ठाकुर लोग, यानी क्षत्रिय लोग । क्या यही पूजा है जो झोटों की कुर्बानी दी जाती है ? क्या बापू ने झोटों के मारने की आज्ञा दी है ? मैं प्रार्थना करूंगा उन भाइयों से जो मूर्तियों के पुजारी हैं कि वे जरा गौर से देखें कि हरिजनों को तो कहते हैं कि ये शराब पीते हैं परन्तु कालीजी पर शराब चढ़ाई जाती है और देवी पर बकरे की भेंट चढ़ाते हैं । कहीं सुअर भेंट चढ़ाये जाते हैं, कहीं मुसलमान लोग गाय की कुरबानी करते हैं और अनेक इसी प्रकार के काम देवता और भगवान् के नाम पर किये जाते हैं । इन कुरीतियों को दूर करने के लिये ही बापू आया था । कहा जाता था कि स्त्रियों और शूद्रों का आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है । लेकिन आज बापू के कारण स्त्रियों में से विजय लक्ष्मी पंडित भारत की राजदूत बन कर बाहर जाती हैं । ये ही राजे महाराजे जो कुरीतियों में अपना पैसा बरबाद करते थे, मन्दिरों में अपना पैसा

[श्री हरदेवसिंह]

देते थे, वे ही लोग आज कन्या पाठशाला और कन्या गुरुकुलों को पैसा देते हैं; और अब उन गुरुकुलों से लक्ष्मी बाई निकलेंगी, जिनसे कपिल और कणाद निकलेंगे। आज दान छोटों को कत्ल करने के लिये नहीं बल्कि हरिजनों के उद्धार के लिये दिया जाता है। बापू ने दुनियां ही बदल दी है। मैं भी प्रचारक रहा हूं, मुझे मालूम है कि मन्दिरों में क्या क्या होता था लेकिन मैं कह नहीं सकता। मन्दिरों के सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। मन्दिरों के मैं खिलाफ नहीं हूं। मन्दिर बड़ी अच्छी चीज है। मुलसमानों के यहां जब अजान बुलती है तो सब लोग नमाज पढ़ने के लिये जाते हैं लेकिन जब मन्दिर में शंख बजता है, कितने हिन्दू लोग पूजा करने के लिये वहां जाते हैं? कितने जानते हैं मंत्र प्रजापति के (हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथ्वीं द्या मुतेमां, कस्मै देवाय हविषा विधेम', मंत्र भी नहीं जानते हैं, 'शन्नो देवी' कहना नहीं जानते हैं इसलिये आओ, हम अपने मन्दिरों का सुधार करें और उनके सुधार के लिये अपने जीवन को लगा दें। यही हमारा कर्त्तव्य है। गांधी जी ने हमको बताया है कि धर्म का प्रचार करो और जो लाखों भूखे और नंगे फिरते हैं उनका पालनपोषण करो। वे कहते थे कि हरिजन तो मेरे कृष्ण गोपाल हैं।

इसलिये यह विधेयक बहुत सुन्दर विधेयक है और इसको हमें मिलजुल कर पास कर देना चाहिये और मन्दिरों में सुधार करना चाहिये। मुझसे जो त्रुटि हो गई हो उसको माफ करें।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---श्रीमान् जी, जो हमारे विरोधियों की ओर से इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में बातें कही गई हैं, उनका मैं समर्थन करता हुआ अपनी बात कहना चाहता हूं। यह जो विधेयक पेश किया गया है उसके द्वारा सरकार हिन्दुओं के मंदिरों और उनकी सम्पत्ति को लेकर उनका सर्व संहार करना चाहती है। कहना यह है कि जब आपने अपने को जाति धर्म के नाम से निकाल दिया तब फिर आप इस जाति धर्म का एकांगी नाटक क्यों दिखा रहे हैं? कृपा करके बताइये जब हिन्दुओं के मन्दिरों की सम्पत्ति आप बरबस ले रहे हैं तो मुसलमानों की मसजिदों की सम्पत्ति क्यों छोड़ रहे हैं? क्या उनमें अनर्थ नहीं होता? या उन पर चढ़ावा नहीं चढ़ता या उनसे डर रहे हैं? क्या बात है जो आपने उनकी मसजिदें छोड़ दी? यह एकांगी नाटक अब देखा नहीं जाता। आपने उसी तरह से बढ़ा बढ़ा कर मुस्लिम लीग को तैयार किया था और भारतवर्ष का बटवारा करा कर चौपट बाद कर दिया, आज भी आप वही करने जा रहे हैं। इसलिये आपको इसके ऊपर विचार करना चाहिये। जब सरकार लिये बैठे हैं तो सबको समान दृष्टि से देखिये, गांधी जी के नाम को कलंक से बचाइये। यह क्या गजब मन्दिरों पर करने जा रहे हैं। यही तो मन्दिर प्रख्यात हैं जैसे गोला गोकर्णनाथ, नीमसार, अयोध्या, मथुरा, बृन्दाबन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बनारस, जहां चढ़ावा चढ़ता है। इसके अलावा कौन बहुत ज्यादा हिन्दुओं के तीर्थ स्थान है जहां चढ़ावा चढ़ता हो; जब कि मुसलमानों के भी बहराइच, साहदरादेवा, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, मदार, सलार, तकिया आदि प्रख्यात स्थान हैं, जहां चढ़ावा चढ़ता है, जो छोड़ दिये गये हैं। क्या वे मन्दिर नहीं हैं? क्या वहां अन्याय नहीं होता है? क्या वहां सम्पत्ति नहीं है? यदि है, तो फिर हिन्दुओं के मन्दिर पर ही यह वज्र प्रहार क्यों हो रहा है? मैं कोई हिन्दू मुसलमान की बात नहीं उठाना चाहता हूं लेकिन मैं इतना बतला दूं कि मेरे जीवन के दो उसूल हैं। मैं भारतवर्ष के ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं और अपने धर्म में बहुत आस्था रखता हूं। ब्राह्मण के ऊपर हमेशा से समय का प्रहार होता आया है और घोर प्रहार सह कर गर्दन ऊंची रखी और अपना एक आदर्श कायम किया है और सारे संसार को एक नया मार्ग सर्वदा से दिखलाते चले आये हैं। महादेव का मन्दिर हो, कृष्ण का मन्दिर हो या किसी भी देवता का मन्दिर हो, मेरी सब में आस्था होते हुए सब बातों को छोड़ कर मेरे दो उसूल हैं--"सिजदा नहीं करेगें उस अल्लाह के आगे, जो झुक के सिजदा करे मजदूर के आगे", दूसरा यह कि "मन्दिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, इसमें नहीं मुजाका है, दिल मत तोड़ो किसी का भाई, यह घर खास खुदा का है"। तो इन सब बातों के साथ साथ, श्रीमान् जी, आपसे मैं यह जरूर कहूंगा कि सरकारी नौकरों के हाथ में मन्दिरों के प्रबन्ध को न दीजिये क्योंकि आप इन नौकरों के ऊपर खुद कंट्रोल

नहीं रख पा रहे हैं। आपका सिकरेटरी कुछ करता है, आपका थानेदार कुछ करता है और आप उसके ऊपर अंगूठे का निशान लगा कर वही मान लेते हैं। फिर इन धार्मिक संस्थाओं का प्रबन्ध उनके हाथ में दे देना कहां तक ठीक होगा ?

आज भी हरद्वार में हर की पौड़ी पर कोई मुसलमान अछूत भ्रष्ट जूता पहन कर नहीं जाने पाता, आगे यदि आपका कोई अधिकारी वहां जूता पहन कर जायगा, या कोई अछूत जायगा तो इस बात को वहां के पंडे बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आप किसी दाढ़ी वाले को ही जो मुसलमान या सरदार हो आप ले जाकर वहां खड़ा कर देंगे तो उसको वहां के पंडे क्या बर्दाश्त करेंगे ? तो इस तरह से जनता के अन्दर आप एक नया विद्रोह पैदा करने की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि मन्दिर की व्याख्या क्या है ? अपने-अपने इष्ट की उपासना के लिये लोग मन्दिरों की स्थापना करते हैं। कोई महावीर जी का उपासक है, कोई कालीजी का उपासक है, कोई राम, कृष्ण, भैरव का उपासक है, कोई कोई तो बरमबाबा, जिन्द बाबा, दानव बाबा के भी उपासक होते हैं और अपनी उपासना के लिये मन्दिर की स्थापना की है, करते है, करते रहेंगे और अगर किसी को किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो गयी तो उसका लोग अनुकरण करने लगते हैं; वही मन्दिर, देवता बड़ा माना जाता है। मन्दिरों की स्थापना करते हैं, पैसा लगाते हैं, कष्ट उठाते है, लोग विविध भावनाओं से अपनी सम्पत्ति लगाते है। तो सरकार का इसमें क्या जाता है। अपनी भावना ही अपना इष्ट देव हुआ करती है मन्दिरों के पुजारी लोग जो पैसे का इधर उधर दुरुपयोग करते हैं उसको कंट्रोल किया जाय। यही यदि आपकी मंशा है तो आप कौन सा सम्पत्ति का सदुपयोग करते हैं, इसको जरा बतला दें श्रीमान् मंत्री जी। आपने ऐसी हुकूमत बनायी कि एक पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १०० गांवों के लिये जहां १२ लाख रुपये का खर्च रखा गया उसमें से सवा ४ लाख रुपया सरकारी नौकरों के जेब खर्च में ही चला जाता है, तो यह कहां का सदुपयोग है। इसलिये श्रीमान्जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन मन्दिरों का इन्तजाम करना सरकारी नौकरों के वश की बात नहीं है। कोई काम सरकारी नौकरों ने अच्छा किया ही नहीं, कानून आपके गलत है, क्या अजीब बात है कि विनोवा जी को अगर कोई जमीन दे तब तो वह पुण्य करता है अगर कोई बीसों साल से किसी जमीन को जोते हुए हो और उसमें खेती करता हो, उसे अगर कोई किसी धार्मिक संस्था को या मन्दिर को दान में दे दे तो उसे कानून नहीं दे सकता है। यह तो पुराने धार्मिक आस्था के धुरंधरों ने धर्म मन्दिर, उपासना मन्दिर बना दिया; वही मन्दिर है, वही सम्पत्ति है, वही देवता है अन्यथा यह भी सब समाप्त हो गया होता जो भारत का प्राण हैं। फिर दूसरी बात है कि जब मन्दिर, मस्जिद दोनों पर बराबर चढ़ावा चढ़ता है तो समझ में नहीं आता कि केवल हिन्दू मन्दिरों के लिये यह विधेयक क्यों लाया गया है, मुसलमानों के मन्दिरों के लिये क्यों नहीं। धर्म, मन्दिरों देवताओं का एक ऐसा सवाल है, जिसको आप हल नहीं कर सकते।

धर्म के बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा, धर्म बड़ी नाजुक चीज है और धर्म की शास्त्रीय परिभाषा यह है कि जो धारण किया जाय। आज विभिन्न प्रकार की धार्मिक भावनायें, संस्थायें बनी हैं। बहुतों का तो व्यापार है लेकिन उपासना, पूजा, साधना कठिन है जो कहने से नहीं होती। किसी ने कहा है कि—

"सिंहन के नहीं लंहड़े, हंसन की नहीं पांत,
लालन की नहिं बोरियां, सन्तन चलें न जमात ।।"

उपासना करने वाले तो एक दो होते हैं, वही जिस तरफ चलते हैं उधर ही समाज चलता आया है। आज का संसार एक चौराहे पर, बीच में, खड़ा है, किसी को नहीं मालूम कि किधर चलें; जिधर भी चिराग दीखता है उधर ही चलने की अपनी भावना बनाता है। जैसे आज कांग्रेस की जमाअत बन गई, खद्दरधारियों की एक संस्था बन गई, लाल टोपी वालों की एक संस्था बन गई, काली टोपी वालों की एक जमात बन गयी है; यह सब बन गई हैं लेकिन फिर भी संसार दुखी है, सरकार

[श्री बंशीधर शुक्ल]

द्वारा जनता को त्रास मिलती है, सरकार रात दिन उसको चूसती है और प्रजा उससे बचने के लिये रात-दिन उपाय सोचती है कि किस प्रकार सरकारी नौकरों के कोप से बचें। बस यही आस्था उपासना का कारण है। आज जो अनेक धांधलियां चल रही हैं, मंत्रियों की धांधली अलग, मुकदमों की धांधली, आफिसों, आफिसरों की धांधली तो चल ही रही है आप एक अन्य प्रकार की नई धांधली पैदा करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि आप मन्दिरों की सम्पत्ति ले लें, ठीक है। उस मन्दिर को भी रक्षा करनी होगी मगर जो कि मन्दिर छोटे से छोटा हर एक गांव के एक कुएं पर बना है। लोग गांव में कुएं के किनारे एक चबूतरा बना कर महादेव जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें कुएं के किनारे महादेव जी की मूर्ति न रखी हो, उस पर नित्य ही कोई जल कोई फूल चढ़ाया करता है और उसी में वहां के लोगों को सन्तोष मिलता है। कोई सूर्य को जल चढ़ाता है, कोई केवल राम की ही उपासना कीर्तन करता है, इसमें आप कोई रोक नहीं लगा सकते। जितने मन्दिर हैं उन सब को ही आप को लेना होगा। यदि आप लेना चाहते हैं तो हर छोटे से छोटे मन्दिर को लीजिये और उस की भी रक्षा कीजिये।

मैं बता दूं कि आज से २ साल पहले मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में दरख्वास्त दी थी कि हमारा देवफली क्षेत्र एक तीर्थ है जहां पर राजा जनमेजय ने एक सर्पसंहार नागयज्ञ किया था, वहीं पर एक देवकली तीर्थ है जो शास्त्रों में वर्णित रीति से बनाया गया है। देवेश्वर नाथ महादेव का मन्दिर है, वैसा भारत में दूसरा तीर्थ है ही नहीं। मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा था कि उसके जीर्णोद्धार के लिये कुछ धन देने की कृपा करें। जिलाधीश ने उसके खर्च का अनुमान १ लाख १० हजार रुपये का लगा कर भेज दिया था। हमने भी मंत्री जी से कहा इसका जीर्णोद्धार कर दीजिये यहां साल में १ मेले हुआ करते हैं। इस पर माननीय मुख्य मंत्री ने हमसे कहा कि हम आप के ही मन्दिर का कैसे जीर्णोद्धार करें, मुसलमान भी तो मांगने लगेंगे तब कहां से कैसे होगा। हमने आधा रुपया मांगा, आधा हम मांग लेते, मगर कोई बात नहीं हुई, तीन साल राह देखते हो चुके हैं। यह तो उनकी भावना है जबकि नीमसार को ५४ हजार रुपया दे चुके हैं बनारस के घाट बनवाते हैं और भी बनारस की परवरिश करते हैं मगर यहां नहीं, वहां वह मूर्ति है कि जिसको औरंगजेब ने आरे से कटवाया था लेकिन जब मूर्ति में से खून निकलने लगा तो उसने उसको छोड़ दिया था, वह ज्यों की त्यों पड़ी है, ऊपर कूड़ा करकट लदा है, कोई इन्तजाम सरकार ने नहीं किया, आमदनी लेना चाहती है। केवल गोले के मेले से ही १ १/२ लाख साल की आय होती है, वही अगर पूरे जिले में लगा दी जाय तो पूरे मन्दिरों का जीर्णोद्धार हो सकता है। नैमिषारण्य में लालता देवी का मन्दिर है, वहां पर यह सूट बूट टाई धारी मांसभक्षी सरकारी कर्मचारी पहुंचे तो उस मंदिर का क्या होगा ? मन्दिरों से आस्था तो समाप्त हो ही जायगी, मगर यह अफसरावली भी समाप्त हो जायगी, यह आप समझ लें। वैसे ही उनका वेतन और महंगाई भत्ता आप पूरा नहीं कर पाते तो यह सब मन्दिर लेकर और भी एक आफत पैदा कर देंगे। यदि आपको इन धर्म के स्थानों को लेना है तो समस्त धर्मों के जो मंदिर या संस्थायें हैं उन सबको लीजिये, सबको बराबर सहायता और अनुदान दीजिये। सबकी पूजा समय पर करवाने की जिम्मेदारी लीजिये और पुजारियों, मालिकों को हटा कर आप मालिक बनिये। देखें क्या मुनाफा उठाते हैं। दुगुना और पैसा खर्च करना पड़ेगा, अन्यथा और चिल्ली तड़प मचेगी। यदि खर्च करने की सामर्थ्य हो तब तो आप मन्दिर पर हाथ लगायें वरना नहीं।

किसी ने मन्दिर इसलिये बनवाया कि कोई उसके लड़का बच्चा नहीं है, सोचा अगर मन्दिर में हमारी जायदाद लग जायगी तो मन्दिर का ही कल्याण होगा। किसी के पास पैसा है, उसने सोचा हमारे आगे कोई नहीं है तो मन्दिर बना दिया। किसी के पैसा ज्यादा हुआ तो उसने मन्दिर, देवता, तीर्थ बना दिये। किसी सरकार ने मन्दिर नहीं बनाया, किसी सरकार ने यदि कुछ किया तो उसकी परीक्षा की, बरबाद किया, कहीं किसी ने कुछ कभी किया तो मरम्मत भले ही करा दी हो। मन्दिर उन्होंने ही बनाया है जिनको उसके प्रति श्रद्धा है। उनको लेकर सरकारी नौकरों का कब्जा करवा कर उस उपासना को तोड़ कर एक उपासक को ठेस

लगाना है। उनकी पुरानी कीर्ति को नष्ट कर देना सरकार के लिये शोभा नहीं देता और खास-कर हमारे शुक्ल जी के लिये। मैं शुक्ल के नाते कहता हूं कि उनको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि शुक्ल हृदय से भी शुक्ल होते हैं।

मुर्गीपालन, मछलीपालन और सुअरपालन सरकार के मुहकमें है। सरकारी अधिकारियों को यह तारीफ है कि जो खाना उनका सबसे उच्च है वह है मांस और जो उनका पेय सबसे उच्च है, वह है शराब। अगर कोई यह खा-पीकर मन्दिरों में जायगा तो पूजा करने वाले लोगों पर क्या असर पड़ेगा? नैकटाई पहन कर, मांस खाकर और शराब पीकर गोला के मन्दिर में खड़ा होगा तो उपासकों पर क्या असर पड़ेगा? मैं तो यह दुर्दिन देख नहीं सकता। मैं या तो गोली मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। या कोई उपासक यह करतूत कर बैठेगा जिसकी सही आस्था है। इस तरह एक विद्रोह, कटुता पैदा हो रही है। मुर्गीपालन, मछलीपालन और सुअरपालन मुहकमे बन्द कीजिये। बहुत सी कौमें भारतवर्ष में ऐसी हैं जिनको मांस और शराब से चिढ़ है। आपके सरकारी अधिकारी पीते हैं, खाते हैं...

श्री अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बिल पर ही बोलें, उसके सिद्धान्तों पर बहस करें।

श्री बंशीधर शुक्ल---श्रीमन्, नौकरों का राज्य है, मंत्री लोग तो केवल अंगूठा लगाऊ हैं। ऐसी दशा में मन्दिरों का प्रबन्ध आपके वश क नहीं है। किसी भी मामले में अगर आपने ठीक इंतजाम कर लिया होता तो हमें विश्वास होता कि आप मन्दिरों का भी ठीक इन्तजाम कर लेंगे।

इस समय जो आप हरिजनों को अनुदान देते हैं मकान बनाने के लिये, लड़कों को पढ़ाने के लिये, यह सब ठीक है। लेकिन इसी सदन में इस प्रकार की आवाज भी सुनने को मिली थी कि मुख्य मंत्री जी सुन लें, विरोधी-नेता सुन लें कि उनको अछूतों से रोटी-बेटी का संबंध करना पड़ेगा, यह जहर का घूंट पीकर लोग रह गये। मैं ही अकेला नहीं बल्कि सभी सदस्य इससे क्षुब्ध हुए, जब इस प्रकार की आवाज मैदान में आएगी तो विद्रोह के सिवाय और क्या होगा? विद्रोह भी ऐसा होगा कि जिसको रोक नहीं पाओगे। जिस समय आपने पाकिस्तान का बटवारा कराया है उस समय की हालत हम सब लोगों ने देखी है। तो मेरा कहना है कि पहले आपको जमीन का प्रबन्ध करना चाहिए। उसके लिये तो कोई प्रोग्राम निश्चित आज तक नहीं बनाया न बना सकेंगे तो और क्या कर सकते हैं। दो एकड़ जमीन प्रत्येक आदमी को आप बांट दें तो देश में भुखमरी दूर हो सकती है। सूबे में १२ करोड़ एकड़ जमीन होते हुए आप कहते हैं कि यहां पर जमीन खेती योग्य है ही नहीं। बर्थ कंट्रोल आप कर ना चाहते हैं।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप किसी धांधली को आज तक नहीं रोक पाये। इसी तरह इसमें भी नहीं रोक पायेंगे और अच्छा हो आप इसको शुरू न करें। आप नौकरों पर अपना कन्ट्रोल नहीं रख सकते। चोरी, डकैती, कत्ल का ठीक पता नहीं लगा सकते तो इसमें आप क्या कर सकेंगे?

अन्त में मैं कहूंगा कि जितने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हैं, जहां धांधली होती है, उन सब की सम्पत्ति लीजिये और जीर्णोद्धार कीजिये, तब तो ठीक है अन्यथा नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद कुरील (जिला कानपुर)---श्रीमन्, माननीय गोविन्दसिंह विष्ट जी ने प्रस्तुत विधेयक का विरोध किया है और कहा है कि सरकार को धर्म के नाम पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। मुझे खुशी हुई है कि धर्म के प्रति उनके हृदय में आस्था बढ़ गई। थोड़े दिन पहले जनसंघ की तरफ से दस्तखत होते थे कि गऊ माता का वध बन्द हो और सरकार इस सम्बन्ध में कानून बनाये। इस पर मुझे आश्चर्य भी हुआ था कि हो सकता है कि कुछ दिन बाद यह मांग भी करनी पड़े कि सरकार इसके लिये भी कानून बनाये कि जो आदमी गंगा नहाने नहीं जायेंगे उनको सजा होगी, तभी हिन्दू धर्म की रक्षा हो सकती है। मैं नहीं जानता कितनी हममें कमजोरी है कि धर्म को दृढ़ रखने के

[श्री ज्वालाप्रसाद कुरील]

लिये कानून की मांग करते हैं। मैं स्वयं देवोत्थान या मूर्ति के सम्बन्ध में आस्था नहीं रखता हूं परन्तु विरोधी भी नहीं बनना चाहता क्योंकि हिन्दू हूं और देवालय के सामने से निकलने पर अपने आप नत मस्तक हो जाता हूं। जो मूर्ति के नाम से आस्था रखते हैं, मन्दिरों के नाम से प्रेम रखते हैं और पत्थर पूजना व गंगा स्नान ही धर्म मानते हैं और जो ऐसा नहीं करते वह अधर्मी हैं और कोई हरिजन मन्दिर में नहीं जा सकता, ऐसी कुछ पाबन्दियां हैं, जिससे हिन्दू धर्म का रूप संकुचित रहा है और उसका परिणाम देश में इतना विकट प्रकट हुआ जो हम सबको मालूम हैं। उन्होंने कांग्रेस के नाम, गांधी जी के ऊपर कह दिया कि धर्म पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये उसी से पाकिस्तान बना। यह बिलकुल गलत है। इंसान की सही सेवा करना, ईश्वर को सर्वत्र मानना, जिन्होंने ऐसा नहीं समझा और कुछ व्यक्तियों के लिये ही हिन्दू धर्म को बताया, उसका नतीजा यह हुआ कि हिन्दू धर्म में ही फूट डाली गई। मुसलमान भाइयों को हमने अगर भाई समझा होता और धर्म को मानवता का रूप दिया होता तो यह हो नहीं सकता था कि देश दो टुकड़ों में विभाजित होता। मैं पाकिस्तान का विरोधी हूं और मैं नहीं चाहता कि और कोई दूसरा स्थान बने। मूर्ति के नाम पर मुझे इसलिये आस्था नहीं है कि हमारे ऋषियों ने, संतों ने ईश्वर के रहने की एक और जगह बतलाई है:—

"मन्दिर में तो बुत धरे हैं मस्जिद में सफम सफाई है,
दिल दरगाह में दर्श एक दम नूर खुदाई है।"

खुदा को देखना है, भगवान को देखना है तो आओ देखो उन दरिद्रों, दुखियों को जो तड़प रहे हैं। गोविन्द सिंह जी ने सरकार पर यह आक्षेप लगाया कि मुर्गियों' सूअरों तथा मछलियों के लिये अनुदान दिया जाता है। लेकिन यह अनुदान दिया किसे जाता है, उन्हें दिया जाता है जो दुखी हैं और उनके प्रति उनको ईर्ष्या पैदा होती है। श्री वियोगी हरि ने कहा है—

'दीनन देखि घिनात जो नहीं दीन सो काम,
कहा जानि वे लेत हैं दीनबन्धु का नाम।"

दीनबन्धु का नाम लेने वाले भाइयों से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वे दीनों से घृणा करते हैं तो कतई वे दीनबन्धु का नाम लेने के अधिकारी नहीं हैं। तो समझ में नहीं आता कि कौन सा धर्म है जिसके आधार पर उन्होंने अपने धर्म की परिभाषा को इतना संकुचित कर दिया है। कांग्रेस के लिये कहा गया कि वह ऐसे कार्य करती है कि जिससे कांग्रेस का राज्य ही खत्म हो जायगा। मैं यह समझता हूं कि अगर सत्य पर असत्य विजय पाये, अधर्म धर्म का रूप धारण कर ले तो जनसंघ की नीति सफल हो सकती है और कांग्रेस की हुकूमत खत्म हो सकती है। लेकिन कांग्रेस ने जो विश्वव्यापी मानव धर्म के प्रचार की जो लौ जला दी है वह सदा अमर रहेगी। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि जो भी संस्थाएं धर्म की बात करती हैं, किसी भी संस्था में धर्म के नाम पर आज तक कोई भी ऐसा महापुरुष पैदा नहीं हुआ जितना बड़ा महापुरुष कांग्रेस के अन्दर आया। आपका धर्म, ईर्ष्या, घृणा का उपदेश देता है। आपके धर्म को दूसरे धर्म का मनुष्य स्वीकार नहीं कर सकता और स्वीकार करता है तो हमारा धर्म खराब हो जायगा। लेकिन गांधी जी ने तो आखाली में जाकर यह सिद्ध कर दिया, अकेले गये कोई फौज फर्राटा नहीं थी। जब शाम व सुबह पूजा करने बैठते थे और रामधुनि लगाते थे तो उनकी बैठक में मुल्ला पहुंचते थे जिनकी बड़ी दाढ़ी होती थी। जिस समय नमाज पढ़ते थे उसमें हिन्दू मुसलमान शामिल होते थे और जब वे रघुपति राघव राजाराम की धुनि बोलते थे तो मुल्लाओं की दाढ़ियां हिल जाती थीं। क्या दूसरी संस्थाओं के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति पैदा हो सका है जो मुसलमानों से रघुपति राघव राजाराम कहला सकता?

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य विषयान्तर कर रहे हैं। कृपया बिल के सिद्धान्तों पर भाषण दें।

श्री ज्वालाप्रसाद कुरील—मैं आपकी व्यवस्था मानूंगा लेकिन शुरू से जो भाषण हो रहे हैं वे इसी तरह के हो रहें हैं। धर्म के नाम पर अगर आप देखें तो गांधी जी जैसा महापुरुष किसी जमात ने आज तक पैदा करके नहीं दिया। यदि धर्म की संकुचित परिभाषा होती गयी तो कहीं स्थान मिलने का नहीं है।

मैं अपने यहां का एक किस्सा बतलाऊं। एक गरीब आदमी ने एक बड़े आदमी को पंचायत में वोट नहीं दिया। वे गंगा पुत्र थे। उनको जो सीधा मिलता था वह बन्द कर दिया गया। जब गंगा पुत्र जी परेशान हुये तो हम कुछ लोगों ने चंदा मांग कर दिया और कहा कि परती जमीन है, दरख्वास्त दे दो, कुछ जमीन सरकार से मिल जाय। जब उस गंगा पुत्र ने जमीन की दरख्वास्त दी तो बड़े लोगों ने, जो शायद ऊंची कोटि के नहीं होंगे, विष्ट जी जैसे होंगे, उन लोगों ने विरोध किया और एक आदमी को खड़ा कर दिया, जिसने यह कहा कि भाई हम तो यह जमीन ठाकुर जी के नाम से चाहते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उस मैजिस्ट्रेट का जिसने यह कहा कि हम ठाकुर जी से किसानी नहीं करवाना चाहते हैं। यह आदमी लंबा, तड़ंगा है, इसके पास जमीन नहीं है इसको दे दी जाय। तो वहां भी एक गरीब आदमी की मुखालिफत करने के लिये ठाकुरजी के नाम से पहुंच गये। जब आप कहते हैं कि भगवान सबकी रक्षा करने वाले हैं, वह सब जगह हैं तो फिर उनके नाम से आप जमीन क्यों मांगते हैं? असल में धर्म के नाम पर हम दूसरों का शोषण करते हैं। धर्म के नाम पर वे लोग ईश्वर को भी खरीद लेते हैं। जो बड़े-बड़े हमारे साथी इस बिल का विरोध करने खड़े हुए हैं उनकी तो यह आस्था है कि कौन जाय मंदिर में, पुजारी को चन्द पैसों में नौकर रख लिया और उनके नाम पर वह पूजा कर रहा है। तो इस संकुचित भावना से ऊपर उठ कर ही हमारा काम चल सकता है। हिन्दू संस्कृति की छाप उनमें ही नहीं हममें भी है और हमें इस बात का गर्व है कि धर्म के नाम पर सदैव देश को बिगाड़ने की जिम्मेदारी अभी तक आप पर रही है परन्तु अब सुधारने की जिम्मेदारी कुछ लोगों पर आ गयी है जो धर्म के नाम पर सदैव ठुकराये गये हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो किसी मंदिर की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है, वह ठीक ही है। आज जिन मंदिरों के ट्रस्टी हैं उनमें घुसने की लोग कोशिश करते हैं, और जो भगवान के नाम पर जायदाद लगी हुई है उसको हड़पने की कोशिश करते हैं, उसके लिये आपस में होड़ मचती है। तो इस प्रकार जो यह दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने लिये सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं परन्तु इस पर हमारे कुछ साथी दुखी हो रहे हैं क्यों कि उनका इन्तजाम करने वाले तो बड़े लोग ही होते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय समाज कल्याण मंत्री ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है प्रवर समिति में भेजने के लिये उसका समर्थन किया जाय और जो विश्वास देवताओं और धर्म के नाम पर समाज में खो चुके हैं उनकी व्यवस्था के लिये सरकार जरूर हस्तक्षेप करे।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है मैं उसके उद्देश्यों का समर्थन करता हूं। अभी हमारे मित्रों का अधिकतर भाषण तो धर्म ही पर हुआ है . . .

श्री अधिष्ठाता—मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आप सिद्धान्तों पर ही बोलें।

श्री गौरीशंकर राय—मुझे बड़ा अफसोस है अधिष्ठाता महोदय, लेकिन जब कुछ चर्चा यहां हो जाती है तो उसके सम्बन्ध में कुछ कहने की और अधिक रुचि हो जाती है वरना इसमें न तो गरीब और धनी का प्रश्न है, न ब्राह्मण और हरिजन का प्रश्न है, लेकिन अधिकांश सदस्यों ने इसी पर अपने भाषण दिये। हमारे उधर के बैठने वाले मित्रों ने इस विधेयक की प्रशंसा में कहा है कि सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने कोई बड़ा भारी क्रान्तिकारी काम नहीं किया है। यह २० साल पहले हो जाना चाहिए था। आप जानते हैं कि यह काम पन्द्रहवीं सदी में ट्यूडर्स, हैनरीज और मैरीज ने किया। उस समय ब्रिटेन में इसी तरह के मौंक थे। उनकी सम्पत्ति को लेने के लिए एक बिल ब्रिटेन में आया था। हमारे मित्रों की तरह से उस समय भी वहां बहुत से लोग थे और प्रतिक्रियावादी शक्तियां थीं और पोप के जितने समर्थक थे उन सब ने मिलकर एक बड़ा भारी आन्दोलन इसके विरुद्ध

[श्री गौरीशंकर राय]

किया। मौंक्स के पास बहुत बड़ी जायदादें थीं। इसलिए जब वह बिल आया तो उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया और कहा कि हमारा धर्म खतरे में है। लेकिन धर्म खतरे में नहीं था बल्कि शोषण खतरे में था और जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी, वह खतरे में थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का कानून बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। सरकार ने इस विधेयक को इतने दिनों के बाद रखा इसी के लिए वह मुजरिम नहीं है बल्कि एक गैरसरकारी प्रस्ताव पास हुआ था। उसको सरकार ने लैप्स हो जाने दिया, उसको सरकार ने खत्म हो जाने दिया और उस के सम्बन्ध में कोई काम नहीं किया। यह सरकार आधे दिल से काम करती है, क्योंकि जो लोग सरकार में हैं वह भी इन धार्मिक भावनाओं के इस्तेमाल करने में दिलचस्पी रखते हैं। इस तरह से बात करते हैं कि अगर वह बोल देंगे तो यह नाराज हो जायगा, वह नाराज हो जायगा।

अभी इसके बाद मुस्लिम वक्फों के लिए भी एक बिल आने वाला है। हमारे मित्रों को जो शंका थी कि उनके लिए कोई बिल नहीं बन रहा है। मेरा विचार है कि उनकी शंका का समाधान हो गया होगा। हम इतना जरूर कहेंगे कि जब सेकुलर डेमोक्रेसी को माना जाता है तो इस स्तर पर एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जो हिन्दू, मुसलमान सभी लोगों पर लागू हो। पहले से मुस्लिम वक्फों की व्यवस्था है और यह बिल केवल दो साल के लिए बन रहा है। इस बिल को इतनी देर से लाने से नुकसान यह हुआ है कि जो जमीन सम्बन्धी सम्पत्ति मठों के पास थीं, जैसे किसी के पास एक हजार एकड़ और किसी के पास दो हजार एकड़ जमीन थी, जमींदारी एबोलिशन के बाद और अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक के बाद मठाधीशों ने भी ऐसा इन्तजाम कर लिया है जैसा कि दूसरे जमींदारों ने कर लिया है। इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि हम लोग जो गांवों से आते हैं वह देखते हैं कि हर जगह एक आध मठ होता है, कहीं बड़े हैं, कहीं छोटे हैं, कहीं ५० एकड़ वाले हैं और कहीं ज्यादा वाले हैं। उन सब ने शादियां कर ली हैं, सब ने बीबियां रख ली हैं, किसी ने जायज, किसी ने नाजायज, किसी ने ऐसा किया है कि बीबी से जो लड़की पैदा हुई उसको भी रख लिया है। जितनी सार्वजनिक सम्पत्ति थी उस के दुरुपयोग हो जाने के बाद इस विधेयक का स्वांग जनता के सामने रखा गया है। लेकिन इस विधेयक का उद्देश्य ऊंचा है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इसका समर्थन करना चाहिए। इससे कल्याण बहुत कम होने वाला है, क्योंकि सारी सम्पत्ति जहां की तहां चली गयी है। आज भी बड़ी तेजी के साथ सम्पत्ति भागती चली जा रही है। साफ्ट कार्नर जिसे कहते हैं, जो भाई क्रान्तिकारी बात करते हैं उनके या उनके नेता के दिल में उनकी सम्पत्ति के लिए नर्म जगह जरूर है। इसीलिए वह उनका समर्थन करते हैं।

श्रीमन्, यह मन्दिर और मठ, जो बहुत दिनों से अनाचार के घर हो गये हैं, शोषण के स्थान हो गये हैं और व्यभिचार के स्थान हो गये हैं। यह बहुत से अच्छे काम भी करते थे जैसे विद्यालय चलाते थे, कुंयें बनाते थे, धर्मशालायें बनाते थे, विश्राम-गृह बनाते थे, आवास प्रवास की व्यवस्था करते थे, भिखमंगों की व्यवस्था करते थे, कोढ़ी और अपाहिजों की भी व्यवस्था करते थे। उनमें से कुछ फी सदी महन्त बहुत अच्छे हैं। इस तरह की इनकी जिम्मेदारियां थीं। मैं समझता हूं कि सरकार को सोशल सिक्योरिटी के नाम पर इन जिम्मेदारियों को लेना चाहिए। अगर वह ये जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं तो उनको ये बातें शोभा नहीं देती हैं। यह विधेयक यहां से समिति में चला जाय, उसके बाद मुस्लिम वक्फों के लिए एक विधेयक अलग से आये। हिन्दुओं के लिए कुछ हो, मुसलमानों के लिए कुछ हो? दोनों कानूनों को एक ही रूप दिया जाय। एक फर्क हो सकता है। मान लीजिये कि उसमें यह भी व्यवस्था होगी कि उन कार्यों के संचालन में, जो खर्चा होगा उसकी भी व्यवस्था होगी। हो सकता है कि मुस्लिम तौर-तरीके में अधिक रुपया खर्च होता हो और हिन्दू तौर तरीके में कम खर्च होता हो। अगर इस प्रकार का अन्तर हो तो अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार उनको सुविधा दी जा सकती है, लेकिन एक ही कानून होना चाहिए।

हमारे भाई गोविन्द सिंह जी ही नहीं, संकीर्णता की भावना से प्रेरित होकर बहुत से लोग इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन धर्म निरपेक्ष राज्य को मानने वाले, हिन्दुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग, कानून ला कर संकीर्ण मनोवृत्तियों को प्रश्रय देते हैं तो आश्चर्य होता है। इस प्रकार सम्प्रदायवादिता नष्ट नहीं हो सकती। आल रिलीजनिज्म सम्प्रदायवादिता समाप्त नहीं करती है। नान रिलीजनिज्म समाप्त कर सकती है। एक भाई उधर से बोल रहे थे। वह समझते थे कि इससे हरिजनों का भी शायद सम्बन्ध है। अगर कोई फोबिया हो तो दूसरे समय पर कहना चाहिए (व्यवधान)। मैं समझता हूं कि बेवकूफियों और गलतफहमियों के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि बराबर अनवरतरूप से उनका प्रतिपादन होता रहे। गलत बात करने का एकाधिकार न भाई गोविन्द सिंह विष्ट जी का है और न उनका ही है। मैं कह रहा था कि सार्वजनिक कार्यों की जिम्मेदारी, धर्मशाला, कुआं, तालाब, कोढ़ी और भिखमंगों की व्यवस्था कुछ अंशों तक किसी भी सरकार के लिए उनकी जिम्मेदारी लेना आवश्यक है, जो आज के युग में जनता की सरकार कही जाती है।

केवल दो वर्षों के लिए विधेयक आ रहा है। दो वर्षों में सारा कार्य हल होने वाला नहीं है। हमारे मित्र ने बताया कि दाढ़ी लगाकर मन्दिर में कोई कैसे जायगा? इन्हीं की भावना से ओतप्रोत होकर हमारे मित्र नें बताया कि हिन्दू अफसर ही रहेगा। हिन्दुओं में कौन तरह का हिन्दू अफसर होगा? सनातन धर्मी भी हिन्दू है, आर्य समाजी भी हिन्दू है। अभी एक मित्र बोल रहे थे वह आर्य समाजी मालूम होते थे। सिक्ख भी हिन्दू होते हैं। जो हिन्दुओं के घर में नास्तिक पैदा हो गया, वह भी हिन्दू है। तो किस प्रकार का हिन्दू हो? इसलिए इस प्रकार की कैद लगाना ठीक नहीं है। सरकार को जिम्मेदारी के साथ और हिम्मत के साथ कदम उठाना चाहिए। हिन्दू अफसर हो, मुसलमान अफसर हो, यह नहीं होना चाहिए। अफसर अफसर है। जिस धर्म का मठ हो, उसी धर्म का अफसर हो यह बात ठीक नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, कोई भी मठ या मठाधीश जो शोषण और भ्रष्टाचार का आज केन्द्र बना हो, उसकी समाप्ति के संकल्प का प्रत्येक व्यक्ति को समर्थन करना चाहिए। मन्दिरों और मठों में भ्रष्टाचार तथा कुरीतियां हों, तो उनके उन्मूलन का कोई भी कानून सदन में स्वागत की दृष्टि से देखा जायगा।

एक और विधेयक आने वाला है, इसमें लिखा है। यह हाफ हार्टेड मेजर बेकार है। पूरा विधेयक आना चाहिए। सबके सामने सारी बातें आनी चाहिए।

कुछ हमारे मित्रों ने यहां पर चर्चा की। मैं समझता हूं उस चर्चा में कुछ थोड़ा-सा बल है। उन्होंने कहा कि मन्दिरों की स्थापना करने वाले लोगों ने कल्याण की भावना से मन्दिरों का प्रतिष्ठापन किया था। यह अच्छा भाव दिल में उनके था समाज के कल्याण का। मैं समझता हूं जो आज इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वह अपने सीने पर हाथ रखकर देखेंगे तो वे भी नहीं कह सकते हैं कि आज वह कल्याण की भावना उन मन्दिरों के पीछे है। उन मन्दिरों की सम्पत्ति आज व्यक्तिगत सम्पत्ति है। जब धर्म की चर्चा होती है तो मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे मित्र गोविन्द सिंह जी धर्म के लिए बड़े चिन्तित हैं। धर्म उनके लिए चर्चा का विषय हो सकता है, आचरण का विषय नहीं हो सकता है। यदि वे ऐसा कहते हैं और उन लोगों का ऐसा मत है कि हमारी पुरानी भित्ति पर सारा समाज बनना चाहिए तो मैं सारे सदन की बात तो नहीं जानता किन्तु इतना कह सकता हूं कि बहुत दिनों के बाद हमारे भाई गोविन्द सिंह जी को अपने दिल की भावना को बाहर करने का अच्छा समय मिला है। यदि ऐसा बिल न आता तो उनको अपनी असली भावना को प्रकट करने का अवसर न होता। उनको माननीय मन्त्री जी का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने उनको अपने दिल की भावनाओं को बाहर करने का समय दिया।

इस बिल के सिलसिले में मुझे सिर्फ यह कहना है कि इसमें आवश्यक संशोधन के समय जो उनके बिल में डर की भावना है कि हिन्दू नाराज हो जायेंगे, मुसलमान नाराज हो जायेंगे,

[श्री गौरीशंकर राय]

इन सब भावनाओं को सरकार अलग करके, इस प्रकार की धारणा को त्यागकर साहस के साथ अच्छा कदम उठाये। पिछले १५, २० साल में देर करने के कारण सार्वजनिक सम्पत्ति का बहुत सर्वनाश कर दिया है। सरकार ने अब उस सम्पत्ति को बचाने का नारा दिया है तो इस सम्बन्ध में अपने दिल को साफ करे और इस बिल को लाये। मैं समझता हूं कि प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि जितने सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक दोष हों, शोषण हों, उनको साहस के साथ समाप्त करने के लिए ऐसा विधेयक लाना चाहिए। संशोधन के स्तर पर, मुझे विश्वास है, प्रवर समिति इस बात का ध्यान रखेगी कि इसमें यह दो साल वाली व्यवस्था न रहे और इसको बराबर के लिए कर दिया जाय। दूसरी बात मैं हिन्दू मुसलिम संस्थाओं के विषय में यह कहना चाहता हूं कि नियम दोनों सार्वजनिक हिन्दू मुस्लिम संस्थाओं के लिए बनने चाहिएं और दोनों का एकीकरण करने के लिए एक कानून बने।

तीसरी बात यह कि अफसर हिन्दू रहे या मुसलमान रहे, यह हमारी संकीर्णता और साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का द्योतक है। इस मनोवृत्ति से ऊंचे उठकर समाज के कल्याण की भावना से हम इस विषय पर विचार करें।

*श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, पहले आना चाहिए था। लेकिन खैर, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं तो यह समझता था कि यहां पर इस विधेयक का स्वागत होगा और सभी सपोर्ट करेंगे, लेकिन देखने में ऐसा नहीं आया। मैं समझता हूं कि किसी का भी धर्म हो, किसी धर्म ने हम को यह नहीं सिखाया कि चोरी करो, बेईमानी करो या कोई ऐसा काम करो जिससे दूसरे का दिल दुखे। सब धर्मों में यही सिखलाया जाता है कि दूसरों को आराम दो। यह विधयक, मेरा खयाल है अगर सदस्य सपोर्ट करेंगे तो यहां पर धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा है, उसको रोकता है, जो अधर्म हो रहा है धर्म के नाम पर उस को भी रोकता है। आज धर्म के नाम पर इतना अधर्म हो रहा है और बढ़ गया है कि उस को रोकने की बहुत आवश्यकता है।

मैं आपके सामने एक अयोध्या की बात सुनाना चाहता हूं। किसी पर मेरा पर्सनल आक्षेप नहीं है। यह ऐसी चीज है जो ओपेन सीक्रेट है। इसको जाकर कोई भी देख सकता है। मुझे अयोध्या जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां पर मैंने कुछ दक्षिणी औरतों को देखा। वहां पर एक औरत माता की उम्र की थी। वह दक्षिण की थी तो मैंने उससे पूछा कि वह कैसे यहां पर आयी तो उसने बताया कि यहां के मन्दिर के चीफ प्रीस्ट ने उसको जवानी के दिनों में अपनी बदनीयती से रोक लिया था। मेरी बात जिस समय हुई थी उस समय उस की उम्र ५० साल की रही होगी। बाद में उसको ४०, ५० रुपया दे दिया कि यह कंठी माला बेचो। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सच है, लेकिन अगर ऐसी चीजें हैं तो उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जितने बड़े मन्दिर होंगे वहां उतना ही अधर्म होगा (व्यवधान)। मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि मुझे बोल लेने दें। मैं इसकी जिन्दा मिसाल दूंगा।

दक्षिण के मन्दिरों में, बड़े-बड़े मन्दिरों में देवदासियां रखी जाती हैं। यह धर्म है या अधर्म? लेकिन वह धर्म के नाम पर ही रखी जाती हैं। क्या देवदासियों की बात गलत है? वह हमारे घर की ही बहू बेटियां हैं जो कुंवारी रखी जाती हैं, भगवान के नाम पर और वहां क्या होता है इसको आप ही सोचें। वह अपनी जवानी को किस तरह बरबाद करती हैं या बनाती हैं यह आप सोचें। मैं भी दक्षिण घूमा हूं और मैंने देखा है कि जितना बड़ा मन्दिर है वहां उतनी ही ज्यादा देवदासियां हैं। अब यह धर्म है या अधर्म इसे आप जानें। यह तो मैनेजमेंट का सवाल है, इस में चौंकने की क्या बात है और यह हर एक मन्दिर या मठ के लिए नहीं है। एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिमिटेड रकम है जिस के ऊपर के मन्दिर या मठ ही इस में आयेंगे और इसमें कहीं भी धर्म में दखल देने का सवाल नहीं है। आप लोग अपने दिल पर हाथ रख कर देखें, जो हिन्दू कहलाने वाले हैं, उनका किसी न किसी मन्दिर से टच जरूर होगा। चाहे पढ़े लिखे हों अथवा बेपढ़े लिखे, क्या उन मन्दिरों की हालत ऐसी है कि जहां उन की बहू बेटियां जा सकती हैं? उनको जाने के लिए, पूजा के लिए इन्करेजमेंट मिलता है? क्या वहां उनकी इज्जत पर हमला होने का डर नहीं है? अगर इतनी सी बात पर आप चौंकते हैं तो फिर और बड़े सोशल रिफार्म आप क्या करेंगे? मैं एक ही पार्टी के लोगों से यह बात नहीं अर्ज कर रहा हूं। अगर मान लीजिये कि आप की सरकार आ जाय तो क्या आप चाहेंगे कि डेवेलपमेंट के काम न हों?

शर्म आनी चाहिए कि आज डेवलपमेंट के नाम पर दूसरों से भीख मांगी जाती है। आज ही ५ रुपये और १०० रुपये के फ्री बांड्स बांटे जा रहे हैं ताकि डेवलपमेंट के लिए रुपया आ जाय। अगर हम इन मठों और मन्दिरों के रुपये का सही प्रयोग करें और उसे डेवल मेंट के काम में ले आयें तो क्या वह हमारे काम नहीं आयेगा? इस काम में अड़ंगा डालने की बात मेरी समझ में नहीं आती है। हां, इससे कुछ लोगों पर, जो मौज मारने का अवसर पाते थे, उससे, उन पर जरूर हमला होगा। लेकिन सोसाइटी की बहबूदी के लिये, देश के डेवलपमेंट के लिये कम से कम हर एक को इसमें सहयोग देना चाहिये और केवल हिन्दू धर्म के ही नहीं बल्कि जितने भी ट्रस्ट हों उनके नाम पर अगर बावेला मचता हो तो उन पर भी गवर्नमेंट को कब्जा कर लेना चाहिये। सोसाइटी के बेनीफिट के लिये अगर हम कुछ भी करते हैं तो इसमें आपको एतराज नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि अगर इस बिल की तहेदिल से सपोर्ट होती है तो हो सकता है कि जो काम हम ४०–५० वर्षों में कर सकें वह १०–१५ वर्षों में ही कर लें, इससे आप का ही नाम होगा। इसलिये अगर आप देवदासियों की प्रथा को ही उचित समझते हैं तो उसका प्रचार करें और यदि नहीं तो उसको बुरा समझ कर उस पर पाबन्दी लगायें और उसको बन्द करें। बुरी चीज को आपको बन्द करना चाहिये और यह बन्द तब तक नहीं होगा जब तक कि यह सब मैनेजमेंट सरकार के हाथ में नहीं आ जायगा। इससे किसी के धर्म पर आक्षेप नहीं होता है। सभी धर्मों का यही उसूल रहा है कि हम किसी तरह एक दूसरे को आराम दें। इसमें किसी के धर्म पर कोई आक्षेप नहीं है। केवल मैनेजमेंट का सवाल है और इसके लिये सभी को सपोर्ट करना चाहिये।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ऐसे बिल के लिये मुझे बोलने का मौका अता फरमाया, जिससे मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने यह महसूस किया कि बिल कुछ ऐसा हो गया कि इसमें एक तरफ ब्रहमन्स नजर आने लगे और दूसरी तरफ अछूत नजर आने लगे। तो मैंने यह उचित समझा कि इस बीच में पड़ कर कुछ अर्ज कर दूं तो मुफ द होगा। कुछ चीजें ऐसी भी कही गयीं जिनको सुनकर तकलीफ हुई। जैसे कि एक दोस्त ने कहा कि गवर्नमेंट सिर्फ हिन्दुओं के मंदिरों के लिये तो यह बिल ला रही है लेकिन मुसलमानों की मसजिदों के बारे में कोई बिल नहीं लाती। मुझे यह सुन कर अफसोस हुआ। एक ऐक्ट (×III) सन् १९३६ का मौजूद है जिसका मुसलमानों की मसजिदों से ताल्लुक है और ऐसे इदारों से है जिसको हमारे माननीय सदस्य पाठशाला कहते होंगे, लेकिन मैं उनको दारुलउलूम या यूनीवर्सिटी कहता हूं। जैसे कि देवबन्द और बहराइच के इन्सटीट्यूशन्स और कालेज वगैरह हैं। मुसलमानों की, एक जबरदस्त तहरीक के बाद, उस वक्त जब कि कांग्रस हुकूमत नहीं थी, एक बिल पास हुआ। उसके पास होने के बाद भी उसमें कुछ शर्तें लगा दी गयीं। बड़ी मुश्किलों से यह बिल पास हुआ। उसमें यह शर्तें लगा दी गयीं कि इतने दिनों तक वह नाफिज नहीं होगा। इसके बाद भी एक दूसरा ऐक्ट बना। इस तरह से यह कहना कि मुसलमानों की मसजिदों पर गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं किया या कंट्रोल करने की जरूरत नहीं समझती है, एक बड़ा गलत आरगूमेंट है।

[श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई]

अब जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मुझे इसमें दो चीजों की बू आती है। एक तरफ तो वे चीजें हैं जिनकी तरफ माननीय बिष्ट साहब ने तवज्जह दिलायी। अगर वाकई में हमारी सोसा टी में कोई नासूर जैसी कोई चीज है जो तकलीफ देने वाली है तो हमें बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ, उसको दूर करने के लिये कानून पास करना चाहिये। जहां तक इस बिल का कानूनी ताल्लुक है, मैंने इस बिल को पढ़ा और मुझे बहुत खुशी है कि यह बिल हमारे सामने है। लेकिन इस बिल की उम्र जो दो साल रखी गयी है, इन दो सालों के बाद क्या होगा? यह बिल दो साल के बाद खत्म हो जायेगा। इससे मालूम होता है कि शायद खुद हुकूमत डर रही है कि हिन्दू लोग या वह लोग जिनका बहुत असर हिन्दू सोसाइटी पर है वह, हुकूमत के खिलाफ न हो जायं। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि बजाय दो साल के बिल लाने के अगर मुस्तकलन कोई बिल लाया जाता तो वाकई में उससे काफी बेहबूदी होती सोसाइटी की और वह काफी अच्छी चीज होती उन इदारों के लिये जिनके लिये वह ट्रस्ट एग्जिस्ट करते हैं।

इसमें जो यह रखा गया है कि जो ट्रस्ट १२०० रुपये से ऊपर के होंगे उनको लेंगे जबकि गवर्नमेंट इस किस्म का नोटिफिकेशन कर देगी, यह भी एक गलत चीज है। एक पैसा हो या १ लाख रुपया हो, किसी ट्रस्ट की सैंक्टिटी उसके तक़द्दुस से नापी जा सकती है, रुपये से नहीं। मुमकिन है कि किसी ट्रस्ट की आमदनी एक पैसे की भी न हो, लेकिन उसके मैनेजमेंट को भी ठीक करने की जरूरत है। अगर लाख रुपये वाले ट्रस्ट के मैनेजमेंट को ठीक करना ही चाहें तो इसके माने यह हो गये कि जो जज्बा होना चाहिये इंडाउमेंट का, उसको तो पीछे डाल दिया और आमदनी को पेशे नजर रखा।

जो "टेम्पिल" की तारीफ की गयी है इस बिल में वह बहुत महदूद है। मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जह, जिन्होंने इस बिल को पेश किया है, इस तरफ दिलाऊंगा कि अभी हाल में एक देवकीनन्दन वर्सेस मुरलीधर सुप्रीमकोर्ट का केस हुआ है, उसमें टेम्पिल की तारीफ की गयी है कि टेम्पिल के माने क्या लेने चाहिये। मैं समझता हूं इस कानूनसाज शख्स ने या जमाअत के उन तमाम नजायर को जो वक्तन-फवक्तन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होते रहे हैं पेशे नजर नहीं किया। उसमें टेम्पिल की तारीफ बहुत ज्यादा वाजह कर दी गयी है जिसमें यह कहा गया है कि जहां "प्रतिष्ठा" होना साबित हो जाय वहां भी टेम्पिल हो जायगा। यह चीज इस बिल में कहीं नजर नहीं आयी और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मातहत यह कुछ महदूद सा हो जाता है।

जहां तक कि आफिसर्स के एप्वाइन्टमेंट का ताल्लुक है, उसके मुताल्लिक यह गुजारिश करना है कि कमिश्नर्स रखे जायेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर्स और इनवेस्टिगेशन आफिसर्स भी रखे जायंगे, लेकिन उनको कोआर्डीनेट करने के लिये कौन होगा? कोई नहीं है। इस हैसियत से कम-अज-कम एक चीफ कमिश्नर की जरूरत है, वह भी होना चाहिये।

मेरे लायक दोस्त गौरीशंकर राय ने जो सजेशन दिया है कि इसमें सिर्फ हिन्दू होने की कैद बड़ी गलत है और उससे उस एक ऐसे जजबे की बू आती है जिसके मातहत हमारे सैकुलर आईन में यह कह दिया है कि अब न तो वह हुकूमत और न वह जमात कायम रह सकती है जो सिर्फ एक जात, एक मजहब से ताल्लुक रखती हो। मैं समझता हूं इसमें बजाय यह होने के कि हिन्दू अफसरान हों, गैर हिन्दू भी होने चाहिये, बल्कि उसमें वह शख्स रखे जायं जिनको जुडीशियल एक्सपीरिएंस हो या जिन्होंने बहैसियत ऐडवोकेट के काम किया हो, तो ज्यादा मुफीद होगा।

इसमें और भी चीजें हैं जिनको मुझे इसी वक्त देखने का मौका मिला और जिनकी वजह से बहुत सी तब्दीलियां इस बिल में होनी जरूरी हो जाती हैं। बजाय इसके कि एक ऐसे बच्चे के ऊपर, जो कि दो सालके बाद खत्म हो जाय, उसके ऊपर इतना समय और रुपया बरबाद किया जाय और फिर यहां आकर यह कहना पड़े कि यह वक्त बहुत कम था; क्योंकि जरा अन्दाजा कीजिये कि कितने दिनों में उसके रूल्स बनेंगे, कितने दिनों में उसकी कमेटी बनेगी जो वर्क-आउट करेगी, इनवेस्टिगेशन आफिसर साहब कितने दिनों में मालूमात करके कि कौन सा ट्रस्ट

ऐसा है, मंदिर ऐसा है जो इस ऐक्ट के मातहत आ जाना चाहिए वह अपनी रिपोर्ट देंगे, उसमें कितना वक्त लग जायगा। तो मैं समझता हूं कि दो साल में तो यही चीजें हो पायेंगी और जब वह खत्म हो पायेंगी तो इस बिल की उम्र ही खत्म हो जायगी। इस हैसियत से इतना पैसा जाया करने के लिए अगर गवर्नमेंट ने सोचा है तो मैं समझता हूं कि वह मुनासिब न होगा। वह एक मुस्तकिल बिल लायें और मैं श्री गौरीशंकर राय जी की तजवीज की ताईद करता हूं कि अगर ऐसा हो जाय कि वाकई दोनों हिन्दू मुस्लिम रेलिजस इंस्टीट्यूशन के इंडाउमेंट्स एक हो जांय और दोनों को एक दूसरे से मदद पहुंचने लगे--हिन्दू टेम्पिल्स को मस्जिदों से मदद पहुंचने लगे और मुसलमानों की मस्जिदों को हिन्दू टेम्पिल्स से पहुचने लगे--तो एक ऐसा जजबा पैदा हो जायगा जिसको पैदा करने की हम कोशिश कर रहे है और जो आज नजर नहीं आता। इतना ही नहीं मुस्लिम-वक्फ ऐक्ट हमारी हुकूमत ने दो टुकड़ों में कर दिया है। एक शिया का हिस्सा है और एक सुन्नी का हिस्सा है। मुसलमानों का एक सुन्नी वक्फबोर्ड बना हुआ है और एक शिया वक्फबोर्ड बना हुआ है। दोनों के काम अलग-अलग, हैं, कमेटीज अलग-अलग हैं, दोनों अलग अलग काम करते है। तो यह जो डिवीजन की चीजें हैं उनको, कम से कम जिस वक्त हम लोग कानून बनाने के लिये बैठे तो रोकें। मैं इस तरफ हुकूमत की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि बजाय इसके कि इस बिल को पास कराने की कोशिश की जाय, बेहतर यह होगा कि यहां के आदमियों की एक कमेटी बनालें जिसके सुपुर्द यह काम किया जाय कि वह सारे इंनडाउमेन्ट्स के मकसद को सामने रखकर एक बिल तैयार करे। इन अल्फाज के साथ यह बिल जिस मकसद से पेश किया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं यह भी महसूस कर रहा हूं कि इस बिल के मकसद से सब सहमत हैं; कुछ अपोजीशन के लोग भी सहमत हैं लेकिन कुछ लोग, जो वेस्टेड इन्टेरेस्टे के हैं, मैं देख रहा था कि कुछ जिनको राजगान कहते हैं और कुछ ऐसी जमात वाले जो मंदिरों की खुफिया आमदनी पर पलते हैं उनको ही तकलीफ हुई, किसी और को तकलीफ नहीं हुई। वह चाहते हैं कि इस बिल को खत्म किया जाय। यह बात किसी तरह छिपी हुई नहीं है कि मंदिरों की लाखों रुपये की आमदनी ऐसी जगह चली जाती है जहां दरअस्ल उसे नहीं जाना चाहिये।

(इस समय ३ बजकर ३२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

ऐसा भी खयाल है कि लाखों रुपया जनसंघ या आर० एस० एस० में चला जाता है। यह बात कहांतक सही है और कहांतक गलत है, हमें नहीं मालूम लेकिन अफवाह ऐसी है। इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट कोई ऐसी मशीनरी बनाये जो तहकीकात करे कि वाकई टेम्प्लस की आमदनी अपनी जगह पर सर्फ होती है, जिसके मातहत कि ट्रस्ट बना हुआ है और जो उसकी बहुत सी शर्तें होती है वह पूरी हो रही हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसका बन्दोबस्त किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस बात में किसी को भी शिकायत नहीं होनी चाहिए; न हिन्दू को, न ब्राह्मण को और न अछूत को। मैं इस बिल की मंशा का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि इसको वसी करके, सही बिल लाकर पास कराया जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--प्वाइंट आफ आर्डर, श्रीमन्। अभी राहत मौलाई साहब ने यह फर्माया कि मंदिरों की खुफिया आमदनी से कुछ पार्टियाँ पलती हैं, नम्बर एक। नम्बर दो यह है कि उन्होंने यह कहा कि आर० एस० एस० और जनसंघ को रुपया मिलता है। मैं आपके द्वारा गुजारिश करूंगा कि माननीय सदस्य इन शब्दों को वापिस लें। उनका साफ एस्पर्शन यह था कि मंदिरों की नाजायज कमाई से यह पार्टियां पलती हैं, ये शब्द असंसदीय हैं।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई--मैंने नाजायज लफ्जों का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यह गुजारिश की थी कि ऐसी अफवाह है। मैं कम से कम अपनी सोसाइटी से वाकिफ हूं और यह गुजारिश कर रहा हूं कि हम में यह आम चर्चा है कि आर० एस० एस० और

[श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई]

जनसंघ पलते हैं उन आमदनियों पर जो कि लाखों की तादाद में किसी न किसी तरीके से मंदिरों में लगी हुई है पुण्य की हुई लेकिन वह पुण्य नहीं होती हैं बल्कि जनसंघ और आर० एस० एस० में चली जाती है, इसलिये इसकी तहकीकात जरूरी है ताकि वाकयात सामने आ जांय और इसकी तहकीकात के लिये जरूरी है कि सरकारी मशीनरी कायम हो और वह शायद इस बिल के जरिये से हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री गोविन्दसिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है कि राहत मौलाई साहब ने एक बात कही । अगर जनसंघ का कोई सदस्य चाहेगा तो मैं उसको बोलने की इजाजत दे दूंगा और वह इससे इन्कार कर सकता है, लेकिन वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अगर वापस लेने की इस तरह से प्रथा चला दी जाय तो फिर इतनी वापसी होने लगेगी जिससे कठिनाई होने लगेगी ।

*श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)—उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सदन के सामने प्रस्तुत है इसके सम्बन्ध में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि इसको बहुत पहले आ जाना चाहिये था । मान्यवर, इस बिल से हम समाजवादी समाज की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं । जो लोग रोज कहा करते हैं कि यह सरकार समाजवादी कदम नहीं बढ़ाती वह आंख खोलकर और अपने कानों से सुन लें कि यह हमारी सरकार का समाजवादी समाज की तरफ एक और अगला कदम बढ़ रहा है । मान्यवर, मद्रास वगैरह में यह बिल आज से बहुत पहले पास हो चुका है और वहां इसी के अनुसार काम हो रहा है । आज दो किस्म की आमदनी मंदिरों में है । एक तो वह जो मंदिरों में प्रापर्टी लगी हुई है और दूसरी वह जो प्रापर्टी तो नहीं है लेकिन चढ़ावा बहुत आता है । अभी राम नवमी आने वाली है, मंदिरों में हजारों रुपये का चढ़ावा चढ़ेगा । श्रीमान् जी, आप स्वयं ऐसी जगह से आते हैं जहां प्रापर्टी तो नहीं है लेकिन चढ़ावा बहुत चढ़ता है । प्रजा समाजवादी नेता गौरीशंकर राय जी ने इस बिल का समर्थन किया, मुझे उसको सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन जो इसका विरोध किया गया उसको सुन कर मुझे दुःख होता है । क्या यह सत्य नहीं है कि वहाँ पैसे का दुरुपयोग हो रहा है ? किसी जमाने के लिये तो यह व्यवस्था ठीक थी लेकिन आज के जमाने में यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि हम मंदिरों में ट्रस्टीशिप कायम करें ।

हमारे यहां विश्वनाथ जी का मंदिर है । बरसों तक गवर्नमेंट वहां रिसीवर मुकर्रर करती रही जो उसके पैसे का बटवारा करता था कि कितना नौकरों की तनख्वाह में खर्च होगा, कितना भोग आदि में व्यय होगा । सब माननीय सदस्यों को अपने-अपने यहां की बातों का ज्ञान है, सब जानते हैं कि किस प्रकार से उस रुपये का दुरुपयोग होता है । इस पर ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिये क्योंकि यह प्रवर समिति के सुपुर्द किया जा रहा है ।

हिन्दुओं में कई वर्ग हैं । एक कबीर पंथी हैं जिनके यहां कोई मूर्ति तो नहीं होती लेकिन उनका चढ़ावा होता है । एक किनाराम पंथ है, उनके यहां शराब और मांस बगैर तो पूजा ही उनका देवता स्वीकार नहीं करता । ऐसी हालत में मैं दो बातों का सुझाव देना चाहता हूं । इस आमदनी में से आप उतना पैसा देने का प्रयत्न करें जिससे वहां जो पुजारी है उसकी गुजर बसर हो सके । लेकिन बहुत स्थानों में महन्त जी मद्रास के हैं और राज्य व्यवस्था चलाते हैं । इसके अतिरिक्त जो और सेवक हैं—झाड़ू लगाने वाला, गंगाजल चढ़ाने वाला, और दूसरे काम करने वाले जो सेवक हैं, जिनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भोजन और पैसे की व्यवस्था मन्दिर से होती है, उनकी भी व्यवस्था इस बिल में होनी चाहिये तो एक तरह से जो पूजा पत्री करते हैं उनमें अनइम्पलायमेंट न हो इसका खयाल संयुक्त प्रवर समिति को रखना होगा। आप उनके लिये कुछ पैसा व्यय कर दें ताकि उनका भी भरणपोषण हो जाय क्योंकि सारी जिन्दगी वे उसी काम को करते आये हैं और इसलिये कोई दूसरा काम वे कर नहीं सकते हैं। जैसे हम लोग जो सदन के सदस्य हैं वे सिवा इसके कि एलेक्शन लड़ें और लेक्चर दें, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, उसी तरह से उनकी भी हालत है। यहां पर कुछ लोगों ने तो स्वतंत्र होने के बाद भी जेल जाने की परिपाटी सी बना ली है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन तीनों कामों के अलावा हमारा कोई चौथा काम नहीं है। उसी तरह से वे पंडे पुजारी, जो मन्दिरों के अन्दर रहते हैं, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि उनके भरण पोषण को ध्यान में रखते हुए उनका जरूर नेशनलाइजेशन होना चाहिए और ट्रस्ट के तरीके से बना कर उन मन्दिरों को सरकार को अपने कब्जे में ले लेना चाहिये। यह तो शहरों के बड़े बड़े मन्दिरों की बात है।

गांवों में अगर आप जायं तो वहां भी दो तीन किस्म के चढ़ावे होते हैं। एक तो यह है कि कोई बड़ा आदमी है जिसने कोई मनौती की और उनको लाभ हुआ तो उन्होंने तय कर लिया और शिवजी के मन्दिर की स्थापना कर दी, या किसी देवी जी के मंदिर की स्थापना कर दी या रामचन्द्र जी के मन्दिर की स्थापना कर दी और उसमें ५० हजार या २५ हजार रुपया लगा दिया या उसमें १०, २०,२५ बीघे खेत ही लगा दिया। जब जमींदारी थी तब तो बहुत से लोग उसमें अपनी जमींदारी ही चढ़ा देते थे। उसी की आमदनी से एक पंडित पूजा करने के लिये रहता था और उसी की आमदनी से भोग लगाया जाता था और उसी भोग से उन लोगों का पालन पोषण होता था। लेकिन आज व्यवस्था बिलकुल बदल गयी है। आज जो उस पुजारी को मार पीट कर जिस आदमी ने मन्दिर की स्थापना की उस पर उसके पट्टीदार कब्जा कर लिये हैं और मन्दिर में जितना भी चढ़ावा चढ़ता है उसको स्वयं हड़प जाते हैं। बहुतों के भाई भतीजे लोग तो ऐसे हैं जो मन्दिर में पानी तक नहीं चढ़ाते हैं। यह मैं नहीं कहता कि कौन आर्य समाजी है या कौन सनातनधर्मी है, लेकिन मैं तो सनातनधर्मी हूं और जहां भी जो मूर्ति मिल जाती है उसकी पूजा करता हूं तथा उसे नमस्कार कर लेता हूं। अगर कोई आस्तिक मिलता है तो उसे भी नमस्कार कर लेता हूं और अगर कोई नास्तिक मिल जाता है तो उसे भी नमस्कार कर लेता हूं। अगर कहीं मौलवी साहब मिल जाते हैं तो उनको भी आदाब-अर्ज कर लेता हूं। अगर कोई क्रिश्चियन मिल जाता है तो उसे भी नमस्कार कर लेता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं पूर्ण रूप से सनातनधर्म में विश्वास रखता हूं। चारवाक जो नास्तिक हो गये हैं उनको भी मैं हिन्दू धर्म के अन्दर ही मानता हूं और शंकराचार्य जिन्होंने शैव धर्म को प्रतिपादित किया उनको भी हिन्दू धर्म के अन्दर मानता हूं। कबीर, किनाराम तथा बुद्ध को भी मैं हिन्दू धर्म के अन्दर ही मानता हूं, जो एक तरह से नास्तिक किस्म के ही थे। जैनियों को भी मैं हिन्दू धर्म के अन्दर ही मानता हूं, इस तरह से हिन्दू धर्म बड़ा ही विशाल है और इस बिल को लाकर सरकार ने एक बड़ी अच्छी बात की है।

मैं चाहूंगा कि मंदिरों और मठों को दो भागों में बांट दिया जाय। इन मंदिरों में तो साल के कुछ निश्चित दिन ही चढ़ावा आता है और उसमें लाखों और पचासों हजार रुपये तक आते हैं। मठों में चूंकि एक निश्चित धन ही चढ़ा हुआ है जिसका जरूर दुरुपयोग होता है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। मंदिर में तो एक ही दिन चढ़ावा आता है, जैसे बनारस में दुर्गा जी का मंदिर है, उसमें कम से कम ५० हिस्सेदार होंगे। किसी की एक दिन पारी पड़ती है, किसी की ७ दिन पारी पड़ती है, किसी की ५ दिन पारी पड़ती है, तो वहां उनमें आपस में रोज ही झगड़े हुआ करते हैं। अगर इस का ट्रस्ट सरकार बना देगी तो कम से कम कुछ तो मुकदमेबाजी कम होगी। आज बनारस में हमारे यहां एक मठ है, उस के तमाम झगड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामले

[श्री लाल बहादुर]

पहुंचे हैं, उसके रुपये से कई पाठशालायें और दातव्य औषधालय चल रहे थे लेकिन जब कृष्णानन्द जी मरे तो उस में अनेक झगड़े धंधे पैदा हो गये, उनके मकान भी कबीरचौरे पर बनारस में हैं, आज भी बहुत से झगड़े उनके हैं, किसी तरह कुछ बीच-बचाव माननीय मुख्य मंत्री जी ने कराया है और किसी तरह से वह विद्यालय चल रहा है, जिसको सरकार से ग्रांट भी मिलती है। जब इस तरह के चारों तरफ झगड़े हैं तो इस बिल से दो लाभ होंगे, एक तो यह कि इससे मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े कम होंगे और दूसरे यह कि लोगों का कुछ रोजी रोजगार लगेगा और जो पैसा बचेगा वह हमारे दूसरे कामों में लगेगा। अभी तक तो बाबा जी खा पीकर समाप्त कर देते हैं। अगर आप इस बिल को देखें तो इसमें सब से बड़ी चीज यह है कि यह समय के अनुसार है, आज का समय यह नहीं कहता कि इन मंदिरों को वैसे ही छोड़ दिया जाय कि वह अपने मनमाने काम करें, जैसे कि बल्लभ सम्प्रदाय का हमारे यहां गोपाल मंदिर है। दो तरह के हमारे यहां मंदिर हैं, एक तो वह हैं कि जो प्राइवेट रूप से चल रहे हैं और दूसरे वह हैं जो सार्वजनिक रूप से चलाये जा रहे हैं। यह गोपाल मंदिर प्राइवेट तरीके से चलाया जा रहा है। बड़े-बड़े हमारे नेता उस मंदिर के शिष्य हैं, ५० लाख की उन की सम्पत्ति है और आधे बनारस के पढ़े लिखे लोग उन के शिष्य हैं। इसी तरह से आगरा में राधास्वामियों का मंदिर और मठ है, मैंने तो उस मंदिर को नहीं देखा लेकिन सुना है कि अब वह एक बड़ी इमारत ताजमहल के बराबर बनवा रहे हैं। मैं नहीं समझ सकता कि इतने बड़े-बड़े मकानों का क्या उपयोग हो सकता है, हमें तो आज मानवता को आगे बढ़ाना है, बड़ी इमारत का क्या होगा कि जिस में शायद दो-चार आदमी रहेंगे, इससे पैसा खराब होगा। यह रुपया विकास में व्यय होना चाहिये ताकि देश कुछ और आगे बढ़ सके।

अगर प्राइवेट मंदिरों को देखें तो शायद ही कोई ऐसा गांव होगा कि जिसमें मंदिरों को प्रापर्टी न चढ़ाई गई हो, दो, चार दस बीघा जमीन वगैरह। अब दिक्कत यह होगी कि उसको रेगुलराइज करने के लिये इस मौजूदा कानून से काम न चलेगा, कहीं तो टीनेन्सी ऐक्ट सामने आयेगा क्योंकि उनकी टीनेन्सी किसानों के नाम हैं और वह उतना ही रुपया देते हैं जितना कि लगान आता है, उसमें पूजापत्ती नहीं हो पाती और मेनटीनेन्स नहीं होती। हमारे यहां अमेठी के श्री रणंजय सिंह के पूर्वजों का बनाया हुआ एक मंदिर है, आज वहां कोई जल चढ़ाने वाला नहीं है, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने चाहा था कि जमीन उसको हमें दे दी जाय, अब रिक्वीजीशन की कार्यवाही चल रही है और वह अब ले ली जायगी। इस तरह से कुछ स्थान तो हमारे यहां ऐसे हैं काशी, अयोध्या मथुरा वगैरह, जहां १/३ प्रापर्टी मंदिरों और मठों को चढ़ी हुई है। नाना प्रकार के सम्प्रदाय के लोग हैं। पता नहीं कैसे समाज कल्याण मंत्री उनको कानून में लेंगे, जिनके पास कोई प्रापर्टी नहीं है, एक साधारण सा झंडा गाड़कर मंदिर बनाये हुये हैं, साल में कई हजार रुपया चढ़ावा आ जाता है, पंडा जो वहां पर आते हैं और लेकर चले जाते हैं। तो ऐसे बिल का विरोध करना मैं कुछ बहुत मुनासिब नहीं समझता। मैं तो सदन से निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति में जाने दें, वहां से आ जाय तब इस पर अच्छी तरह से बहस की जाय और देखा जाय कि इसमें क्या खामियां रह गई हैं। इन शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सीताराम शुक्ल।

श्री मोतीलाल अवस्थी---समाजवादी पार्टी से एक ही वक्ता बोल सका है, इसका भी तो ध्यान रखें।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री सीताराम शुक्ल से) आप जारी रखें।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और व्याख्यान के दौरान में सुना, माननीय मेम्बर साहबान ने कहा कि धार्मिक संस्थाओं के पैसे का दुरुपयोग होता है। जन संघ को मदद मिलती है, यह भी कहा। फिर कहा कि यह अफवाह है। तो मेरी गुजारिश है कि यहां अफवाह कहने की जरूरत नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह क्या बात है कि हिन्दू मंदिरों के बारे में गवर्नमेन्ट बहुत सतर्क रहती है और जो दूसर मजहब के लोग हैं, मुसलमान, ईसाई और सिक्ख हैं, इसमें उनका नाम क्यों नहीं आया ? दुरुपयोग हर एक संस्था में होता है और सदुपयोग भी हर एक संस्था में होता है। ऐसे महन्त, ऐसे साधु, ऐसे फकीर और ऐसे गुरू सब जगह हैं जो नाजायज फायदा उठाते हैं, ऐश करते हैं लेकिन अच्छे लोग भी हैं, मुसलमानों में भी, ईसाइयों में भी और हिन्दुओं में भी। ऐसे लोग भी हैं जिनके त्याग, तपस्या और पांडित्य में कोई शक नहीं है। एक-एक पैसे का हिसाब उनके पास है। तो क्या सिर्फ हिन्दुओं में ही बुराई है? सबके लिये होना चाहिये। गवर्नमेन्ट को तो सबको बराबर देखना चाहिये। आपकी नीयत तो बहुत पवित्र है कि रुपये का दुरुपयोग न हो। लेकिन, हुजूरवाला, यह कैसे कर पायेंगे ? आप अपने विकास विभाग को तो देख नहीं पाते। सरकारी कर्मचारियों के बारे में रोज आवाज आती है कि पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, कोआपरेटिव सोसायटीज का स्कैंडल चलता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जांच हो रही है, तो उन साधुओं को कैसे आप ठीक कर लेंगे ? फायदा तो होगा लेकिन नुकसान ज्यादा हो जायगा। यह संस्था दान की चीज है, दान दे दिया गया है फलां काम के लिये; उसमें किसी ने हस्तक्षेप किया तो उसका दुरुपयोग होगा। आपने जहां जहां कंट्रोल कमेटियां बनाईं उनसे क्या फायदा हुआ ? उल्टे गलतफहमी पैदा होगी समाज में कि हमारे पूजा पाठ में सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है। (व्यवधान) शुक्ल जी को जरा ताज्जुब हो रहा है। शुक्ल जी को पता नहीं है

"सुन तो जरा जहां में है तेरा फसाना क्या,
कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या।"

मिनिस्टर शक्ल बदल कर देखें कि कहां क्या आवाज हो रही है। आप जरूर कंट्रोल कीजिये लेकिन जिस चीज को आपने कंट्रोल करना शुरू किया उसीका दुरुपयोग होने लगा।

"मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की,
मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की।"

ज्यों-ज्यों कंट्रोल करते जा रहे हैं बुराई बढ़ती जा रही है। मैं शिकायत करने का आदी नहीं हूं। आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो जरूर करिये मगर साहब बहादुर इंचार्ज सरकारी अफसर न हों जिसका करेक्टर क्लब में कुछ दूसरा है, कुर्सी पर कुछ दूसरा हो जाता है। वही जायेंगे जांच करने के लिये साधुओं की, संतों की, उनके चाल चलन की और मुकदमों का फैसला वही करेंगे जिनके बारे में क्या क्या अफवाहें हैं ? अगर कंट्रोल ही करना है तो शिकायत की जांच करने वाला महन्त हो, साधु हो, सन्यासी हो। वह न हो, जो ईश्वर का मानने वाला न हो। रावण ने भी साधुओं से टैक्स लेना शुरू कर दिया था, पैसा नहीं था तो उनसे पैसा लिया और उसका नतीजा बुरा हुआ। कहीं वैसी बात यहां पर पैदा न हो। इसलिये जांच करने के लिये सरकारी अफसर मुकर्रर न हों। जांच करने के लिये सच्चरित्र महन्तों व साधुओं की कमेटी बना दी जाय ताकि आपके खिलाफ गलतफहमी न हो और आप जो चाहते हैं कि पैसे का दुरुपयोग न हो वह भी आपका मकसद पूरा हो और यह सिर्फ हिन्दुओं के लिये लागू न हो, हरएक समाज के लिये होना चाहिये।

श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:--

पक्ष में--८७,

विपक्ष में--२१।)

श्री उपाध्यक्ष--यह क्लोजर का प्रश्न तो मंजूर हुआ लेकिन माननीय यमुनाप्रसाद जी ने मेरा ध्यान एक आश्वासन की तरफ दिलाया, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी के बोलने के पहले जन संघ के किसी एक व्यक्ति को मौका दूंगा।

***श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल** (जिला रायबरेली)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शायद आपसे प्रार्थना न करता लेकिन अभी एक माननीय सज्जन ने यह आक्षेप लगाया कि आर० एस० एस० तथा जन संघ की आमदनी और इनके चलने का कारण ये जो धार्मिक संस्थायें हैं, मठ और मंदिर, इनसे उनको रुपया मिलने का है।

श्री उपाध्यक्ष--सदन में शांति नहीं है, कृपया शांति स्थापित करें।

श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल--जैसा कि आदरणीय शुक्ल जी ने कहा, उनको अफवाहों पर यहां बात नहीं करनी चाहिये थी। यहां वैसी ही बातें करनी चाहिये थीं जिनका उनको स्पष्ट ज्ञान हो या जिनके विषय में उन्होंने स्वयं अध्ययन किया हो। आर० एस० एस० के विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी आमदनी का जरिया अभी जब सरकार ने उस पर पाबन्दी लगायी सन् ४८ में तो सी० आई० डी० ने उसकी पूर्ण रूप से जांच की थी और उनको यह मालूम हुआ कि आर० एस० एस० के स्वयं सेवक साल में एक बार दक्षिणा करते हैं और वह गुप्त दक्षिणा करते हैं और उसके कार्यकर्ता अविवाहित रह कर अपना जीवन और अपना सर्वस्व भारत माता को अर्पित कर चुके हैं। इस तरह से वह कार्य-क्रम चल रहा है।

दूसरी चीज जन संघ के विषय में उन्होंने कही। वह तो एक राजनीतिक संस्था है। उसमें जो लोग हैं वे चन्दा देते हैं और एलेक्शन भी लड़ते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ लोगों का त्याग है जो शायद किसी और संस्था में न मिले। मेरा खयाल है कि जो सज्जन बोल रहे थे उनको मस्जिदों से ऐसी रकमें मिलती हैं, इसी वास्ते उनके हृदय में विकार उत्पन्न हुआ वरना इस तरह से अफवाहों पर आधारित बात वह सदन में न कहते।

तीसरी चीज उन्होंने यह कही कि मुसलमानों के विषय में वक्फ ऐक्ट है, और भी ऐक्ट हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी सलोन तहसील में एक खानगाह है, वहां के सज्जादा नशीन इस समय ८० वर्ष से ऊपर होंगे लेकिन कोई भी देखना चाहे तो देख सकता है, जब वह अदालत में आते हैं या बाहर जाते हैं तो उनकी बगल में एक वेश्या अवश्य रहती है। मैं नहीं जानता कि कौन से कानून से उनके ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता है। तो अपने यहां की दशा को वह नहीं देखते हैं। उनको प्रत्येक व्यक्ति जानता है। अगर कोई व्यक्ति चलना चाहे तो देख सकता है (व्यवधान)। उनकी बीबियां नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष--आप आगे भाषण करें।

श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल--जैसा कि शुक्ल जी ने कहा....

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य बैठ नहीं रहे हैं। आप (श्री उग्रसेन से) कृपया बैठें।

श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल--मेरा निवेदन यह है कि मन्दिरों में पूजा के लिये नियन्त्रण होगा। मैं किसी मंदिर में पूजा के लिये जाना चाहता हूं तो मेरे लिये समय नियत होगा। यह नियंत्रण अनुचित है। कुछ व्यक्तियों ने सत्यनारायण की कथा के विषय में कहा। यह तो व्यक्तिगत भावना की चीज है। किसी ने कहा कि यह तो लकड़हारे की कथा है। ठाकुर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी दूध नहीं पीते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह लकड़हारे की कथा नहीं है बल्कि नवग्रह की पूजा है। जैसे हम और देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी तरह से इनकी पूजा करते हैं। जैसे लोग प्रदोष रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें क्या रखा है।

श्री गौरीशंकर राय--उपाध्यक्ष महोदय, सत्यनारायण की कथा का विवेचन होने लगा।

श्री उपाध्यक्ष--इसको ध्यान से सुनें।

श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल--मैं समझता हूं कि जो समझते हैं कि पुण्य होता है वे सुनें और जो समझते हैं कि पाप होता है उनके लिये कोई जबरदस्ती नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--अन्य बातें माननीय सदस्य दुहरायें नहीं। थोड़ा समय ले लें।

श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल--एक मिनट और कहूंगा। इस बात को सभी मानते हैं कि मंदिरों में भ्रष्टाचार और व्यभिचार नहीं होना चाहिये। इनके धन का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। जो लोग दुरुपयोग करते हैं उनकी भावना दूसरी होती है। वह देखेंगे कि आमदनी रोकी जा रही है तो वह दूसरी तरह से चढ़ा सकते हैं। जैसे बिड़ला जी के लिये कहा गया है कि वह चूसते हैं और मन्दिर बनवाते हैं। उनके चूसने की मनोवृत्ति को अवश्य दूर करना चाहिये। यह उनके हृदय की चीज है। इसके सिवाय मुझे और कुछ निवेदन नहीं करना है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज दिन भर इस तरफ के और उस तरफ के बैठने वाले कई माननीय सदस्यों के भाषण इस विषय पर सुने और मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने कई किस्म की विचारधारायें सदन के सामने रखीं और मुझे आशा है कि ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में यह बिल जायगा तो जो चर्चा यहां हुई है उससे कमटी को लाभ ही होगा। मुझे बहुत ज्यादा इस विषय पर इसलिये भी नहीं कहना है जितने मेम्बर बोले, उन्होंने इसका समर्थन ही किया है और थोड़े से, जैसे जन संघ के माननीय गोविन्दसिंह विष्ट और एक आध सदस्य जैसे माननीय टीकाराम जी ने इसका विरोध किया है। बाकी सबने इसका समर्थन किया है। खासतौर से गौरीशंकर राय जी ने जो भाषण दिया उससे मुझे काफी सहूलियत हो गई और मेरा काम बहुत हल्का हो गया है। जिन्होंने श्री गोविन्द सिंह विष्ट का विरोध किया है उसके ऊपर उन्होंने काफी प्रकाश डाल दिया है और आदरणीय सदन के सभी सदस्यों ने बताया है कि इसकी मंशा कदापि यह नहीं है कि किसी किस्म का हस्तक्षेप धर्म के मामले में करें। मंदिर जिन कामों के लिये है और जो काम अब तक होते चल आये हैं उसी तरह से चलते रहेंगे। उनमें कोई दखल नहीं दिया जायगा। जो काम धार्मिक रूप से अब तक होते आये हैं वैसे ही भविष्य में भी चलते रहेंगे। इसके पास होने या न होने से इनमें कोई अन्तर नहीं आयेगा। जो धार्मिक मामलों में व्यवस्था रहती है उसमें थोड़ा बहुत हस्तक्षेप होगा। वह इस मानी में कि जो चल और अचल सम्पत्ति है, उसका कोई रेकार्ड हमारे पास नहीं है, उसके व्यय करने की कोई रूपरेखा सही माने में हमारे पास नहीं है। इसलिए ऐसी संस्थाओं पर, नियन्त्रण रखने के लिये यह बिल आया है। हमारा उत्तर प्रदेश बहुत दिनों से धार्मिक स्थान रहा है। श्री रामचन्द्र जी और श्रीकृष्ण जी के नाम से कई किस्म की संस्थायें और मंदिर सारे उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं और उनके पास काफी मात्रा में धनराशि भी एकत्र है। यह आवश्यक हो गया था कि जब सभ्यता इतनी आगे बढ़ चुकी है तो यह हो नहीं सकता था कि इन संस्थाओं में जो कि बहुत सा संचित धन है, जो जनता ने अपनी पसीने की कमाई दान के रूप में दी है, उस धन का दुरुपयोग होने दिया जाय। यह हमारे लिये कलंक की बात होती। सरकार के लिए यह गलत बात होती। सरकार स पर बहुत गम्भीरता से सोचती रही, सेक्युलर स्टेट होने के नाते सरकार यह सोचती रही कि धर्म के मामले में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, इसलिये देर हुई, नहीं तो इस प्रकार

[श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट]
का आवश्यक बिल कभी को आ जाना चाहिए था। वैसे १९५५ में यह सदन के सामने आया था लेकिन पब्लिक ओपीनियन एकत्र करने में बहुत ज्यादा समय लग गया। काफी संस्थाओं से पब्लिक ओपीनियन एकत्र की गयी। उसमें बहुत समय लग गया। बाद में १९५७ में असेम्बली का समय पूरा हो गया और बिल लैप्स हो गया।

माननीय सदस्यों ने कहा कि यह बिल केवल दो साल के लिये क्यों आया है। मैं बताना चाहता हूं कि इस विषय पर एक कांप्रीहेंसिव बिल आने वाला है। इसलिये यह टेम्पोरेरी मेजर दो साल के लिये आया है। कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि केवल १२ सौ रुपये की धनराशि पर क्यों नियन्त्रण रखा गया है? मंदिरों की इतनी असंख्य संख्या है कि सब पर नियन्त्रण करना असम्भव था। इसलिए १२ सौ रु० की धनराशि रखी गयी। इससे छोटे मन्दिर इसके परिधि में नहीं आयेंगे।

गौरीशंकर राय जी ने कुछ ऐसी शंका पैदा की कि इन संस्थाओं से जो आरफनेजेज, कोढ़ी, लूले, लगड़ों आदि की जो व्यवस्था होती है, उनको वह सुविधा प्राप्त रहनी चाहिये। मैं बतलाना चाहता हूं कि सरकार की मंशा उन सुविधाओं को खत्म करने की कदापि नहीं है। जो सुविधायें मिलती रही हैं वे भविष्य में भी जारी रहेंगी। हमारी मंशा यही है कि चल और अचल सम्पत्ति का रेकार्ड बन जाय और उसकी सुचारुरूप से व्यवस्था हो सके, उसका दुरुपयोग न हो सके। इस उद्देश्य से यह बिल बनाया गया है।

मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा और ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास इस बिल को भेजने के लिये पूर्ण समर्थन देगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय मन्त्री जी से मैं यह क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि यह बिल जो है क्या यह प्राइवेट टैम्पिल पर भी लागू होगा क्योंकि इसके लागू करने की जो परिभाषा की गई है उसमें १,२०० रुपये की आमदनी रखी गई है। वे प्राइवेट टैम्पिल भी १,२०० रुपये की आमदनी के ऊपर हो सकते हैं तो क्या यह उनके ऊपर भी लागू होगा ?

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट--टैम्पिल की इसमें परिभाषा दी गई है। जहाँ पर १,२०० रुपये की आमदनी का सवाल होगा, चाहे वह प्राइवेट टैम्पिल हो उसको भी यह बिल कवर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९६० ई० के उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक [Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties [Temporary Powers) Bill, 1960] को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय तथा उस समिति में कार्य करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को चुना जाय-

१--श्री चन्द्रिकाप्रसाद	..	९--श्री भगवतीप्रसाद दुबे	
२--श्री केशवराम	..	१०--श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी	
३--श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी	..	११--श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा	
४--श्रीमती बिन्दुमती दास	..	१२--श्री कल्याणचन्द मोहिले	
५--श्री मदनगोपाल वैद्य	..	१३--श्री रामस्वरूप वर्मा	
६--श्री रामप्रसाद नौटियाल	..	१४--श्री ऊदल	
७--श्री दीनदयालु शर्मा	..	१५--श्री मन्नालाल	
८--श्री छोटेलाल पालीवाल	..	१६--कुंवर श्रीपालसिंह	

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संयुक्त प्रान्तीय ग्राम सुधार (भूमि अधिकरण) अनुकूलन आज्ञा, १९६०*

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद शुक्ल)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित संयुक्त प्रान्तीय ग्राम सुधार (भूमि अधिकरण) अनुकूलन आज्ञा, १९६०, से सहमत है, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, संयुक्त प्रान्तीय ग्राम सुधार (भूमि अधिकरण) अधिनियम, ४८ के उपबन्धों में इस बात की व्यवस्था है कि उस अधिनियम के अन्तर्गत काश्तकारों की जो भूमि अधिकृत की जाय तो उस पर मुआविजा निर्धारित करने के लिये उस भूमि के लगान अथवा सायर पर विचार किया जाय। इस अधिनियम के पश्चात् सन् १९५० में जब जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम पारित हो गया तो उसके परिणाम स्वरूप इस प्रदेश के अधिकांश ग्रामीण भू भाग में जमींदारी नहीं रही और अब काश्तकार अपनी जमीन का लगान नहीं अपितु मालगुजारी सरकार को अदा करता है यदि अतएव यदि उसकी जमीन अधिकृत की जाय और उसके मुआवजे का विचार किया जाय तो उस कानून में लगान शब्द के होने के कारण अड़चन पड़ती है। लिहाजा इस बात की आवश्यकता हुई कि इस अधिनियम को संशोधित किया जाय इस तरह से कि इसके प्रावि धान जमींदारी उन्मूल अधिनियम के अनुकूल हो जायं। इस हेतु धारा ३३८ में राज्य सरकार को अधिकार है कि इस हेतु वह अनुकूलन आज्ञा प्रसारित कर सकती है जिसके द्वारा ऐसे शाब्दिक संशोधन किये जायं कि उक्त अधिनियम जमींदारी विनाश अधिनियम के अनुकूल हो जाय। और उस धारा ३३८ की उपधारा (२) में यह व्यवस्था है कि ऐसी आज्ञा पर राज्य विधान मंडल विचार कर के उसे स्वीकार करे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने इस आज्ञा पर विचार करके इसे स्वीकार कर लिया है और अब यह इस सदन के समक्ष है और मेरा विश्वास है कि यह सदन भी इसको विचार करने के उपरान्त स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित संयुक्त प्रान्तीय ग्राम सुधार (भूमि अधिकरण) अनुकूलन आज्ञा, १९६० पर विचार करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित संयुक्त प्रान्तीय ग्राम सुधार (भूमि अधिकरण) अनुकूलन आज्ञा, १९६० को यह सदन पारित करे।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित संयुक्त प्रान्तीय ग्राम सुधार (भूमि अधिकरण) अनुकूलन आज्ञा, १९६० पारित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह विसेन---अब आज सदन का काम खत्म किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---अब मुख्य मंत्री जी का खादी तथा ग्राम उद्योग विधेयक है। इस पर आज विचार नहीं होगा क्योंकि यह आज ही पुरःस्थापित किया गया है। न्याय मंत्री जी चाहते हैं कि आज कोई और कार्य शेष नहीं है इसलिये उठा जाय और मैं समझता हूं कि सब लोग इससे सहमत हैं। इसलिये अब हम उठते हैं और ६ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर २२ मिनट पर बुधवार, ६ अप्रैल, १९६०, के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१ अप्रैल, १९६०।

---

*छापी नहीं गयी।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३ पर)

प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र के विद्यालयों की सूची जिन्हें वर्ष १९५८-५९ में उदारीकरण अनावर्तक पोषण अनुदान स्वीकृत हुआ

क्रम-सं०	जिले का नाम	विद्यालय का नाम	वर्ष ५८-५९ में स्वीकृत अनुदान
	(बालकों के हायर सेकेन्डरी स्कूल)		
१	देहरादून	आशा राम ए० वी० चौहारपुर	१,५००
२	आगरा	दामोदर, होलीपुर	१,८८४
३	आगरा	भदवार विद्यामंदिर, बाह	१,०६८
४	अल्मोड़ा	श्री महाउ जोशी स्मारक, राष्टीय बागेश्वर	१,२२४
५	,,	बेरी नाग, पो० बेरीनाग	६८४
६	,,	श्री मचाकाली, गंगोलीघाट	९९६
७	,,	श्री सरस्वती देवी सिंह, पिथौरागढ़	१,८००
८	,,	प्रेम विद्यालय ग्रा० निगर पो० तारीखेत	३००
९	,,	ऐंगलों हिन्दुस्तानी कापकोट	२ १००
१०	,,	सर्वोदय जयन्ती	३३६
११	,,	द्वारा हट, द्वारा हट	१,८००
१२	,,	देवलीखेत	३२४
१३	,,	व्याज ओन कंशानी	१,५००
१४	,,	गउनाथ विद्यापीठ, जुकुला	१,७६४
१५	,,	कन्डा, कन्डा	२,७७०
१६	,,	ए० एच० मिशन, पिठौरागढ़	१,८६०
१७	नैनीताल	श्री नारायण स्वामी ए० वी० रामगढ़	२,९७६
१८	,,	गोविन्द बल्लभ पन्त, ओखलकन्डा	५०४
१९	,,	बी० एस० वी० जसपुर	९९६
२०	,,	ए० एच० मुक्तेश्वर	७६८
२१	पौड़ी गढ़वाल	राष्ट्रीय विद्यापीठ सिलोगी	३००
२२	,,	श्री स्वामी सच्चिदानन्द, रुद्रप्रयाग	३९६
२३	,,	पब्लिक अगस्तमुनी	१,२७२
२४	,,	श्रद्धानन्द विद्यालय, भृगुखाल	१,१६४
२५	,,	उत्तराखन्ड विद्यालय	४९२
२६	,,	वेदीखाल	७८०
२७	,,	डी० ए० वी० दोगड्डा	१,८००
२८	,,	दीबा पब्लिक धनकोट	२४०
२९	,,	पब्लिक कोटद्वारा	२,३६४
३०	,,	डी० ए० वी० पौरी	१,२००
३१	,,	आर० के देवप्रयाग	७४४
३२	,,	बाधनतलवारी	६२४

१	२	३	४
३३	पौड़ी गढ़वाल	पबाऊ	८०४
३४	,,	जनता पोखरा	६२४
३५	,,	गीता स्वामी गोपेश्वर	४२०
३६	टेहरी गढ़वाल	श्री सारस्वत लम्बगांव (रमोली)	६००
३७	मिर्जापुर	राजा सारदा महेश राबर्ट्सगंज	७२०
३८	झांसी	डी० बी० मोथ	६४८
३९	जालौन	छत्रशाल	२,१००
४०	बांदा	तुलसीराजापुर	९९६
		(बालकों के लघु माध्यमिक विद्यालय)	
४१	अल्मोड़ा	मजखाली	२४०
४२	अल्मोड़ा	सरदार पटेल, चौवा राडग	२४०
४३	अल्मोड़ा	चम्पावत	४८०
४४	अल्मोड़ा	मनीला	४०८
४५	अल्मोड़ा	जनता, बरेछिना	२४०
४६	अल्मोड़ा	भटकिला	४४४
४७	पौड़ी गढ़वाल	गढ़वाल पब्लिक स्कूल	२४०
४८	पौड़ी गढ़वाल	धुमदेवल	१,२००
४९	पौड़ी गढ़वाल	देवराज खाल	२७६
		(बालिकाओं के लघु माध्यमिक विद्यालय)	
५०	पौड़ी गढ़वाल	आर्य कन्या पाठशाला, कोटद्वारा	४८०
		कुल योग	४९,९९२

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११६ पर)

घटना का विवरण

बलिया स्टेशन पर दिनांक ९ सितम्बर, १९५९ को प्रयाग कटिहार फास्ट पैसेन्जर के एक डिब्बे में आबकारी विभाग बलिया के एक चपरासी को ट्रेन की तलाशी लेते समय सीट के नीचे एक बक्स, जिसमें ताला लगा था, मिला। चपरासी ने बक्स के मालिक की खोज की पर वह नहीं मिला। इतने में ट्रेन बलिया से छूट गई और फेफना पहुंची। वहां पर चपरासी ने स्टेशन मास्टर को बक्स के बारे में सूचना दी, परन्तु वे समयाभाव के कारण बक्स वहां नहीं उतरवा सके, पर अगले स्टेशन चीतबड़गांव को इसके उतरवाने के लिये सूचित कर दिया। चीतबड़गांव स्टेशन पर बक्स उतारा गया और रेलवे पुलिस बलिया को सूचित किया गया। रेलवे पुलिस बलिया ने बक्स खोल कर देखा तो उसमें एक लगभग २२ वर्षीय नवयुवती की लाश थी। एक मुकदमा भारतीय दण्ड विधान की धारा ३०२ के अन्तर्गत कायम किया गया और जांच प्रारम्भ हुई। लाश के साथ कपड़ा या कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे किसी प्रकार उसे पहचाना जा सकता। लाश के डाक्टरी परीक्षण से भी मृत्यु का कारण सही पता न लग सका। बहुत जांच एवं प्रयत्न करने पर भी मृतक स्त्री की पहचान का सूत्र न मिला और मामला लापता रहा।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८ पर)

दिनांक १-७-५९ से १२-२-६० तक जिला सीतापुर के थाना पिसावां व थाना संधना में हुई डकैती, चोरी और राहजनी की घटनाओं का विवरण

अपराध	रिपोर्ट हुई	जांच हुई	चालान हुआ	सजायाब हुए	रिहा हुए	अदालत में विचाराधीन	जांच लापता	जारी
थाना पिसावां								
१ डकैती	३	३	२	..	..	२	१	..
२ चोरी	२७	२७	८	२	..	६	..	१९
३ राहजनी	..	..	..	..	..	..	..	..
थाना संघना								
१ डकैती	२	२	१	..	..	२	..	.
२ चोरी	१६	१६	६	..	..	६	..	१०
३ राहजनी	..	..	..	..	..	..	..	..

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२६ पर)

एटा जिले में जनवरी, सन् १९५९ ई० से नवम्बर, १९५९ ई० तक जिन थानों के अन्तर्गत चोरियां या डकैतियां हुईं उन थानों के नाम

जिन थानों के अन्तर्गत चोरियां हुईं उन थानों के नाम	उन थानों के नाम जिनके अन्तर्गत डकैतियां हुईं
१--कोतवाली	१--कोतवाली
२--कासगंज	२--कासगंज
३--तहाबर	३--मारहरा
४--मारहरा	४--पटियाली
५--पटियाली	५--अमांपुर
६--गंजडुडवारा	६--निधौली
७--अमांपुर	७--सिढ़पुरा
८--निधौली	८--सोरो
९--सिढ़पुरा	९--सकीट
१०--सोरो	१०--जेथरा
११--सकीट	११--अवागढ़
१२--जलेसर	
१३--जेथरा	
१४--अलीगन्ज	
१५--अवागढ़	

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १२९ पर)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६०

उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिये एक बोर्ड की स्थापना तथा उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय १

प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा आरम्भ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

(२)इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस दिनांक से प्रचलित होंगे जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे ।

परिभाषाएं।

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में --

(१) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा ४ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड से है,

(२) "सभापति" का तात्पर्य बोर्ड के सभापति से है,

(३) "खादी" का तात्पर्य भारत में हाथ से काते गये रूई, रेशम, या ऊन के तागे से अथवा इनमें से किन्हीं दो या सब तागों के मिश्रण से भारत में हथकरघों पर बुने हुये कपड़े से है,

(४) "सदस्य" का तात्पर्य बोर्ड के सदस्य से है और सभापति भी इसके अन्तर्गत है,

(५) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

(६) "विनियम" का तात्पर्य धारा ३७ के अधीन बने विनियमों से है,

(७) "सचिव" का तात्पर्य धारा १० के अधीन नियुक्त बोर्ड के सचिव से है, और

(८) "ग्राम उद्योग" का तात्पर्य अनुसूची में उल्लिखित सभी या किसी उद्योग से है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य उद्योग भी है जो धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति के कारण अनुसूची में उल्लिखित किया गया समझा जाय ।

अनुसूची को बढ़ाने का अधिकार।

३--(१) राज्य सरकार स्वतः या बोर्ड की सिफारिश पर, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी अन्य उद्योग को ऐसा ग्राम उद्योग घोषित कर सकती है जिस पर यह अधिनियम प्रवृत्त हो और तदुपरान्त इस प्रकार घोषित उद्योग इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अनुसूची में उल्लिखित उद्योग समझा जायगा ।

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रत्येक विज्ञप्ति की एक प्रति उसके जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायगी ।

अध्याय २

बोर्ड की स्थापना

बोर्ड की स्थापना।

४--सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एक बोर्ड स्थापित किया जायगा जो उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड कहलायेगा और जो एक सतत अनुक्रम वाला निगमित निकाय होगा । उसकी एक सामान्य मुहर होगी, और उसे, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और निस्तारित करने तथा संविदा करने का अधिकार होगा तथा उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

बोर्ड के सदस्य

५--बोर्ड पन्द्रह से अनधिक उतने सदस्यों से मिलकर बनेगा जितने राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे, अर्थात् ;

(क) गैर-सरकारी सदस्य--सभापति, और छः से अन्यून तथा नौ से अधिक व्यक्ति, राज्य सरकार की राय में जिन्हें खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास से सम्बन्धित मामलों का अनुभव हो तथा जिन्होंने उनमें क्षमता प्रदर्शित की हो, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ।

(ख) सरकारी सदस्य --

(१) वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार,

(२) उद्योग सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार,

(३) उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश,

(४) विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

(५) निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश ।

सभापति तथा सदस्यों की पदावधि।

६---(१) बोर्ड के सभापति और उसके अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को पदावधि ऐसी अवधि या अवधियों के लिये होगी जो नियत की जायं :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी व्यक्ति दो से अधिक क्रमिक अवधियों के लिये बोर्ड का सभापति या सदस्य नियुक्त नहीं किया जायगा ।

(२) बोर्ड के सरकारी सदस्य की पदावधि उसके अपने पद पर रहने की अवधि तक होगी ।

(३) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार बोर्ड के किसी ऐसे गैर-सरकारी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है,

(क) जो न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो, या

(ख) जो ऐसे अपराध के लिये सिद्ध दोष हुआ हो जो राज्य सरकार की राय में नैतिक पतन समन्वित हो, या

(ग) जो शारीरिक या मानसिक रूप से ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो, या

(घ) जिसने राज्य सरकार की राय में बोर्ड के सर्वोत्तम हित में कार्य न किया हो या जो इस प्रकार कार्य करने में असमर्थ हो गया हो

या जिसने सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका इस प्रकार बना रहना बोर्ड तथा जनसाधारण के हितों के लिये हानिकर हो गया हो ।

(४) कोई गैर-सरकारी सदस्य राज्य सरकार को लिखित नोटिस देकर बोर्ड की सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकता है और उसके त्याग-पत्र के स्वीकार किये जाने तथा सरकारी गजट में विज्ञप्ति किये जाने पर उसके बारे में यह समझा जायगा कि वह बोर्ड का सदस्य नहीं रह गया है ।

(५) किसी सदस्य के त्याग-पत्र देने या हटाये जाने से अथवा किसी अन्य कारण से हुई आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा नयी नियुक्ति करके की जायगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य उस शेष अवधि के लिये पदासीन रहेगा, जिसके लिये वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया हो, पदासीन रहता, यदि उसने त्याग-पत्र न दिया होता या वह हटाया न गया होता या कोई और कारण न होता ।

बोर्ड की बैठकें

७--(१) बोर्ड की बैठकें ऐसे समय तथा स्थानों पर होंगी और, उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, वह अपनी बैठकों में कार्य-सम्पादन के सम्बन्ध में (जिसके अन्तर्गत बैठकों में गणपूर्ति भी है) ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा की जाय ।

(२) सभापति, या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित समस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(३) बोर्ड की बैठक में आने वाले समस्त प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायगा और दोनों ओर बराबर मत होने की दशा में सभापति या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को एक दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

सदस्यों के स्थान रिक्त होने या बोर्ड के संघटन में त्रुटि के कारण बोर्ड के कार्य या कार्य-वाहियां अवैध न होंगी।

८--बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही बोर्ड में किसी रिक्ति या उसके संघटन में किसी त्रुटि के कारण ही अवैध न समझी जायगी ।

बोर्ड का कार्यालय

९--बोर्ड का कार्यालय लखनऊ में स्थित होगा ।

बोर्ड का सचिव तथा अन्य कर्मचारिवर्ग।

१०--(१) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने में बोर्ड की सहायता सचिव करेगा जो राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जायगा, जो वह उचित समझे ।

(२) उपधारा (३) के उपबन्धों तथा तदर्थ बनाये गये विनियमों के अधीन रहते हुये, बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त कर सकता है जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्वक सम्पादन के लिये आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसका मानदेय या अधिकतम वेतन पांच सौ रुपये प्रति मास से अधिक हो, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना बोर्ड द्वारा नियुक्त नहीं किया जायगा ।

(३) सचिव, तदर्थ बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये या बोर्ड के संकल्प द्वारा उसे तदर्थ प्रतिनिहित अधिकारी की आयति तक, ऐसे अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकता है जो वह इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों के दक्षतापूर्वक सम्पादन के लिये आवश्यक समझे ।

सचिव के अधिकार।

११—सचिव ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियत किये जायं, या जो समय-समय पर बोर्ड के संकल्प द्वारा उसे प्रतिनिहित किये जायं ।

बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और उसके सदस्यों की पदावधियां।

१२—(१) बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें वे होंगी जो तदर्थ बनाये गये विनियमों द्वारा व्यवस्थित की जायं ।

(२) सभापति तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भत्तों के अधिकारी होंगे ।

बोर्ड के आदेशों तथा अन्य कारणों का प्रमाणीकरण।

१३—बोर्ड के समस्त आदेश तथा निर्णय सभापति, सचिव या उस सदस्य के, जो बोर्ड द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से प्रमाणित किये जायेंगे, और बोर्ड के पक्ष में या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से निष्पादित समस्त करण सचिव या बोर्ड के ऐसे अधिकारी के, जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत किये जायेंगे ।

बोर्ड की कार्यपालिका।

१४—बोर्ड अपने द्वारा तैयार की गई योजनाओं का कार्यान्वयन इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, और उसके लिये प्रदिष्ट धनराशियों का उपयोग, उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश, के माध्यम से करेगा ।

अध्याय ३

बोर्ड के कृत्य

बोर्ड के कृत्य।

१५—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, बोर्ड के कृत्य सामान्यतया ये होंगे—खादी तथा ग्राम उद्योगों की आयोजना बनाना तथा उनका संगठन, विकास एवं विनियमन करना ।

(२) विशेषतया तथा पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड कोई ऐसा कार्य कर सकता है जो वह निम्नलिखित के सम्बन्ध में उपयुक्त समझे —

(क) खादी के उत्पादन अथवा ग्राम उद्योगों में लगे हुये अथवा उसमें अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की आयोजना बनाना तथा उसका संगठन करना;

(ख) कच्चे माल तथा उपकरणों का एक सुरक्षित भंडार बनाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्राम उद्योगों में लगे हुये व्यक्तियों को ऐसी मितव्ययी दरों पर देना जो बोर्ड की राय में उपयुक्त हों,

(ग) खादी ग्राम उद्योगों की वस्तुओं के प्रचार तथा क्रय-विक्रय के लिये व्यवस्था करना,

(घ) खादी के उत्पादन की प्रविधि तथा ग्राम उद्योगों के विकास में शोध को प्रोत्साहित करना तथा बढ़ाना अथवा खादी या ग्राम उद्योगों से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन के लिये सुविधायें देना,

(ङ) खादी अथवा ग्राम उद्योगों के विकास के लिये स्थापित संस्थाओं का अनुरक्षण करना या उनके अनुरक्षण में सहायता देना ,

(च) खादी का उत्पादन अथवा ग्राम उद्योगों का विकास आरम्भ करना, उसमें सहायता देना अथवा उसे प्रोत्साहित करना,

(छ) खादी के निर्माताओं तथा अथवा ग्राम उद्योगों में लगे व्यक्तियों के सहकारी प्रयास को बढ़ाना तथा उसे प्रोत्साहित करना,

(ज) खादी के कार्य तथा ग्राम उद्योगों में लगे हुये व्यक्तियों और संस्थाओं में जिनके अन्तर्गत सहकारी समितियां भी हैं, समन्वय कराना, तथा

(झ) किसी अन्य विषय का कार्यान्वय जो नियत किया जाय ।

बोर्ड के कृत्यों की सीमाएं।

१६—(१) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में बोर्ड ऐसे निर्देशों से बाध्य होगा जो राज्य सरकार उसे दे ।

(२) बोर्ड, राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना अचल सम्पत्ति का निस्तारण अथवा अर्जन नहीं करेगा ।

अध्याय ४

कार्यक्रम तथा योजनायें और वित्तीय विवरण (बजट) तैयार और प्रस्तुत करना

कार्यक्रम तथा योजनायें बनाना और प्रस्तुत करना।

१७—बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में कार्यान्वय के लिये कार्य तथा योजनाओं का कार्यक्रम बनाये और उसे राज्य सरकार को ऐसे आकारों में और ऐसे ब्योरों के साथ तथा ऐसे दिनांक अथवा दिनांकों तक प्रस्तुत करे, जो नियत किये जायं ।

अनुपूरक कार्यक्रम तथा योजनायें।

१८—बोर्ड, अनुपूरक कार्यक्रम तथा योजनायें तैयार कर सकता है और उन्हें राज्य सरकार को ऐसे आकारों में तथा ऐसे ब्योरों के साथ प्रस्तुत कर सकता है जो नियत किये जायं ।

कार्यक्रमों तथा योजनाओं का अनुमोदन।

१९—राज्य सरकार, यथा स्थिति धारा १७ या धारा १८ के अधीन, प्रस्तुत किये गये कार्यक्रम अथवा योजनाओं को अथवा अनुपूरक कार्यक्रमों या योजनाओं को पूर्णतः या ऐसे परिष्कारों के सहित, जो वह उपयुक्त समझे, अनुमोदित कर सकती है, तथा इस प्रकार अनुमोदित कार्यक्रम अथवा योजनायें उस वर्ष या अवधि के कार्यक्रम अथवा योजनायें होंगी जिसके लिये वे बनाई गई हों ।

कार्यक्रमों तथा योजनाओं का कार्यान्वय।

२०—धारा १९ के अधीन कार्यक्रमों अथवा योजनाओं या अनुपूरक कार्यक्रमों अथवा योजनाओं के सम्बन्ध में, राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर बोर्ड उन्हें कार्यान्वित करेगा ।

वार्षिक वित्तीय विवरण।

२१—(१) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अपनी उस वर्ष की प्राक्कलित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण तैयार करायेगा तथा उसे अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत करायेगा ।

(२) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिये गये व्यय के प्राक्कलनों में निम्नलिखित पृथक् रूप से दिखाये जायेंगे—

(क) सभापति तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्यों के भत्ते,

(ख) बोर्ड के कर्मचारियों की उपलब्धियां तथा भत्ते और बोर्ड के कार्यालय से सम्बन्धित अन्य व्यय,

(ग) ऋण सम्बन्धी व्यय जिसके लिये बोर्ड उत्तरदायी हो जिसके अन्तर्गत व्याज, निक्षेप निधि पर व्यय तथा ऋण शोधन व्यय और ऋण लेने तथा ऋण शोधन तथा तत्सम्बन्धी कार्यों से सम्बन्धित अन्य व्यय भी हैं,

(घ) किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के निर्णय, डिक्री अथवा पंचनिर्णय की पूर्ति के लिये अपेक्षित धनराशियां,

(ङ) बोर्ड के कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वय के लिये अपेक्षित धनराशियां, और

(च) कोई अन्य व्यय जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियत किया जाय ।

अनुपूरक वित्तीय विवरण ।

२२—यदि चालू वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा, कार्यक्रम या योजना पर व्यय किये जाने के लिये वार्षिक वित्तीय विवरण द्वारा प्राधिकृत तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि उस वर्ष के कार्यों के लिये अपर्याप्त पाई जाय अथवा यदि चालू वित्तीय वर्ष में किसी नयी सेवा, कार्यक्रम या योजना के लिये, जो उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अपेक्षित न हो, अनुपूरक व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो जाय तो, बोर्ड दूसरा विवरण तैयार करायेगा जिसमें उक्त व्यय की प्राक्कलित धनराशि दिखाई जायगी और उसे अनुमोदन के लिये राज्य सरकार के पास भिजवायेगा ।

वार्षिक तथा अनुपूरक वित्तीय विवरणों का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन ।

२३—(१) राज्य सरकार धारा २१ अथवा धारा २२ के अधीन, जैसी भी दशा हो, प्रस्तुत किये गये वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा अनुपूरक वित्तीय विवरण का अनुमोदन पूर्णतः अथवा ऐसे परिष्कारों के साथ, जो वह ठीक समझे, कर सकती है ।

(२) राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा अनुपूरक वित्तीय विवरण उस वर्ष के लिये बोर्ड का "वार्षिक वित्तीय विवरण" अथवा "अनुपूरक वित्तीय विवरण" होगा ।

बोर्ड का व्यय करने का अधिकार ।

२४—धारा २५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, बोर्ड को इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों पर ऐसी धनराशियां व्यय करने का अधिकार होगा, जो वह उचित समझे ।

बोर्ड के व्यय करने के अधिकार की सीमायें ।

२५—(१) उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कोई भी धनराशि बोर्ड द्वारा उसकी ओर से धारा २३ के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा अनुपूरक वित्तीय विवरण, जैसी भी दशा हो, के अनुसरण से अन्यथा व्यय न की जायगी ।

(२) बोर्ड, वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा अनुपूरक वित्तीय विवरण की जैसी भी दशा हो, सीमाओं के भीतर, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, व्यय के एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक में अथवा एक योजना के लिये की गई व्यवस्था से दूसरी योजना के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था में पुनर्विनियोग को स्वीकृत कर सकता है, परन्तु किसी भी दशा में खादी लेखे से ग्राम उद्योग लेखे में अथवा, ग्राम उद्योग लेखे से खादी लेखे में पुनर्विनियोग नहीं किया जायगा ।

(३) बोर्ड, ऐसी सीमाओं के भीतर तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायं, किसी शीर्षक के अन्तर्गत अथवा उसी शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली किसी विशेष योजना के सम्बन्ध में वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा अनुपूरक वित्तीय विवरण में व्यवस्थित सीमा से अधिक व्यय तब तक कर सकता है जब तक कि व्यय उक्त शीर्षक के सम्बन्ध में उल्लिखित कुल धनराशि से अधिक न हो ।

अध्याय ५

वित्त लेखे, लेखा परीक्षा तथा प्रतिवेदन

बोर्ड की संचित निधि।

२६—(१) बोर्ड की एक संचित निधि होगी जिसमें बोर्ड द्वारा अथवा उसके लिए प्राप्त समस्त धनराशियां जमा की जायंगी।

(२) बोर्ड की संचित निधि की समस्त धनराशि किसी अनुसूचित बैंक में दो पृथक लेखों के अधीन, जो "खादी लेखा" तथा "ग्राम उद्योग लेखा" कहलायेंगे, ऐसी रीति से जमा की जायगी जो राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे।

(३) बोर्ड के लेखों का संचालन बोर्ड के सभापति अथवा सचिव द्वारा संयुक्त या व्यक्तिगत रूप से जैसा कि बोर्ड के संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया जाय, किया जायगा।

बोर्ड द्वारा उपहार, आर्थिक सहायता इत्यादि का स्वीकार किया जाना।

२७—बोर्ड, अनुदान, आर्थिक सहायता, दान तथा उपहार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्वीकार कर सकता है।

बोर्ड को आर्थिक सहायता तथा ऋण।

२८—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को समय-समय पर ऐसी शर्तों पर आर्थिक सहायता तथा अनुदान दे सकती है जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करे।

(२) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करे, बोर्ड समय-समय पर तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, खादी लेखा या ग्राम उद्योग लेखा अथवा बोर्ड की किसी अन्य आस्ति की प्रतिभूत पर या अन्य प्रकार से इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अपेक्षित कोई धनराशि उधार ले सकता है।

विवरण तथा प्रतिवेदन।

२९—(१) बोर्ड, राज्य सरकार को ऐसे समय और ऐसे आकार में तथा रीति से, जो नियत की जाय या जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे, खादी तथा ग्राम उद्योगों को बढ़ाने तथा उनका विकास करने के किसी प्रस्तावित या विद्यमान कार्यक्रम या योजना के सम्बन्ध में ऐसी, विवरणियों और विवरण तथा ऐसे ब्योरे प्रस्तुत करेगा, जिनकी राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन ऐसे आकार में तथा ऐसे दिनांक तक जो नियत किये जायं, प्रस्तुत करेगा जिसमें वह पिछले वित्तीय वर्ष के अपने कार्यों, नीतियों तथा कार्यक्रमों का यथार्थ और पूरा विवरण देगा।

(३) उपधारा (२) के अधीन प्राप्त प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायगी।

लेखा तथा लेखा-परीक्षा।

३०—(१) बोर्ड अपने कृत्यों के सम्बन्ध में ऐसी लेखा पुस्तकें तथा अन्य अभिलेख ऐसे आकार में तथा ऐसी रीति से रखवायेगा जो नियत की जाय।

(२) बोर्ड, अपना वार्षिक लेखा बन्द करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे आकार में और ऐसी रीति से तैयार करेगा, जो नियत की जाय।

(३) बोर्ड के लेखे स्थानीय प्राधिकारी (Local authority) की स्थानीय निधि (Local Fund) समझे जायंगे और उनकी लेखा परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायगी।

(४) बोर्ड के लेखों का वार्षिक विवरण, उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित, बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को ऐसी कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया जायगा, जो वह उचित समझे।

(५) उपधारा (४) के अधीन प्राप्त बोर्ड के लेखों के वार्षिक विवरण की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायगी।

अध्याय ६

प्रकीर्ण

समितियां।

३१--(१) बोर्ड, ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने, ऐसे कर्तव्यों का पालन करने या ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, जो विनियमों द्वारा नियत किये जायं, ऐसी समितियां स्थापित कर सकता है, जो वह उचित समझे।

(२) बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति, उतने व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, जितने बोर्ड उस कार्य के लिए नियुक्त करना उपयुक्त समझे।

(३) बोर्ड की समिति के सदस्य की पदावधि वह होगी जो विनियमों द्वारा नियत की जाय।

(४) बोर्ड की समिति के सदस्य तदर्थ बनाये गये विनियमों के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भत्तों के अधिकारी होंगे।

बोर्ड को विघटित करने का राज्य सरकार का अधिकार।

३२--यदि किसी समय बोर्ड के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का, समाधान हो जाय कि बोर्ड इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उस पर आरोपित किसी कर्तव्य के पालन करने में बार-बार चूक करता है अथवा अपने अधिकारों का अतिक्रमण या दुरुपयोग करता है तो वह सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा उसके लिए अपने कारण देकर, बोर्ड को ऐसी अवधि के लिए विघटित कर सकती है जो विज्ञप्ति में उल्लिखित की जाय :

स्पष्टीकरण--यदि राज्य सरकार ऐसा करना इष्टकर समझे तो आदेश में दी हुई विघटन की अवधि सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर बढ़ायी जा सकती है।

बोर्ड के विघटन के परिणाम।

३३--यदि धारा ३२ के अधीन बोर्ड विघटित कर दिया जाय तो निम्न-लिखित परिणाम होंगे--

(क) सभापति सहित बोर्ड के समस्त सदस्यों के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उन्होंने उस दिनांक पर, जो आदेश में उल्लिखित किया जायगा, अपने पद रिक्त कर दिये हैं किन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनः नियुक्ति के लिये उनकी पात्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

(ख) जब तक बोर्ड का पुनः संगठन न हो जाय ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार तदर्थ नियुक्त करे, सभापति सहित बोर्ड के अधिकारों का यथासम्भव प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का यथा सम्भव पालन करेगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वह बोर्ड तथा सभापति समझा जायगा।

बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारी लोक सेवक होंगे।

३४—बोर्ड के समस्त सदस्य तथा कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या करते हुये भावित हों, इंडियन पीनल कोड, १८६० (ऐक्ट संख्या ४५, १८६०) की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक (Public servants) समझे जायेंगे ।

इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही की रक्षा।

३५—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये गये भावित (Purported) होने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

नियम बनाने का अधिकार।

३६—(१) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् और सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है,

(२) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित, सभी या किसी विषय के लिए व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्

(क) बोर्ड के सभापति तथा अन्य गैरसरकारी सदस्यों की पदावधि और उनको दिये जाने वाले भत्ते,

(ख) बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें,

(ग) सचिव के अधिकार तथा कर्त्तव्य,

(घ) बोर्ड के कृत्यों के सम्बद्ध विषय,

(ङ) वार्षिक वित्तीय विवरण में समाविष्ट किये जाने वाले व्यय,

(च) बोर्ड के कार्यक्रमों तथा योजनाओं से सम्बद्ध विषय,

(छ) बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुपूरक वित्तीय विवरण से सम्बद्ध विषय,

(ज) धारा २९ के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और प्रस्तुत करना,

(झ) वह आकार और रीति जिसके अनुसार धारा ३० की उपधारा (१) के अधीन बोर्ड के कृत्यों के सम्बन्ध में लेखे तथा अन्य अभिलेख रक्खे जायेंगे,

(ञ) धारा ३० की उपधारा (२) के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना,

(ट) धारा ६ के अधीन, सदस्य को हटाने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(ठ) धारा २८ के अधीन धनराशियां उधार लेने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा पालन की जाने वाली शर्तें,

(ङ) वे शर्तें जिनके अधीन और वह रीति जिसके अनुसार बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से संविदे किये जा सकते हैं,

(ढ) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाना या नियत किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, सरकारी गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से ऐसे परिष्कार या रद्द किये जाने के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार कि कोई ऐसा परिष्कार या रद्द किया जाना नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

नियम बनाने का अधिकार।

३७—(१) बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों से सुसंगत विनियम बना सकता है तथा उन्हें सरकारी गजट में विज्ञापित कर सकता है।

(२) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकता है :—

(क) बोर्ड या उसकी समितियों की कार्य-सम्पादन की प्रक्रिया,

(ख) बोर्ड के कर्मचारियों का पारिश्रमिक, भत्ते तथा अन्य सेवा की अन्य शर्तें,

(ग) बोर्ड के कर्मचारियों के कृत्यों तथा कर्तव्यों से सम्बद्ध विषय,

(घ) बोर्ड की समितियों के अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों से सम्बद्ध विषय,

(ङ) बोर्ड की समितियों के सदस्यों की पदावधि से सम्बद्ध विषय और उन्हें दिये जाने वाले भत्ते, तथा

(च) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा करनी हो या की जा सके।

अपवाद।

३८—(१) इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसे उद्योग पर प्रवृत्त न होगी और न प्रवृत्त समझी जायगी जिसका संघ द्वारा नियंत्रण, संसद,विधि द्वारा लोक हित में इष्टकर घोषित करे।

(२) इस अधिनियम के उपबन्ध, खादी तथा ग्राम उद्योगों के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण के लिए।

अनुसूची

[देखिये धारा २ (८) एवं ३ (१)]

१—मधुमक्खी-पालन।

२—कुटीर दियासलाई-उद्योग।

३—मिट्टी की वस्तुओं का कुटीर उद्योग।

४—कुटीर साबुन-उद्योग।

५—खाल उतारना, उसको सुरक्षित करना और कमाना तथा उससे सम्बन्धित अन्य सहायक उद्योग एवं कुटीर चमड़ा उद्योग।

६—घानी-तेल-उद्योग।

७—हाथ से बना कागज।

८—गन्ने का गुड़ एवं खांडसारी शक्कर बनाना।

९—ताड़ का गुड़ बनाना तथा ताड़ से बनने वाली अन्य वस्तुओं के उद्योग।

१०—अनाज एवं दाल की कुटाई, छंटाई और सफाई आदि (Processing)।

११—रेशा उद्योग (नारियल की जटा के अलावा)।

१२—लोहारगीरी तथा बढ़ईगीरी [निर्माण और कार्य जिसमें शक्ति (Power) का प्रयोग न हो; अम्बर चर्खा तथा उसके पुर्जों के बनाने में शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है]।

उद्देश्य और कारण

ग्राम उद्योगों ने देश की अर्थ व्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है, जिसका कारण केवल यही नहीं है कि उनसे ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता उत्पन्न होती है बल्कि यह भी है कि उनमें पर्याप्त मात्रा में रोजगार प्रदान करने की क्षमता है। कम काम वाले गरीब किसान और भूमिहीन श्रमिक के लिए अनुपूरक आय के साधन के रूप में इन उद्योगों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। द्वितीय आयोजना में इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब से बचने तथा रचनात्मक कार्यकर्ताओं को ग्राम उद्योग कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सम्मिलित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग संघठित किया है, जो कि एक परिनियत निकाय (Statutory Body) है। इस आयोग को भारत सरकार प्रतिवर्ष तदर्थ धनराशियां देती है। आयोग सम्पूर्ण देश के लिए खादी तथा ग्राम उद्योग का एक कार्यक्रम तैयार करता है और विभिन्न राज्यों में तथा उन संस्थाओं तथा संघटनों में बांटता है जो खादी तथा ग्राम उद्योग विकास का कार्य करते हैं।

यह अनुभव किया जाता है कि ग्राम उद्योग कार्यक्रम को शीघ्रता से सम्पादित करने और रचनात्मक कार्यकर्ताओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि यह राज्य भी एक परिनियत खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड संघटित करे, जैसा कि कई अन्य राज्य पहले ही से कर चुके हैं। यह परिनियत बोर्ड अपनी निधि या खादी आयोग तथा राज्य सरकार से प्राप्त करेगा, अपना कार्यक्रम राज्य सरकार के परामर्श से तथा खादी आयोग द्वारा निर्धारित ढंग से तैयार करेगा, तथा राज्य के विभागों और ग्रामीण उद्योगों से सम्बद्ध विभिन्न संस्थाओं के बीच सक्रिय समन्वय प्राप्त करेगा। तदनुसार उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६० में, राज्य में एक परिनियत खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के संघटन की व्यवस्था की गयी थी।

सम्पूर्णानन्द,
उद्योग मंत्री।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६० के उन उपबन्धों के स्पष्टीकरण का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायी अधिकार के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें समाविष्ट हैं

विधेयक का खंड ३६ राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।

विधेयक का खंड ३७ अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जाने वा ले बोर्ड को विधेयक तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों से सुसंगत विनियम बनान का अधिकार देता है।

विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२५ एल० ए०—१९६०—८४५।